द्वितीय माला, खंड ५०—अंक ६

बुधवार, २१ फरवरी, १९६१
२ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५० में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

१ रुपया (देश में)

४ शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५०—अंक १ से १०—१४ से २७ फरवरी, १९६१/२५ माघ से ८ फाल्गुन १८८२ (शक)

अंक १—मंगलवार, १४ फरवरी, १९६१/२५ माघ, १८८२ (शक)

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
निधन संबंधी उल्लेख	१
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया . .	२—७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	७—८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८—९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०—६१ . .	९
सदस्य द्वारा पद त्याग	९
प्रसूति लाभ विधेयक	१०
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	
बीमा (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . . .	१०
दैनिक संक्षेपिका	११—१३

अंक २—बुधवार, १५ फरवरी, १९६१/माघ २६, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ और २३ . . .	१५—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९ से २२ और २४ से ४२ .	३७—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४५ और ४७ से ५७ . .	५२—८०
स्थगन प्रस्ताव	
कुछ बैंकों को शोध-विलम्ब-काल की मंजूरी दी जाने से उत्पन्न स्थिति .	८०—८२
कांगो की स्थिति के बारे में वक्तव्य	८२—८६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	८७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८७—९१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६०—६१ . . .	९१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	९१—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में शुद्धि . . .	९३
रेलवे आय-व्ययक (१९६१—६२)—उपस्थापित . . .	९४—१२०
दैनिक संक्षेपिका	१२१—१२८

अंक ३—गुरुवार, १६ फरवरी १९६१/२७ माघ, १८८२ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ४६, ४८ से ५५ और ५७ . १२९—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ५६ और ५८ से ८२ . . १५५—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८ से १४८ और १५० से १६३ . १६७—२२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३९ के उत्तर में शुद्धि . . . २२१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२१–२२

प्राक्कलन समिति—

सौवां प्रतिवेदन २२३

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड २२३

सभा का कार्य २२४

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . . . २२४

विचार प्रस्ताव . . . . २२४—६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छियत्तरवां प्रतिवेदन २६४

कार्य मंत्रणा समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन २६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २६६—७३

अंक ४—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१/२८ माघ, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४ से ९३ . . . . २७५—३०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ और ९४ से १४० . . . ३०१—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४ से २५१ . . . ३२४—६२

दिनांक १६-११-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर में शुद्धि . ३६२

स्थगत प्रस्तावों के बारे में ३६२–६३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६३–६४

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पांचवां प्रतिवेदन ३६४

प्रसूति लाभ विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ३६४

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर में शुद्धि . . .	३६५
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकसठवां प्रतिवेदन . .	३६५
सभा का कार्य . . .	३६५—६६
समिति का निर्वाचन—	
मानव विज्ञान के लिये केन्द्रीय परामर्श बोर्ड	३६६
सभा के कार्य के बारे में	३६६
द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	३६६—८७
खंड २ से ८	३६६—८७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियत्तरवां प्रतिवेदन	३८७—८८
कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प—	
अस्वीकृत	३८८—९४
राजनैतिक प्रचार के लिये धार्मिक स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध सम्बन्धी संकल्प	३९५—४०६
दैनिक संक्षेपिका	४०७

अंक ५—सोमवार, २० फरवरी, १९६१/१ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १५४ और १५७	४१५—४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४१, १५५, १५६, और १५८ से १६७	४४२—४८
अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ से २८८	४४८—६४
निधन सम्बन्धी उल्लेख	४६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४६४
प्राक्कलन समिति—	४६५
एकसौ छै वां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश में कोयले और कोक की अत्यधिक कमी	४६५—६८
समिति के लिये निर्वाचन —	
राजघाट समाधि समिति	४६८
द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) विधेयक, १९६०—	

विषय	पृष्ठ
खण्ड ३, ६ और अधिनियम सूत्र	४६८
पारित करने का प्रस्ताव	४६९—७४
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	४७४—५१८
दैनिक संक्षेपिका	५१९—२२

अंक ६—मंगलवार, २१ फरवरी, १९६१/२ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १७१ और १७४ से १८२	५२३—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७३, १८३ से २०६	५४९—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या २८९ से ३५४	५६५—९३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	५९३—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५९४—९७
रेलवे समय सारिणी के प्रकाशन के बारे में याचिका	५९७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
"हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड", दिल्ली का बन्द होना	५९७
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक—पुरःस्थापित	५९८
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया	५९८
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधयक—पुरःस्थापित	५९८
बैंकिंग समवाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया	५९९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	५९९—६३९
दैनिक संक्षेपिका	६४०—४७

अंक ७—बुधवार, २२ फरवरी, १९६१/३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २०७ से २१२, २१४, २१६ और २१८	६४७—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१३, २१५, २१७, २१९ से २५०	६७०—८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५५ से ३५८ और ३६० से ४१५	६८७—७१३
स्थगन प्रस्ताव—	
चीनी आक्रमण का कथित खतरा	७१४

विषय	पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७१४—१७

प्राक्कलन समिति—

एकसौ तीनवां प्रतिवेदन ७१७

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . .. ७१७—५९

दैनिक संक्षेपिका . . . ७६०—६७

अंक ८—गुरुवार, २३ फरवरी, १९६१/४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५१, २६३, २५२ से २५९, और २६८ . ७७१—९४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . ७९४—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६२, २६४ से २६७ और २६९ से २८० ७९६—८०६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४७० . ८०६—३२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ८३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ८३३

रेल रोड पुल के निर्माण के बारे में याचिका . . . ८३३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ८३३—६१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१ ८६१—६८

दैनिक संक्षेपिका ८६९—७३

अंक ९—शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१ / ५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८१ से २८९, २९१, २९२, २९४ और २९६ ८७५—९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९०, २९३, २९५ और २९७ से ३१७ ८९८—९१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ से ५४४ ९१०—४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९४६

लोक लेखा समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन . ९४६

प्राक्कलन समिति—

एक सौ सत्तवां प्रतिवेदन ९४६

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य . .	९४७
सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में	४७–४८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१ . .	९४८—७४
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन) .	९७४
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य का—पुरःस्थापित .	९७४
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१-क का रखा जाना) श्री तंगामणि का—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	९७४—७८
सदस्य की गिरफ्तारी	९८१
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) श्री अजित सिंह सरहदी का—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	९८२
परिचालन करने का संशोधन—स्वीकृत हुआ . .	९८२—८८
ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के सम्भरण का अन्त विधेयक—	
श्री अरविन्द घोषाल का—	
विचार करने का प्रस्ताव	९८८
दैनिक संक्षेपिका . .	९८९—९४

अंक १०, सोमवार, २७ फरवरी, १९६१/८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख	९९५
दैनिक संक्षेपिका .	९९६

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—2079 (Ai) LSD—27-3-61—125

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार $\frac{\text{२१ फरवरी, १९६१}}{\text{२ फाल्गुन, १८८२ (शक)}}$

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

'पूर्व की यात्रा करो' वर्ष

+
*१९८. { श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'पूर्व की यात्रा करो' वर्ष के बारे में भारत सरकार द्वारा किये गये निर्णयों का व्यौरा क्या है ; और

(ख) उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). 'पूर्व की यात्रा करो' आन्दोलन में सरकार के सहयोग के संबंध में किये गये निर्णयों का व्यौरा सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

१९६१ में 'पूर्व की यात्रा करो' आन्दोलन के अन्तर्गत विदेशी पर्यटकों के लिए भारतीय पर्यटन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिये भारत सरकार ने कुछ उपाय अपनाये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1994 (Ai) LSD.—1.

पर्यटन विभाग द्वारा की गयीं सिफारिशों के परिणाम स्वरूप विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं ने उक्त वर्ष में निम्नलिखित रियायतें व विशेष सुविधाएं देना मंजूर किया है :—

(क) **इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन**

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन्स ने ऐसी विदेशी पर्यटकों को जिन के पास भारतीय दूतावासों, कांसुल कार्यालयों तथा भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों द्वारा दिये गये अभिज्ञान पत्रक (इंट्रोडक्शन कार्ड) होंगे या जो इण्टर नेशनल एयरलाइन्स के यात्री होंगे उनके किराये में पांच प्रतिशत की छूट देना मंजूर किया है । यह छूट उन सेल्स एजेन्टों को भी दी जायगी जिनके पास रियायती विशिष्ट क्षेत्रों में यात्रा करने के प्रमाणिक टिकट होंगे । पूर्व निश्चित १३ मार्गों पर किराये की विशेष छूट दी जायेगी।

(ख) **रेलवे**

रेलवे बोर्ड ने १९६१ में पर्यटन विभाग या उस के किसी भी विदेश स्थित कार्यालय के अधिकारी द्वारा प्रमाणित पर्यटकों को एयर कंडीशन दर्जे की यात्रा के मूल किराये में २५ प्रतिशत रियायत देना मंजूर किया है ।

इसके अलावा एकमुश्त ४९५ रुपये देने पर ३० दिनों के लिए एयर कंडीशन दर्जे या पहले दर्जे (जिन मार्गों पर एयर कंडीशन दर्जे नहीं उपलब्ध हैं) के 'मनचाही यात्रा' के टिकट भी मिल सकते हैं । इस खर्च पर्यटकों के किराये पर का टैक्स (पैसेंजर फेयर टैक्स) भी शामिल है ।

(ग) **शिकार**

'इण्डियन शिकार आउट फिटर्स एसोसिएशन' ने अपने सदस्यों की ओर से घोषित किया है कि १९६१ में शिकार के लिए जो भी बुकिंग की जायेगी उसकी अनुसूचित दरों पर उन्हें पांच प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।

(घ) **होटल**

'फेडरेशन आफ होटल्स रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इण्डिया" के सदस्य कुछ होटलों ने १९६१ की गर्मियों के ऐसे दिनों में जब पर्यटक प्राय: नहीं आते हैं रियायत (आफ सीजन कन्सेशन) देना मंजूर किया है ।

(ङ) **प्रचार**

एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग के इस सुझाव पर कि इसकी सदस्य सरकारों को १९६१ के साल को 'पूर्व की यात्रा करो' वर्ष के रूप में मनाना चाहिए, पर्यटन विभाग ने भारत के सहयोग के विषय में भरपूर प्रचार करना आरंभ कर दिया है

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, यह जो विवरण दिया गया है इस से मालूम पड़ता है कि विभिन्न विभाग इस में क्या सहयोग देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि स्वयं पर्यटन विभाग इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : पर्यटन विभाग का मुख्य कर्तव्य और मुख्य क्षेत्र इन विभिन्न विभागों से पर्यटन के सम्बन्ध में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कराना है और मैं आशा करता हूं कि पर्यटन विभाग इस काम में पीछे नहीं रहेगा ।

श्री अ० मु० तारिक : जैसाकि वजीर साहब ने यह फरमाया है कि मुहकमा टूरिज्म बगैर खुद कुछ किये हुए दूसरे लोगों से काम करायेगा । इस सिलसिले में जैसे आपने कहा है 'फेडरेशन आफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया' के सदस्य कुछ होटलों ने १९६१ की गर्मियों के ऐसे दिनों में जब पर्यटक प्रायः नहीं आते हैं रियायत (आफ सीज़न कन्सेशन) देना मंजूर किया है ।

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने होटल वालों से कह दिया है कि वह अपनी रहने वाली एकौमोडेशन को बढ़ायें और इस सिलसिले में हुकूमत उनकी क्या मदद कर रही है ?

श्री राज बहादुर : पहले तो मैं यह साफ करना चाहूंगा जैसेकि मुअज्जिज मेम्बर ने कहा कि टूरिस्ट्स डिपार्टमेंट अपनी ओर से कुछ नहीं करेगा मेरे खयाल में उनकी यह बात सही नहीं है । अगर उन्होंने स्टेटमेंट को देखा होता तो उस में लिखा है कि टूरिस्ट्स डिपार्टमेंट का मुख्य काम है पब्लिसिटी और कोआर्डिनेशन करने का और वह दोनों काम इस डिपार्टमेंट के बिना नहीं होंगे और टूरिस्ट्स डिपार्टमेंट उनको कर रहा है . . .

श्री अ० मु० तारिक : वह तो कोई भी कर सकता है ?

श्री राज बहादुर : मेरा खयाल है कि और कोई नहीं कर सकता । इस काम को टूरिस्ट्स डिपाटमेंट ही कर सकता है और वह उसे अपनी पब्लिसिटी के जरिए से कर रहा है । रही होटलों में इजाफा करने की बात तो मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि एक दम से किसी जादू की छड़ी से तो इजाफा नहीं हो सकता है । अलबत्ता जितना भी इजाफा मुमकिन है वह किया जा रहा है और इसके मुताल्लिक जो कुछ सहूलियतें चाहिए इमदाद चाहिए वह दी जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो सुविधाएं देने का निश्चय किया गया है तो यह क्या विदेशी पर्यटकों तक सीमित रहेगा या भारतीय पर्यटकों को भी यह सुविधाएं दी जायेंगी ?

श्री राज बहादुर : जैसाकि इस आन्दोलन के नाम से विदित होगा इस का मुख्य सम्बन्ध तो विदेशी पर्यटकों से है क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वे यहां पर आयें और इस के लिए हम उनका यहां पर आवाहन कर रहे हैं। और उन को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्व इस बात को समझेंगे ।

श्री प्र० चं० बरुआ इस आन्दोलन में जो देश भाग ले रहे हैं, उनके क्या नाम हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : एशिया और सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के सदस्य देश इस में भाग ले रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : रेलवे और विमान समवाय इसमें क्या रियायतें देंगी ?

†**श्री राज बहादुर** : वह विवरण में बताया गया है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या ४९५ रुपये का रियायती किराया भारतीय पर्यटकों पर भी लागू किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा मैं ने अभी एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि यह विदेशी पर्यटकों को आमंत्रण है और उन को ये रियायतें दी गयी हैं। मुझे आशा है कि विदेशी पर्यटकों और भारतीय पर्यटकों के बीच अन्तर को मानना पड़ेगा ।

†**श्री तंगामणि** : 'पूर्व की यात्रा करो' वर्ष १९६१ में विदेशी पर्यटकों को कई रियायतें दी गयी हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस आन्दोलन की महता के कारण रियायती रेलवे किराया भारतोय पर्यटकों पर भी लागू किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : समूचा आन्दोलन एशिया और सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग द्वारा स्वीकृत संकल्प और की गयी सिफ़ारिशों के आधार पर चलाया जा रहा है । एशिया और सुदूर पूर्व के लिय आर्थिक आयोग के सदस्य होने के नाते हम इस बारे में अन्य देशों का अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह अन्तर रखना ही पड़ेगा ।

डकोटा विमानों के स्थान पर वाइकाउंट विमानों का प्रयोग

†*१९९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डकोटा विमानों के स्थान पर वाइकाउंट विमान चलाने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : इस समय इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन उन दो पुराने वाइकाउंट विमानों को खरीदने के लिये बातचीत कर रही है जिस के लिये उनको प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पहले यह कहा गया था कि सरकार का चार पुराने वाइकाउन्ट विमान खरीदने का प्रस्ताव है। क्या मैं जान सकता हूं कि अब केवल दो ही क्यों खरीदे जा रहे हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : पहले इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने चार विमान खरीदने का प्रस्ताव किया था और सरकार ने वह मान लिया था । बाद में यह देखा गया कि दो विमान, जिनको वे खरीदना चाहते थे, अन्य पक्षों को बेच दिये गये हैं और अब उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री वारियर** : डकोटा के बदले वाइकाउन्टों को किन मार्गों पर चलाया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : वाइकाउन्ट डकोटा के बदले नहीं हैं। यह कुछ हद तक गलत फहमी है। इन वाइकाउन्टों की 'ट्रंक' मार्गों के बीच चलाने की आवश्यकता है। यदि वे उपलब्ध हो गये तो उन को कुछ अन्य मार्गों, जैसे बम्बई-मद्रास और बम्बई-बंगलौर, पर भी चलाया जायेगा। परन्तु वे निश्चय ही ट्रंक मार्गों के लिय हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि दो वाइकाउन्ट अन्य पक्ष ने बेच दिये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह वही पक्ष है जिस के साथ वाइकाउन्टों को खरीद के लिये बात चीत चल रही थी?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे पता नहीं है कि माननीय सदस्य किस पक्ष का निर्देश कर रहे हैं। यह प्रश्न पिछले तीन या चार महीनों से विचाराधीन है और इस दौरान कई पक्षों से बात चीत की गयी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : डकोटा विमानो को 'फ़ोकर फ्रेन्डशिप्स' से बदलने के लिये क्या प्रगति की गयी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : अगले तीन या चार महीनों में पांच फ़ोकर मिलने वाले हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बर्मा सरकार से जो वाइकाउन्ट्स हवाई जहाज मिलने वाले थे वह इस वजह से नहीं मिल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ने इस मामले में फैसला करने में बहुत देर की और जल्द फैसला नहीं लिया और मैं यह जानना चाहता हूं कि इन हवाई जहाजों में खर्चा क्या पड़ेगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह कहना ठीक नहीं है कि मंत्रालय से मंजूरी देने में विलम्ब के कारण बर्मा के आफ़र को पूरा नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने बर्मा से वाइकाउन्ट खरीदने के लिये प्रस्तावों की मंजूरी दे दी थी। परन्तु जब उन को क्रयादेश दिया गया तो बर्मा सरकार ने फैसला कर लिया कि उनको न बेचा जाये। जहां तक मूल्यों का संबंध है मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस समय कोई मूल्य बताना वांछनीय नहीं है।

बिक्री के लिए चीनी

+

†*१७०. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सम्पत :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में भारत भर के कारखानों से बिक्री के लिए कितनी चीनी भेजी गयी ;

(ख) क्या उत्तर भारत के चीनी के कारखानों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ४ फरवरी, १९६१ को दो लाख टन।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). जी, नहीं, अपने कर्मचारियों में बिक्री के लिये थोड़ी मात्रा देने के सिवाय उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के चीनी कारखानों से चीनी केवल निर्धारित कारखाने मूल्य पर सरकारी आवंटितों को देना अपेक्षित है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह नहीं है कि पिछले साल की चीनी उन गोदामों में भरी हुई है और इस साल चीनी की ज्यादा पैदावार होने वाली है तो यह कारखानों से चीनी की खपत ज्यादा हो इसके सम्बन्ध में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : चीनी का उत्पादन इस साल ज्यादा होने वाला है । ४ लाख से ५ लाख टन ज्यादा होने वाला है इसलिए सरकार चीनी का ऐक्सपोर्ट करने के वास्ते इंतजाम कर रही है ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मालूम पड़ता है मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न को समझे नहीं । मेरा कहना यह है कि पिछले साल की चीनी अभी गोदामों में भरी हुई है और इस साल यह फरवरी महीना हो गया है और एक महीने बाद चीनी का सीजन है और चीनी पहले ही उनके गोदामों में बहुत भरी हुई है तो क्या सरकार चीनी को विदेशों में भेजने के लिए तत्काल कोई इन्तजाम कर रही है क्योंकि उनके स्टोर्स में जगह नहीं है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को अच्छी तरह समझ गया हूं । हमारे गोडाउन्ज़ में पिछले सालों की चीनी भी है और इस साल भी उत्पादन ज्यादा हो रहा है । मैंने कहा है कि हिन्दुस्तान के लोगों के लिये जितनी चीनी की आवश्यकता है, वह तैयार और बाहरी देशों को भी भेजने का इन्तजाम किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : रोकने वाला कोई नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : मन्त्री महोदय के यह घोषणा करने के बाद कि पिछले वर्ष आशा से अधिक उत्पादन हुआ और इस वर्ष भी यह आशा स अधिक होने वाला है, जब उत्पादन फालतू हो रहा है तो भारत में चीनी की बिक्री पर नियन्त्रण लागू करने का क्या औचित्य है ? निर्यात के लिये मिलों से निकालने वाले अभ्यंश पर तो नियन्त्रण ठीक है परन्तु जब हमारे पास फालतू चीनी है तो स्थानीय उपभोग पर नियन्त्रण क्यों लगाया गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : स्थानीय उपभोग पर कोई नियन्त्रण नहीं है । हम जनता को उतनी अधिक चीनी देने को तैयार हैं, जितनी वे खा सकते हैं । केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार जैसे फालतू चीनी वाले राज्यों में कारखाने के मूल्य पर नियन्त्रण है । उसके अतिरिक्त भारत में चीनी की खपत पर कोई नियन्त्रण नहीं है । हम राज्यों को उतनी चीनी देने को तैयार हैं जितनी वे हमसे लेना चाहते हैं ।

†**श्री त्यागी** : प्रश्न से यह स्पष्ट है कि मिलों को आज्ञा लिये बिना बेचने की इजाजत नहीं है । वहां पर नियन्त्रण है ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मिलों को इच्छानुसार चीनी बेचने की इजाजत नहीं है । उनको केवल राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को ही बेचने की आज्ञा है । अतः जो भी राज्य मांगते हैं—यदि कोई राज्य १०,००० टन के बजाय १५,००० टन मांगता है—सरकार उसका सम्भरण कर सकती है । वे आवंटित मात्रा ही नहीं उठा पाते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि जब इतनी फालतू चीनी है तो इस प्रकार का प्रतिबन्ध क्यों है कि यह केवल राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को ही बेची जा सकती है ? बाजार में इसकी बिक्री निर्बाध क्यों नहीं है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : स्थिति यह है कि पिछले वर्ष हमारे पास ५ लाख टन चीनी बची हुई थी इस वर्ष हमारे पास चार से पांच लाख टन तक चीनी फालतू होगी। । इसका मतलब है कि लगभग १० लाख टन चीनी फालतू है जिसमें से भारत सरकार यह चाहती है कि लगभग ५ लाख टन चीनी अगले वर्ष के लिये रखी जाये। अतः आज भारत अन्य देशों को ४ से ५ लाख टन तक चीनी का निर्यात कर सकता है। भारत से चीनी खरीदने के लिये अमरीका सरकार को मनाने के लिये एक शिष्टमण्डल अमरीका गया हुआ है। इस सब को देखते हुए यह कुछ ऐसी चीज है जिस पर हमें विचार करना है। जबकि हमारे पास फालतू चीनी है, विदेशी मुद्रा कमाने के लिये निर्यात के प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्न को पक्षापक्ष को भी ध्यान में रखना है। हमें कई बातों पर विचार करना होता है। मूल्य-नियन्त्रण के अतिरिक्त राज्यों को संभरण में ढील देने को कहा गया है। जितनी भी चीनी वह चाहते हैं, उनको वह मात्रा दी गयी है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैंने अभी वह बात सुनी जो श्री त्यागी ने कही थी। मैं यह कहना चाहूंगा कि ये प्रश्न विचाराधीन है। उनके बारे में बहुत कुछ कहना कठिन है परन्तु वह बात विचाराधीन है। **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। माननीय सदस्यों को भली भांति पता है कि नियमों के अधीन हम प्रश्न-काल में नीति सम्बन्धी प्रमुख प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकते। यह नीति का प्रश्न है कि यह सीमित नियंत्रण चालू क्यों रहे। उपमंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और कहा है कि चीनी को निर्यात करने का विचार है। प्रधान मंत्री महोदय ने बताया है कि समूचा मामला विचाराधीन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों के पास तीन अवसर हैं जहां वे वाद-विवाद के दौरान इस मामले को उठा सकते हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : कल हमें सभा में बताया गया था कि देश में माल-डिब्बों की बहुत कमी है और वे कोयला-क्षेत्र से उपभोक्ता केन्द्रों में कोयला नहीं ले जा सके। अब वे ४ से ५ लाख टन तक चीनी पत्तनों को ले जा रहे हैं। क्या रेलवे इस चीनी को कारखानों से पत्तनों तक ले जा सकेगी ? वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। इससे पूर्व देश में प्रतिबन्धों को क्यों नहीं हटा देते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

सामुदायिक विकास और पंचायत राज के अधिकारी

+

†*१७१. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दिसम्बर में नई दिल्ली में राज्यों के सामुदायिक विकास मंत्रियों की बैठक में किये गये निश्चय के अनुसार सचिवालयों में सामुदायिक विकास और पंचायती राज का उत्तरदायित्व एक ही पदाधिकारी को सौंपने के सुझाव को विभिन्न राज्य सरकारें कहां तक क्रियान्वित कर पायी हैं ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : निर्दिष्ट सिफारिशों के बारे में सभी राज्य सरकारों को बता दिया गया था और उनसे प्रार्थना की गयी थी कि वे उन्हें क्रियान्वित करें। दस राज्यों में पंचायती राज और सामुदायिक विकास का उत्तरदायित्व विकास आयुक्त पर है। बाकी पांच राज्य मामले का निरीक्षण कर रहे हैं।

†श्री श्रीनारायण दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों विभाग केन्द्रीय सरकार में एक ही मंत्रालय के अधीन हैं, क्या सरकार ने इस विभाग से सम्बद्ध सहयोग रखने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : इस मामले पर सब राज्य ध्यान दे रहे हैं परन्तु इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

†श्री पु० र० पटेल : हाल ही में गुजरात सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी और उस समिति ने पंचायत राज के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है। जो कुछ राजस्थान और आन्ध्र में क्रियान्वित किया गया है, समिति ने उससे भी अधिक बहुत सी बातों की सिफारिश की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रतिवेदन पर विचार कर रही है और अन्य राज्यों को उनकी सिफारिशें मानने की सिफारिश कर रही है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि एक समिति ने गुजरात सरकार को एक प्रतिवेदन दिया है। गुजरात राज्य सरकार और केन्द्रीय मंत्रालय उस प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं।

†श्री रघुबीर सहाय : पंचायत राज की नीति की चारों ओर स्वीकृति और इसकी व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह आवश्यक है कि सामुदायिक विकास और पंचायत राज में भेद चलता रहे ? क्या यह उचित नहीं होगा कि सामुदायिक विकास मंत्री का पद-नाम बदल कर पंचायत राज मंत्री रख दिया जाये और अधिकारियों के पद-नामों में भी इसी प्रकार परिवर्तन किया जाये ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : इस बात पर विचार किया जायेगा।

†श्री अ० चं० गुह : उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस सुझाव को क्रियान्वित किया है और उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस सुझाव को क्रियान्वित नहीं किया है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : मैं कह चुका हूं कि दस राज्यों ने इसे क्रियान्वित किया है।

†श्री अ० चं० गुह : उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, पंजाब, गुजरात, मद्रास, जम्मू तथा काश्मीर, महाराष्ट्र, असम और उड़ीसा राज्य। जिन राज्यों ने इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है, वे हैं—केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश ने संयुक्त विकास आयुक्त के रूप में एक पंचायत निदेशक नियुक्त कर लिया है।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या इन सब राज्यों में खंड स्तर पर सामुदायिक विकास के कार्य को राजस्व पदाधिकारी के साथ सम्बद्ध किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० सू० मूर्ति : मैं समझता हूं कि जिस राज्य से माननीय सदस्य आये हैं, वहां पर खंड विकास अधिकारी एक राज्य अधिकारी भी है।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : इस पद्धति को न अपनाने के बारे में बिहार सरकार ने क्या कारण बताये हैं ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न पूछें, तो इसका पूरा उत्तर दिया जायेगा।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या जिला स्तर पर एक सुझाव दिया गया है कि जिला कलेक्टरों का पद-नाम विकास अधिकारी रखा जा रहा है और सामुदायिक विकास कार्य की देखभाल के लिये उनको विशेष उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : हम केवल राज्य स्तर की बात कर रहे हैं और जिला स्तर की नहीं।

†श्री तंगामणि : स्वायत्त-शासन, पंचायत और पंचायत राज की केन्द्रीय परिषद की छठी बैठक में कुछ सिफारिशें की गयी थीं। एक सिफारिश, जिस पर राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था, केवल सचिवालय स्तर पर सामुदायिक विकास और पंचायत राज के विलय के बारे में ही नहीं है परन्तु उसमें यह भी है कि ग्राम स्तर पदाधिकारी पंचायत सचिव का कार्य भी करें। क्या म जान सकता हूं कि जिन राज्यों ने सिफारिश का प्रथम भाग स्वीकार कर लिया है, क्या उन्होंने सिफ़ारिश का अन्य भाग भी माना है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : इस प्रश्न का वर्तमान प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दिल्ली के लिए बृहद् योजना

+

†*१७४. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के लिए बृहद् योजना को अन्तिम रूप देने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जैसा दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ में दिया गया है, दिल्ली के लिये बृहद् योजना को विचारों और सुझावों आदि के लिये ८ जुलाई, १९६० को जनता में परिचालित किया गया था। अपनी-अपनी आपत्तियां भेजने की अन्तिम तिथि ७ अक्तूबर, १९६० थी (९० दिन) कुल मिला कर ६०० आपत्तियां आयी हैं जिसकी विशेष रूप से बनाया गया दिल्ली विकास प्राधिकार बोर्ड जांच कर रहा है। बोर्ड ने व्यक्तिगत पूछताछ समाप्त कर दी है और अब वह प्राधिकार को देने के लिये अपना प्रतिवेदन तैयार कर रहा है। प्राधिकार इस प्रतिवेदन पर विचार करेगा और पुनरीक्षित योजना स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : इस बृहद योजना के विरुद्ध प्रमुख आपत्तियों का स्वरूप क्या है और क्या उन्होंने इन आपत्तियों के कारण योजना में कोई संशोधन किया है ?

†श्री करमरकर : सभी आपत्तियां योजना में सशोधन करने के ख्याल से की जाती हैं कि विभिन्न बातें कहां पर हों; उदाहरणत: कि हरी पट्टी कहां पर होनी चाहिये । और लगभग सभी बातें एक विशेष दृष्टिकोण की गयी हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या मंत्री महोदय को यह पता लगा है कि बृहद् योजना के अतिक्रमण में हरी पट्टी में एक कारखाना मंजूर किया गया है और इसको दिल्ली नगर निगम ने नियमित किया है ?

†श्री करमरकर : अभी बृहद् योजना का कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता क्योंकि अभी किसी बृहद् योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । यह सामान्य अन्तरिम योजना है और इसमें कोई भी परिवर्तन भारत सरकार के निर्णय पर ही हो सकता है । और कोई भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं यह समझूं कि बृहद् योजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा कि जो इस समय बृहद् योजना है, वह समाप्त हो जायेगी और एक अन्तरिम योजना होगी जो समूची बृहद् योजना को काटछांट कर कम कर देगी ?

†श्री करमरकर : बृहद् योजना के अस्तित्व के समाप्त होने का कोई प्रश्न नहीं है । जब इसको अन्तिम रूप दे दिया जावेगा, तो इसका अस्तित्व चलता रहेगा । सामान्य अन्तरिम योजना के बारे में यदि कोई गैर-समेकित और आकस्मित बात न हुई तो अन्तरिम सामान्य योजना को निश्चय ही लागू किया जायेगा और जैसा मैंने कहा बृहद् योजना में भारत सरकार की अनुमति बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता । भारत सरकार केवल बहुत ही कम मामलों में उसे मानेगी ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि बृहद् योजना को इस ससद् के काल में ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसकी कोई संभावना है ?

†श्री करमरकर : जी, हां ।

†श्री दी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय को प्रस्तावित बृहद् योजना में परिवर्तन करने के बारे में कितनी आपत्तियां मिली हैं और उन्होंने उन पर क्या निर्णय दिया है ?

†श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि बहुत ही कम । परन्तु यह बात बताने के लिये पूर्व सूचना चाहिये कि सरकार ने कितनी आपत्तियां मंजूर की हैं ।

†श्री ब्रजराज सिंह : दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा बृहद् योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तक क्या यह फैसला किया गया है कि २००० प्लाट जनता को नीलाम किये जायेंगे ?

†श्री करमरकर : यह बात तो बृहद् योजना से मेल खाती है । बृहद् योजना में कारखाने लगावे, प्लाट बेचने आदि की व्यवस्था है । अतः यदि कोई प्लाट बेचा जाता है, तो वह अन्तरिम सामान्य योजना के अनुरूप होगा और यदि किसी परिवतन को उचित और आवश्यक समझा गया, तो भारत सरकार उस पर विचार कर सकती है और फैसला कर सकती है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री अन्सार हरवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि शहर के प्रमुख कोलोनाइजरों द्वारा बृहद् योजना के अतिक्रमण के कितने मामले सरकार को पता लगे हैं और कितने मामलों में नगर निगम ने और सरकार ने उनको नियमित किया है ?

†श्री करमरकर : यदि कोई परिवर्तन आवश्यक होता है और वह हमें बताया जाता है, तो हम उसकी आज्ञा दे देते हैं। हमारी अनुमति बिना अन्तरिम सामान्य योजना में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और वह हमने बहुत थोड़े मामलों में अनुमति दी है। भारत सरकार के अतिरिक्त और किसी का अन्तरिम सामान्य योजना में परिवर्तन की अनुमति देने का प्रश्न ही नही उठता।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : जब सड़कों को चौड़ा करने के लिये दिल्ली में बृहद् योजना लागू होगी तो कुछ मकानों को लिया जायेगा यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली के लिये बृहद् योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

†श्री करमरकर : हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि सड़कों को चौड़ा करने के लिये कितने मकान गिराने पड़ेंगे। इसीलिये खर्च का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

†श्री त्यागी : लोगों को यह ख्याल था कि बृहद् योजना अधीन अल्प आय वर्ग के लोगों को सस्ते मूल्य पर मकान अथवा मकान बनाने के लिये प्लाट दिये जायेंगे। अब, मैं समझता हूं कि प्लाटों को नीलाम किया जायेगा जिसका मतलब है कि वे अधिकाधिक बोली लगाने वाले को मिलेंगे। अतः अल्प आय वाला दल बृहद् योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पायेगा।

†श्री करमरकर : बाज दफा मेरे माननीय मित्र गलत समझ जाते हैं। बृहद् योजना शहर का आयोजन करती कहां एक मैदान होना चाहिये, औद्योगिक क्षेत्र कौन से हो, रिहायशी क्षेत्र कौन से हों और लिंक रोड कहां पर हो, परिवहन के साधन क्या हों, आदि। बृहद् योजना यही है। निम्न मध्य वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को भूमि देने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है जो कि बिलकुल एक पृथक् प्रश्न है।

†श्री त्यागी : पिछली बार यह कहा गया था.......

†श्री करमरकर : जब तक यह मामला साफ नहीं हो जाता, वे इसमें गड़बड़ न करें। सरकार इस बात की ओर पूरा ध्यान दे रही है कि अल्प आय वर्ग को रियायती दामों पर भूमि मिले। अतः इन सब प्लाटों को नीलाम द्वारा नहीं बेचा जा रहा है। वे अल्प आय वर्ग को उचित मूल्यों पर दिये जायेंगे। कुछ प्लाट ऐसे होंगे—नहीं मैं अपने मित्र को प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

देश में विद्युत् उत्पादन

†*१७५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ और १९६० में देश में विद्युत् उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता कितनी थी ;

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष विद्युत् का कुल कितना उत्पादन हुआ और कितनी बिक्री हुई; और

(ग) क्या इनमें भारी अन्तर है, और यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

वर्ष	स्थापित क्षमता १० लाख किलो-वाटों में	विद्युत् का उत्पादन	विद्युत् की बिक्री	उत्पादन और बिक्री में अन्तर
१९५७-५८ .	३.२	११३६६.१४	९३४५.२२	२०२३.९२
१९५८-५९ .	३.५	१२९९३.८९	१०७१८.६१	२२७५.२८
१९५९-६० .	३.६	१४९९१.५०	१२३२८.३५	२६६३.१५

(ग) उत्पादन और बिक्री में अन्तर पारेषण और वितरण क्षति तथा बिजली कारखानों के सहायक कार्यों में बिजली के खर्च के कारण ही है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मन्त्री स्थापित क्षमता और वास्तव में उत्पादित विद्युत् में इतने अधिक अन्तर के कारण होने वाली उतनी अधिक हानि का क्या कारण बताते हैं? क्या यह हानि सामान्य सी हानि है या कि यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच करने की और सुधार करने की आवश्यकता है ?

†**श्री हाथी** : जहां तक स्थापित क्षमता और उत्पादित विद्युत् का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हानि हो रही है। जहां तक विद्युत उत्पादन और विद्युत् की बिक्री का सम्बन्ध है, लगभग १६ प्रतिशत की पारेषण हानि हो रही है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मन्त्री का ध्यान एक अग्र लेख की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें इस आशय के कई उदाहरण दिये गये हैं कि स्थापित क्षमता और उत्पादित बिजली में कितनी अधिक बिजली का नुकसान हो रहा है? क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में विचार किया है?

†**श्री हाथी** : मैंने वह लेख नहीं देखा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री ने उत्पादित विद्युत् और बेची गयी बिजली का अन्तर बता दिया है। माननीय सदस्य बिजली के नुकसान के कारण जानना चाहते हैं।

†**श्री हाथी** : मैंने वह समझा दिया है। उत्पादित बिजली और बेची गयी बिजली में अन्तर पारेषण क्षति के कारण हैं। वह हानि सामान्यतया १६ प्रतिशत होती है। वह मैं पहले ही बता चुका हूं। परन्तु मैंने उक्त लेख नहीं देखा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मन्त्री के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है? और फिर रिहान्ड में जो ५० किलोवाट बिजली पैदा होती है और अतिरिक्त है, वह पारेषित नहीं की जा सकती। उस बिजली का उचित उपयोग करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : सामान्यतया हर स्थान पर बिजली की कमी है । इसे तो हम स्वीकार करते हैं और हम अपने संसाधनों से यथा सम्भव आवश्यक स्थानों पर अतिरिक्त बिजली के कारखाने लगाने का यत्न कर रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : एक अग्रलेख प्रकाशित हुआ था जिसमें यह लिखा है कि रिहान्ड में अतिरिक्त बिजली है परन्तु 'पेन स्टाक' के अभाव के कारण उस विद्युत् को पारेषित नहीं किया जा सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका यह कहना है कि रिहान्ड में अतिरिक्त विद्युत् है, परन्तु "पेन स्टाक" के अभाव में उस विद्युत् का उपयोग नहीं किया जा सका है ।

†**डा० रा० सुभग सिंह** : क्या सरकार ने उत्पादित विद्युत् के आधार विद्युत् उत्पादन की लागत का हिसाब कर लिया है ? तो उत्पादन की लागत और उद्योगों तथा कृषिकारों को दी जाने वाले बिजली की दरों में कितना अन्तर है ?

†**श्री हाथी** : यह तो अलग अलग मामलों पर निर्भर करता है । सामान्यतया पन बिजली तापीय विद्युत् से सस्ती होती है और प्रत्येक स्टेशन की बिजली की दरें अलग अलग हैं । प्रत्येक स्टेशन में उत्पादन लागत के अनुसार प्रशुल्क निर्धारित किया जाता है ।

†**श्री रंगा** : क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही को जा रही है कि एक क्षेत्र के स्टेशन में पैदा की जा रही बिजली व्यर्थ न जा रही हो जबकि अन्य क्षेत्रों में बिजली की कमी हो और इस प्रकार से उपलब्ध बिजली का उपयुक्त उपयोग किया जाये ।

†**श्री हाथी** : यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि सभी बिजली घरों को मिलाने वाला एक 'ग्रिड' (विद्युत् जाल) हो । जैसा कि सभा को ज्ञात है, हम तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में दक्षिणी जोन के लिये एक 'ग्रिड' बनाने के सम्बन्ध में यत्न कर रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय उपमन्त्री के अनुसार उत्पादित विद्युत् और बेची गयी बिजली में सामान्यतया १६ प्रतिशत बिजली बेकार चली जाती है जबकि इस विवरण के अनुसार प्रत्येक मामले में यह हानि २० प्रतिशत से अधिक है । माननीय मन्त्री इस बात का क्या उत्तर देंगे और इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैंने बताया है, सामान्यतया नुकसान १६ प्रतिशत होता है । परन्तु कुछ स्टेशनों में हलकी तारें होने के कारण नुकसान अधिक होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बार बार यही पूछने का यत्न कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी अतिरिक्त बिजली है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

†**श्री हाथी** : ऐसी कोई भी अतिरिक्त बिजली नहीं है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो । उत्पादन की जा रही या की जा सकने वाली सम्पूर्ण बिजली का उपयोग किया जा रहा है । जैसा कि सभा को ज्ञात है, हम तो बिजली की कमी महसूस कर रहे हैं । अतः ऐसी कोई भी बिजली नहीं जिसका उपयोग न किया जा रहा हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : माननीय मन्त्री अभी अभी रिहान्द विद्युत् के सम्बन्ध में कह रहे थे। रिहान्द में उत्पादित बिजली में से कितने प्रतिशत बिजली जनता के उपयोग के लिये दी जायेगी? जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है, ९० प्रतिशत बिजली केवल दो कम्पनियों को दी जायेगी और वे हैं—टाटा और रेलवे ।

†**श्री हाथी** : वास्तव में बिजली वितरण का मामला राज्य सरकारों और राज्य विद्युत् बोर्डों पर अधिक निर्भर करता है। हमारे पास आंकड़े नहीं हैं कि प्रत्येक राज्य कितनी बिजली दे रहा है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : वहां लगाया जाने वाला सम्पूर्ण धन भारत की जनता का है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस विद्युत् का हम उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : राज्य में सरकार भी तो है।

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री जी को पता है कि उत्तर बिहार में पावर से सिंचाई का जो काम होता है उस के लिये उपयुक्त पावर नहीं मिलती, और जो पावर मिलती भी है, वह किसानों के लिये बहुत ज्यादा खर्चीली पड़ती है ।

†**श्री हाथी** : यह तो विभिन्न राज्यों के अपने मामले हैं। अब हम सामान्य रूप से बिजली के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के बारे में मुझे इस समय पता नहीं है :

श्री राधेलाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि चम्बल से अभी बिजली का जितना उत्पादन किया जाना चाहिये उतना नहीं किया जा रहा है, और जितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है उस का उपयोग नहीं हो रहा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितनी बिजली का उपयोग हो रहा है, और अगर उस का उपयोग नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ?

†**श्री हाथी** : जहां तक चम्बल विद्युत् का सम्बन्ध है, उस की ३७,००० किलोवाट बिजली मध्य प्रदेश के भाग में है। उसके प्रबन्ध के सम्बन्ध में राज्य प्रबन्धकारियों और राज्य विद्युत् बोर्ड में मतभेद था। हम ने वह मामला राज्य सरकार को सौंप दिया है और उन्होंने हमें सूचित किया है कि उन्हों ने सारा मामला निपटा लिया है ।

राजा महेन्द्र प्रताप : क्या मैं पूछ सकता हूं कि सूर्य की गर्मी से कितनी पावर पैदा की जा रही है, हवा की शक्ति से कितनी पावर पैदा की जा रही है और यह जो नदियां बह रही हैं पहाड़ों में, उन से कितनी पावर पैदा करने की कोशिश की जा रही है ?

श्री हाथी : सूर्य की किरणों से कोई पावर जेनरेट नहीं होती है, लेकिन जो नदी का पानी . . .

अध्यक्ष महोदय : मनुष्यों में हो रही है ।

†**श्री हाथी** : मनुष्यों में हो रही है, ऐसे तो एग्रीकल्चर में भी एनर्जी है, जहां तक जल-विद्युत् का सम्बन्ध है उसके बारे में मैंने आंकड़े दे दिये हैं। प्रश्न के उस भाग का उत्तर तो दिया जा सकता है, परन्तु अन्य भागों का उत्तर मैं नहीं दे सकता ।

†**श्री त्यागी** : जब बिजली किन्हीं फर्मों या व्यक्तियों को बेची जाती है तो उस समय दरों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कौन करता है ? क्या राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से पूछे बिना ही दर निर्धारित कर सकती हैं या कि केन्द्रीय सरकार से भी पूछा जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** सामान्यतया राज्य सरकारें और राज्य विद्युत् बोर्ड ही दरों के बारे में निर्णय करते हैं ।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** उत्पादित विद्युत् में से कितने प्रतिशत बिजली ग्रामीणों को दी गयी थी और कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्रों को दी गयी थी ?

†**श्री हाथी :** मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि देश में सब से कम बिजली आसाम में पैदा की जा रही है और यदि हां, तो आसाम को भी अखिल भारतीय स्तर पर लाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री हाथी :** हम बिजली का उत्पादन बढ़ा रहे हैं । मेरा अनुमान है कि बड़ापानी जल विद्युत् योजना से विद्युत् का उत्पादन बढ़ जायेगा । परन्तु यह सच है कि आसाम में कम बिजली का उत्पादन हो रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि विद्युत् उत्पादन तथा वितरण के असंतुलित आवंटन के कारण अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? उस सम्बन्ध में तृतीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के लिये किया गया आवंटन इस का ज्वलन्त उदाहरण है ।

†**श्री हाथी :** सामान्यतया राज्य योजनायें बनाते समय राज्य सरकारों के सुझावों के बारे में योजना आयोग द्वारा विचार किया जाता है । जहां तक संसाधन उपलब्ध हैं, हम अधिक पारेषण लाइनें लगाने का यत्न कर रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि राजस्थान सरकार ने बिजली के वितरण के लिये २५ करोड़ रुपये मांगे हैं जबकि आप ने केवल ७ करोड़ रुपये ही आवंटित किये हैं जिन से बिजली के वितरण के कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

†**श्री हाथी :** यह तो उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या राज्य उस के लिये स्वयं ऋण जमा नहीं कर सकता ? अब अगला प्रश्न ।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा

\+

†*१७६. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अभी हाल में त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विकास करने की कोई प्रस्थापना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्थापना स्वीकार कर ली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** (क) और (ख). सरकार ने दो परियोजनायें मंजूर की हैं। और वे हैं—(१) एक एप्रेन और टेक्सी मार्ग का निर्माण करना और (२) धावन पथ का विस्तार करना ताकि उसे वाइकांउन्ट विमानों के इस्तेमाल के योग्य बनाया जा सके। इस पर कुल लगभग ७.७० लाख रुपयों की लागत आयेगी ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को उस कोजिकोडे हवाई अड्डे से मिला दिया जायेगा जो कि शीघ्र ही तैयार किया जायेगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं समझ नहीं सका कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को किसी दूसरे हवाई अड्डे से मिलाने से क्या तात्पर्य है। सब से अधिक लम्बे धावन पथ (रनवे) की लम्बाई लगभग १०,००० फुट है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका तात्पर्य भूमि के मार्ग से मिलाना नहीं, अपितु वायुपथ से सम्बन्ध स्थापित करना है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि फिलहाल कोजिकोडे में हवाई अड्डा बनाने की कोई प्रस्थापना नहीं । इसलिये दोनों को मिलाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वारियर :** इस एप्रेन के निर्माण और नयी परियोजना का कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा।

†**श्री मुहीउद्दीन :** यह कार्य आरम्भ कर दिया गया है। अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा धावन पथ के विस्तार के सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं। अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में कार्य पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है। आशा है कि इस समय जिस परियोजना पर विचार किया जा रहा है, उस का कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या हवाई अड्डों की स्थापना और विकास के सम्बन्ध में द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित कार्यक्रम को ध्यान में रखा जाता है या कि ये कार्य बिना किसी कार्यक्रम के ही किये जाते हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये निश्चित कार्यक्रम हैं। हम सामान्य उसी कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं, हां, कभी कभी अत्यधिक आवश्यकता के समय कार्यक्रम से अलग भी कुछ कार्य कर लिये जाते हैं ।

†**श्री पुन्नूस :** माननीय मंत्री ने बताया है कि फिलहाल कोजिकोडे में हवाई अड्डा बनाने की कोई प्रस्थापना नहीं है। मैं उन्हें याद दिला देना चाहता हूं कि इस प्रकार की एक प्रस्थापना थी जैसाकि इसी सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था। उस परियोजना का क्या बना है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस स्थान तथा अन्य स्थानों पर भी हवाई अड्डे बनाने के सम्बन्ध में कई प्रस्थापनायें थीं। परन्तु जब हम ने इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक विचार किया, तो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने हमें यह सूचित किया कि उस प्रस्थापित स्थान तक हवाई सेवा प्रारम्भ करने का अभी उस का कोई विचार नहीं है। अतः हम ने यह सोचा कि जब वहां पर हवाई सेवा प्रारम्भ करने की कोई संभावना नहीं है तो अन्य स्थानों के लिये आवश्यक धन को इस स्थान पर व्यर्थ में नहीं लगाना चाहिये ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या चण्डीगढ़ में हवाई अड्डे के विकास के सम्बन्ध में भी कोई प्रस्थापना है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह केरल में है ? अब अगला प्रश्न ।

†मूल अंग्रेजी में

चीनी का निर्यात

†१७७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चीनी मिल संघ को कुछ चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है और इस से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्ति की संभावना है;

(ग) निर्यात की जाने वाली चीनी का क्या मूल्य रहेगा; और

(घ) भारतीय चीनी मिल संघ के साथ क्या कुछ शर्तें भी सरकार ने निर्यात के सम्बन्ध में रखी हैं ?

खाद्य तथा कृषि उप मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (घ). विवरण सदन के सामने रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) ५०,००० टन चीनी सितम्बर, १९६० में, और इस के अतिरिक्त ५०,००० टन जनवरी, १९६१ में निर्यात के लिये दी गई। इस मात्रा पर उपलब्ध विदेशी मुद्रा लगभग ४ करोड़ के होगी।

(ग) इस मात्रा पर सामान्य नौतल पर्यन्त निःशुल्क (नौ० त० नि०) प्राप्ति लगभग ३० पौंड प्रत्येक मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

(घ) जी नहीं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशों को जो चीनी का निर्यात किया जा रहा है, इसमें क्या एक्साइज ड्यूटी के अन्दर कोई छूट दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** उत्पादन शुल्क की छूट दे दी गयी है। निर्यात की जाने वाली चीनी पर जरा भी उत्पादन शुल्क नहीं लिया जाता।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या विदेशों में चीनी के मूल्य भारतीय कीमतों से कम हैं; और यदि हां, तो क्या सरकार चीनी के निर्यात के लिये राजकीय सहायता देने का विचार रखती है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** हमारी चीनी विश्व चीनी की तुलना में मंहगी है, अर्थात् विश्व मार्केट में हमारी चीनी के मूल्य विश्व चीनी मूल्य की तुलना में लगभग ३०० रुपये प्रति टन अधिक है। अत: जब भी हम चीनी का निर्यात करते हैं तो हमें कुछ नुक्सान सहना पड़ता है। इस समय जो जितनी भी चीनी का निर्यात किया जाता है उसका नुक्सान सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** मेरा प्रश्न . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** राजकीय सहायता के सम्बन्ध में।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** माननीय प्रधान मंत्री यह पहले ही बता चुके हैं कि सारा मामला अभी विचाराधीन है। मैंने इसी बात को दूसरे ढंग से कहा है। प्रधान मंत्री जी ने इसे स्पष्ट कर दिया है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या इस अन्तर को भारतीय चीनी मिल्स असोसियेशन द्वारा पूरा किया जायेगा या कि सरकार द्वारा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० व० कृष्णप्पा :** सरकार ही पूरा करेगी। चीनी मिल्स असोसियेशन इसे पूरा नहीं कर सकतीं।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** क्या यह सच है कि अमरीका को चीनी भेजने के सम्बन्ध में अमरीकन सरकार से कोई बात चीत की जा रही है ?

†**श्री मो० व० कृष्णप्पा :** भारतीय चीनी मिल्स असोसियेशन के सभापति और उप-सभापति इस समय अमरीका में हैं और अमरीकन सरकार से बातचीत कर रहे हैं। वे इस सम्बन्ध में यत्न कर रहे हैं कि वहां पर भारतीय चीनी बेची जा सके।

†**श्री त्यागी :** चीनी के निर्यात पर वित्त मंत्री ने कितना नुक्सान वहन करना स्वीकार कर लिया है ? माननीय मंत्री ने अभी अभी यह कहा है कि भारतीय चीनी विदेशों में लागत की तुलना में ३०० रुपये प्रति टन कम कीमत पर बेची जा रही है। मिल मालिक तो लागत के अनुसार कीमत प्राप्त करेगा। शेष राशि सरकार को वहन करनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कुल कितनी राशि वहन करना स्वीकार किया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वर्तमान स्थिति यह है कि निर्यात किये जाने वाले प्रत्येक मन पर भारत को १३ से १४ रुपये का नुक्सान उठाना पड़ता है। उस घाटे को पूरा किया जा रहा है। भविष्य के बारे में अभी विचार किया जा रहा है।

†**श्री त्यागी :** प्रश्न यह है कि कुल कितना नुक्सान उठाना पड़ेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** प्रत्येक मन चीनी के निर्यात पर लगभग १३ रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है।

†**श्री त्यागी :** कुल कितना घाटा वहन किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो निर्यात की जाने वाली कुल मात्रा पर निर्भर करता है।

†**श्री त्यागी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने कुल कितनी चीनी का निर्यात करने का निर्णय किया है ताकि मैं हिसाब लगा सकूं कि राज्य कोष को कुल कितना नुक्सान वहन करना पड़ेगा।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जैसा कि मैं बता चुका हूं, ४ से ५ लाख टन चीनी का हम निर्यात कर सके हैं। यदि यह चीनी अमरीका के अतिरिक्त अन्य देशों को भेजी गयी हो तो नुकसान अधिक हुआ होगा। जब चीनी अमरीका को भेजी जाती है, तो अमरीका अपेक्षाकृत अधिक दाम देता है। वे स्थानीय मार्केट भाव के अनुसार दाम देते हैं। अतः अमरीका को भेजने पर कम नुक्सान होता है और अन्य देशों को भेजने पर अधिक नुक्सान होता है।

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या देश की चीनी सम्बन्धी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान गन्ना पेरने के मौसम में निर्यात के लिये चीनी की मात्रा को बढ़ाने के सम्बन्ध में किसी प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जैसा कि मैंने बताया है, गत वर्ष हम ५ लाख टन चीनी का निर्यात कर सके थे, इस वर्ष ५ लाख टन चीनी यहां अतिरिक्त होगी। अगले वर्ष में भी हम ५ लाख टन चीनी का निर्यात कर सकेंगे। हो सकता है कि वह ५ लाख टन चीनी पिछले साल की चीनी में से हो या इस वर्ष की चीनी में से हो। वह तो एक मिला जुला मामला होता है।

†**श्री त्यागी :** कुल नुक्सान १०० करोड़ रुपये का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** हिसाब आप स्वयं लगा लें। ५ लाख टन १४ रुपये प्रति मन के हिसाब से।

†**श्री मुरारका :** १५ करोड़ रुपये बनता है।

†**श्री त्यागी :** जी, हां १५ करोड़ रुपयों का नुक्सान तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस व्यापार से क्या लाभ हुआ। पर विदेशी मुद्रा तो किसी और प्रकार से कमायी जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे यह पूछना चाहते हैं कि इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की आशा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** उससे हमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। एक लाख टन चीनी ४ करोड़ रुपयों में बेची जा रही है। यदि हम अमरीका को चीनी बेचें तो हम ५० प्रतिशत और अधिक राशि प्राप्त करते हैं। अर्थात् विदेशी मुद्रा के रूप में हम प्रति लाख टन चीनी पर ५ से ६ करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या यह सच है कि सरकार निर्यात के घाटे को पूरा करने के लिये देश में चीनी के मूल्य बढ़ा देने का विचार रखती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** आय व्ययक के पेश होने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

†***१७८. श्री अजित सिंह सरहदी:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने भारतीय शरणार्थियों को विभाजन-पूर्व राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों की कितनी राशि अदा की है और कितनी राशि प्रमाणित की है ; और

(ख) अभी कितनी राशि बकाया है और शीघ्र अदायगी के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) अनुमानतः २.०३ करोड़ रुपये की कुल लागत के ४१९९४ दावे।

(ख) लगभग ९७.७५ लाख रुपये की कुल लागत के २०४४० दावे। भारत सरकार ने प्रमाणित सूचियों के विनिमय के लिये २०-११-६० को एक सम्पर्क पदाधिकारी कराची भेजा है और काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** विलंब का क्या कारण था और सम्पर्क पदाधिकारी को पहले क्यों नहीं भेजा गया था ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** दो सरकारों के बीच हमें उनके आगमन तथा अपने जाने पर निर्भर होना पड़ता है और इस में समय लगता है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** भुगतान पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** यह इस बात पर निर्भर है कि हमारा सम्पर्क पदाधिकारी क्या करने में समर्थ होता है।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान उस मामले की ओर आकर्षित किया गया है जिस में विभाजन के समय भारत के लोगों को भेजे गये कुछ धन देश अभी तक नहीं किये गये हैं।

†**डा० प० सुब्बरायन :** मुझे यह मालूम नहीं है कि क्योंकि यह इस प्रश्न का भाग नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाईकाउंट सेवा

+

†*१७९. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम जी वर्मा :
श्री दामानी :
श्रीमती कृष्णा मेहता :
श्री खुशवक्त राय :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आसर :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री हेम बरुआ :
श्री सूपकार :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री वाजपेयी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री सम्पत :
श्री प्र० गं० देव :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री साधन गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री कालिका सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाइकाउंट-विमानों में कुछ नुक्स पाये गये हैं और विमान के निर्माता-विकर-आर्मस्ट्रांग ने संयुक्त पंखों (ज्वाइन्ट विंग्स) का निरीक्षण करने और विमानों की रफ्तार घटाने का परामर्श दिया है ;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वाइकाउंट विमानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो कितने वाइकाउंट विमानों पर ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या ये नुक्स दूर कर दिये गये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो वाइकाउंट सेवा के पुनः कब चालू होने की संभावना है ;

(च) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा प्राप्त वाइकाउंट विमानों की कुल कीमत कितनी है ; और

(छ) क्या इस वजह से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कुछ नुक्सान हुआ है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) जिन १० वाइकांउटों का निरीक्षण किया गया है, उनमें से ८ ने ३०-१-१९६१ को काम आरम्भ किया, तथा जिन दो विमानों में त्रुटियां थीं उनकी मरम्मत की जा रही है ।

(च) १० वाइकांउटों तथा पुर्जों आदि की कुल लागत ७०२.०० लाख रुपये के लगभग है ।

(छ) जी, हां, किन्तु इस समय निगम इस हानि का अनुमान नहीं लगा सकती, चूंकि यह मालूम नहीं है कि ये दो विमान जो खड़े हैं कब तक चलाये जायेंगे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वाइकांउटों और दूसरे विमानों का प्रति छः महीनों में निरीक्षण किया जाता है और क्या त्रुटियां भारतीय विमान कर्मचारियों द्वारा क्यों नहीं देखी गईं ? त्रुटियां मध्य अफ्रीका में देखी गई थीं, जब मध्य अफ्रीका के लिये नई योजना जारी की गई थी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : विमानों का निरीक्षण तथा ओवरहाल अनुसूची के अनुसार किया जाता है । परन्तु जिस भाग में त्रुटि पाई गई है, उसमें, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, त्रुटि केवल एक कर्णातीत उपकरण के द्वारा देखी गई थी, जिसका लन्दन से आयात किया जाना था । विशेष काम के लिये एक विशेषज्ञ को आना था ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि पड़ताल के लिये पहल विकर आर्मस्ट्रौंग ने की थी न कि हमारे निगम ने और यदि ऐसी बात है तो उसकी दृष्टि से, क्या सरकार इसके लिये, कि विमानों का नियमित निरीक्षण किया जाए और भविष्य में ऐसी कोई बात न होने पाए, अधिक सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह पहल निर्माताओं ने केवल भारत के लिये ही नहीं की थी, बल्कि पूरे विश्व के लिये की, जहां कहीं वाइकांउटों का प्रयोग किया जा रहा है । यह विशेष प्रकार को त्रुटि पाई थी और यह विशेष उपकरण के द्वारा ही जानी जा सकती थी । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन सार्वधिक निरीक्षण के लिये वह उपकरण खरीदने का विचार करती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : शेष दो वाइकाउंट अपनी उड़ानें कब आरम्भ करेंगे और मरम्मत का व्यय कौन देगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे पक्का पता नहीं कि वे उड़ान कब अरम्भ करेंगे । संभव है उनमें से एक विमान दो महीनों के समय में उड़ान आरम्भ करे । दूसरे विमान को सम्भव है कि कुछ अधिक समय लग जाए । मैं यह बताने में समर्थ नहीं हूं कि वास्तविक मरम्मत का व्यय कौन देगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्ज़ कार्पोरेशन ने विकर आर्मस्ट्रौंग से कर्णातीत उपकरण उधार देने की प्रार्थना की है ; यदि हां तो क्या उन्होंने देना स्वीकार कर लिया है ? यदि उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो इस बीच इस विमान की पड़ताल करवाने के लिये सरकार क्या विशेष उपाय करना चाहती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि वह खरीद रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन ने विमान पंखों का अध्ययन करने के लिये उपकरण उधार मांगने के लिये विकर आर्मस्ट्रौंग से प्रार्थना की है । मैं माननीय मंत्री से विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या विकर आर्मस्ट्रौंग इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं; यदि नहीं, तो इसके खरीदे जाने से पूर्व अन्तरिम अवधि में सरकार और क्या उपाय करने का विचार करती है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस विशिष्ट स्पार बूम की जांच की जा चुकी है और यह आठों विमानों में ठीक पाया गया है । इन आठ विमानों के सावधिक निरीक्षण के लिये इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन कर्णातीत उपकरण खरीदना चाहता है जो भारत में लाया गया था । जहां तक सावधिक पड़ताल का सम्बन्ध है, हम बिल्कुल स्वतंत्र और स्वावलम्बी होंगे । जहां तक दोनों विमानों का सम्बन्ध है, निस्संदेह उनकी मरम्मत की आवश्यकता है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जिन से वाइकाउंट्स को खरीदा था तो उन्होंने क्या कोई गारंटी दी थी कि इतने दिनों के अन्दर यदि उनमें कोई खराबी होगी तो वे उसको दुरुस्त कर देंगे और दूसरे यह कि जो उनकी दुरुस्तगी में खर्च पड़ेगा तो क्या उसको वह कम्पनी देगी ?

श्री मुहीउद्दीन : जब इनको खरीदा गया था तो इसके मुताल्लिक यह गारंटी थी कि ६ महीने या ८ महीने तक अर्थात् इतनी मुद्दत तक अगर उनके अन्दर कोई खराबी पैदा होगी तो उसकी मैनुफैक्चरर्स चन्द शरायत के अन्दर जिम्मेदारी लेंगे लेकिन इन वाइकाउंट्स को खरीदे हुए तकरीबन अब तो चार साल का जमाना हो गया है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : सब वाइकाउंटों को बदलने से समूचे प्रश्न पर विचार करते समय, जो विमान खराब पड़े हैं, क्या हमने कानपुर में बनाये गये ऐवरो विमान के पक्ष में दिये गये अच्छे समायपत्रों की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और क्या हम अपना कार्यक्रम इस ढंग से बनायेंगे कि हम इन ऐवरो विमानों का उपयोग कर सकें ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है । हम ऐवरो विमान लेंगे या कि नहीं, यह अभी विचाराधीन है ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : मेरा नाम है । क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका नाम अन्य कई नामों के साथ है जिन्हें मैंने नहीं बुलाया । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गंडक परियोजना

†*१८०. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में अभी हाल ही में सरकार के बदल जाने से भारत सरकार को गंडक परियोजना के निर्माण कार्य में कोई कठिनाई अनुभव हुई है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'ना' में हो, तो क्या बांध के निर्माण कार्य के शुरु होने के लिए सरकार ने कोई समय-सीमा निश्चित की है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) यद्यपि बांध का निर्माण आरम्भ करने के लिये अभी कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है, दिसम्बर, १९६१ में काम आरम्भ किये जाने की आशा है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : नेपाल के साथ करार करने के पश्चात् भी निर्माण कार्य आरम्भ करने में इतना अधिक विलम्ब क्यों हुआ है ?

†**श्री हाथी** : क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कुछ प्रविधिक टिप्पण दिये हैं और परियोजना को अन्तिम रूप देना है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : परियोजना को जिसमें नहरें और बिजली की लाइनें शामिल हैं, पूरा करने के लिये कितना समय लगने की आशा है ?

†**श्री हाथी** : परियोजना की पूर्णता में आठ वर्ष लगेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि गंडक प्रोजेक्ट का काम फौरेन एक्सचेंज की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके लिए २५ लाख रुपया बिहार गवर्नमेंट ने मांगा है और सेंट्रल गवर्नमेंट दे नहीं रही है और जिसकी कि वजह से काम बन्द है ?

श्री हाथी : अभी बिल्डिंग्स् और रोड्स के कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा है और फौरेन एक्सचेंज के लिये तजवीज हो रही है । उसमें कोई देर नहीं हो रही है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस परियोजना पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

†**श्री हाथी** : कुल व्यय ५२ करोड़ रुपये है ।

†**श्री का० ना० पांडे**: इस तथ्य की दृष्टि से कि यह नहर बनाई जा रही ह, उस नहर का क्या होगा जो पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी ?

†**श्री हाथी** : यह पृथक नहर होगी।

जल दूषण नियंत्रण बोर्ड

+
†*१८१. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में नदियों के जल के दूपित होने पर नियंत्रण करने के लिये समुचित रूप से एकीकृत कार्यक्रम का विकास करने के उद्देश्य से जल-दूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करने का है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रकार के कार्यों के लिये वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नवम्बर, १९६० में नई दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरों का चौथा सम्मेलन हुआ था, उसने यह सिफारिश की थी कि केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर जल दूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिये आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जाए । सम्मेलन की सिफारिश विचाराधीन है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४१]**

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : किन-किन राज्यों ने ये नदी जल दूषण नियंत्रण बोर्ड बना लिये हैं ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि बंगाल और उत्तर प्रदेश ने बना लिये हैं और मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश सरकारें वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य विधियों के अन्तर्गत इसे करने का विचार रखती हैं ।

†**श्री पलनियांडी** : क्या सरकार नगरपालिकाओं और निगमों की सहायता करेगी यदि वे इस दूषण को रोकने का प्रयत्न करेंगे ?

†**श्री करमरकर** : जी, हां । यह हमारी सामान्य नीति है, केवल कठिनाई पर्याप्त संसाधनों की कमी है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : मैं समझता हूं कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने भी कलकत्ता में एक औद्योगिक बेकार वस्तु निस्सारण एवं जल दूषण अनुसंधान संस्था स्थापित की है । क्या दूसरे राज्यों में भी ऐसी इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री करमरकर** : हम चाहते हैं कि इस मामले में सब संभव उपाय किये जाएं । कोई भी उद्योग स्थापित होता है तो उससे दूषण होने की संभावना होती है विशेषकर उनसे, जो जल संभरण और उस जैसी चीजों के पास होते हैं । अतः हमने इस मामले की ओर थोड़ा अधिक ध्यान देना वांछनीय समझा है । हमने भारत सरकार के प्रत्यक मंत्रालय से प्रार्थना की है कि वह औद्योगिक विकास के मामले की सूचना हमें दें और जब उनको जल दूषण से सुरक्षा की दृष्टि से ठीक समझा जाए, तब उनकी अनुमति दें ।

खाद्यान्नों के मूल्य

†*१८२. + **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ में देश में खाद्यान्नों के मूल्य में और कमी होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). १९६१ के खाद्यान्नों का मूल्य किस मात्रा तक कम हो सकता है इसकी पूर्व घोषणा करना कठिन है। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि यदि अच्छी खरीफ की फसल हुई और रबी की फसल के अच्छे अवसर हुए, तो वर्ष में मूल्य कुछ मन्दे रहेंगे।

(ग) उचित मूल्यों वाली दुकानों के द्वारा खाद्यान्नों के वितरण की वर्तमान व्यवस्था संतोष-जनक ढंग से चल रही है और कोई नवीन कार्रवाई का विचार नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि बाढ़ों तथा हाल में पड़े हुए ओलों के कारण फसलों को क्षति पहुंची है ; यदि हां, तो इसके लिये कि मूल्य न बढ़े, क्या कार्रवाई की गई हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस महीने के आरम्भ में कुछ ओले पड़े थे, ठण्डी पवनें चली थीं तथा भारी वर्षा भी हुई थी। हमेशा की तरह इधर उधर क्षति की सूचना मिली थी, परन्तु समूचे तौर पर हमें प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, तथा हमने इनमें से कुछ स्थान देखे भी हैं, इस ठंड तथा भारी वर्षा का समूचा प्रभाव रबी की गेहूं की फसल के लिये बहुत अच्छा रहा है। यही कारण है कि मूल्यों के चढ़ने की संभावना नहीं है। हम गेहूं की अच्छी फसल की आशा करते हैं।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो उत्तर प्रदेश में २ और ६ फरवरी को हेलस्टौर्म हुआ है उससे वहां पर बहुत-सी जगहों पर फसल बिल्कुल खराब और नष्ट हो गई है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : एक आध जगह ऐसा जरूर हुआ है लेकिन ज्यादा जगहों पर तो उसके अच्छे नतीजे भी हुए हैं। हम अच्छी रबी फसल की आशा रखते हैं, हालांकि कुछ ओले पड़े थे और इधर उधर कुछ क्षति हुई थी। इन वर्षाओं ने गेहूं की फसल की सहायता की है और इस वर्ष ७६० लाख टन अनाज की आशा है, जितनी इस देश में अभी तक पैदा नहीं हुई।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मन्त्री के इस वक्तव्य की दृष्टि से, कि इस वर्ष ७६० लाख टन फसल की आशा की जा रही है, मूल्य गिरने तथा किसानों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। क्या सरकार ने कृषिजन्य मूल्य निर्धारण समिति की चिर-प्रतीक्षित नियुक्ति पर अब विचार किया है और क्या वे इसकी नियुक्ति के लिये शीघ्र कारवाई करेगी ताकि किसानों को कम मूल्यों से हानि न होने पाये ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम जानते हैं कि इस वर्ष हमारी अच्छी फसल होगी परन्तु हम स्थिति देख रहे हैं। जहां खण्डों के विस्तार द्वारा तथा बाजार में सरकार के आने के कारण, मूल्य गिर गये हैं, मूल्य स्थिर रखे गये हैं। देश के किसी कोने से घबराने वाली कोई सूचना नहीं कि मूल्य बहुत गिर गये हैं और सरकार को बाजार में आने का विचार करना पड़े।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : मद्रास और केरल राज्यों में इस समय जो उचित मूल्य वाली दुकानें चल रही हैं क्या वे इस वर्ष में जारी रखी जायेंगी अथवा क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से उनमें से कुछ को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : सरकार के पास इन उचित मूल्यों वाली दुकानों को जारी रखने के लिये पर्याप्त खाद्यान्न है, परन्तु यदि कोई आवश्यकता नहीं, तो इन्हें रखने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उत्पादन बढ़ गया है और इन दुकानों को रखने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि आप उन्हें रखें या न रखें, इन दुकानों में बिक्री नहीं होगी । परन्तु सरकार के पास स्टाक काफी है —इन दुकानों को देने के लिये ३० लाख टन अनाज है ।

†**श्री रंगा** : इन मूल्यों को स्थिर करने तथा किसानों के लिये स्थिर रूप से न्यूनतम पारिश्रमिक एवं उचित मूल्यों की व्यवस्था करने के लिये चाहे मुद्रास्फीति का कोई भी परिणाम हो, क्या कारवाई की जा रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जब माननीय मन्त्री ने पिछले सत्र में आध घंटे की चर्चा का उत्तर दिया तो उन्होंने मूल्य निर्धारण निकाय का भी उल्लेख किया था । अतः इन सब बातों का उत्तर सभा में दिया जा चुका है । परन्तु सरकार इसके लिये सब उपाय कर रही है कि मूल्य बहुत अधिक न गिरें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अब जबकि देश में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हैं, जिसके आंकड़े माननीय मन्त्री ने दिये हैं, क्या उचित मूल्य दुकानों और खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्यों में बहुत अधिक अन्तर है ? यदि मूल्यों का अन्तर कम किया जा रहा है, तो एकरूप मूल्य क्यों नही हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उचित मूल्य दुकानों में मूल्य खुले बाजार के मूल्यों से हमेशा कम होते हैं ।

†**एक माननीय सदस्य** : ऐसा क्यों होता है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह अन्तर किस्म के कारण होता है । सामान्यतया आयात किया गया चावल या गहूं उचित मूल्य वाली दुकानों के द्वारा बेचा जाता है, और हमेशा लोग इसे पसंद नहीं करते । अतः उपभोक्ता हमेशा खुले बाजार में अधिक मूल्य देकर अपनी पसन्द का अनाज खरीदता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक वर्ग ऐसा है जो किसानों के लिये अधिक मूल्य चाहता है, और दूसरा वर्ग उपभोक्ताओं के लिये कम मूल्य चाहता है । यह द्वन्द्व हमेशा चलता रहता है ।

†**श्री त्यागी** : क्या विभिन्न प्रदेशों में खाद्यान्नों के उत्पादन की लागत की जांच करने का कोई प्रयत्न किया गया है, अर्थात् किसान को अनाज पैदा करने में कितनी लागत आती है और यदि हां, तो क्या सरकार उस जांच का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें०कृष्णप्पा :** यह विस्तारपूर्वक नहीं किया गया । इधर उधर कालेज यह कर रहे हैं और उत्पादन लागत जानने के इस काम पर कुछ परियोजनाएं लगाई गई हैं। परन्तु यदि इसे वैज्ञानिक ढंग पर किया जाए, तो इसे बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिये क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की जलवायु है, और बहुत-सी स्थितियां हैं जो स्थान स्थान पर और राज्य राज्य में भिन्न भिन्न हैं और वास्तव में एक भाई के खेत तथा दूसरे भाई के खेत में भिन्न हैं अतः उत्पादन लागत में बहुत अधिक अन्तर होता है । अभी तक व्यापक और विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

†श्री त्यागी : क्या सरकार ने किसी प्रदेश में सर्वेक्षण किया है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जी, हां । सब कालेजों में एक सामान्य सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

माल-डिब्बों और इंजनों के हिस्सों का आयात

†*१७२. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल-डिब्बों और इजनों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले हिस्सों का १९६० में कुल कितना आयात किया गया ;

(ख) देश में इन हिस्सों का निर्माण करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९६० में माल डिब्बों और स्टीम इंजनों के हिस्सों के आयात के लिये रेलवे मन्त्रालय द्वारा दी गई विदेशी मुद्रा की राशि दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२]** ।

(ख) कुछ चीजों को छोड़ कर माल डिब्बों और स्टीम इंजनों में प्रयोग में आने वाले पुर्जों का देश के निर्माण करने के लिये कार्य आरम्भ कर दिया गया है, और निकट भविष्य में सब का निर्माण किया जाएगा ।

(ग) पर्याप्त क्षमता, आवश्यक ढंग का कच्चा माल और कुछ हिस्सों के निर्माण के लिये विशेष मशीनों का उपलब्ध न होना ।

अखिल भारतीय ग्राम्य संचार निधि

†*१७३ **श्रीमती. इला पालचौधरी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता के क्षेत्र और मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक पर्याप्त और व्यपगत न होने वाली अखिल भारतीय ग्राम्य संचार निधि की

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थापना करने के लिए दूसरे वित्त आयोग की सिफारिश को क्रियान्वित करने के प्रश्न पर भारत सरकार पुन: विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) और (ख). पर्याप्त और व्यपगत न होने वाली अखिल भारतीय ग्राम्य संचार निधि की स्थापना की सिफारिश करारोपण जांच आयोग द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने १९५५–५६ में इस पर विचार किया था और तब यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सामान्य योजना के होते हुए कुछ ऐसी निधि स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। मामले पर पुन: सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल को उर्वरकों का सम्भरण

†*१८३. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये, १९६१ में पश्चिम बंगाल को पिछले वर्ष सम्भरित किये गये रासायनिक उर्वरकों से ३५,००० टन अधिक मात्रा में उर्वरक देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) क्या रासायनिक उर्वरकों की यह अतिरिक्त मात्रा केवल पटसन की खेती के लिए निर्धारित है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** :(क) १९६१–६२ के पटसन फसल के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की मांग की है, जिनमें ३३,७०५ टन अमोनिया सल्फेट सम्मिलित है। यह सारी मांग पूरी की जाएगी।

(ख) जी हां।

विदेशी पर्यटकों के लिये होटल सुविधायें

†*१८४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में जो होटल सुविधायें उपलब्ध हैं, वे बड़ी संख्या में भारत आने वाले विदेशी पयटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी पयटकों के लिये पर्याप्त होटल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि कम खर्चीली होटल सुविधाओं की मांग बढ़ गयी है; और

(घ) यदि हां, तो मध्य वर्ग के पर्यटकों के वास्ते होटल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा सचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ग). जी हां ।

(ख) और (घ). होटल उद्योग को नये होटल खोलने और विद्यमान होटलों का विस्तार करने और सुधार करने के लिये प्रत्येक सम्भव सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है । पर्यटन विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर विश्रामगृहों का भी निर्माण किया जा रहा है और राज्य सरकारों को कुछ स्थानों पर निम्न-आय-वर्ग के पर्यटकों के लिये विश्रामगृहों की स्थापना करने के लिये राज-सहायता दी जा रही है ।

पूर्व रेलवे पर दुर्घटनायें

†*१८५. { **श्री आसर :**
श्री हेमराज :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के दीनापुर डिवीजन में जनवरी, १९६१ के तीसरे सप्ताह के दौरान दो रेल दुर्घटनायें हुईं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं की जांच करवायी है; और

(ग) यदि हां, तो इन दुघटनाओं का व्यौरा और कारण क्या थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

पूर्व रेलवे के दीनापुर डिवीजन में २० और २१ जनवरी, १९६१ को हुई दुघटनाओं का संक्षिप्त व्यौरा निम्नलिखित है :

१. २० जनवरी, १९६१ को ५.५५ बजे अप झाझा क्रैक मालगाड़ी "संख्या ९, जबकि वह फुलवाड़ी शेरिफ स्टेशन पर आ रही थी, बड़ी तेजी से दाखिल हुई और 'स्टार्टर" सिग्नल की उपेक्षा करते हुए 'ओवर-रन' लाइन के 'बफर' से टकरा गयी, जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी का इंजन और १६ माल डिब्ब पटरी से उतर गये ।

†मूल अंग्रेजी में

२. २२ जनवरी, १९६१ को लगभग १०.२२ बजे, जबकि ३४९अप गया-मुगलसराय सवारी गाड़ी मुथानी और झाबुआ रोड स्टेशन के बीच जा रही थी, तो पटरी के टूटने से गाड़ी के इंजन का 'टेंडर' और उसके साथ वाली ८ अन्य बोगियां पटरी से उतर गयीं।

३. इनमें से किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।

४. सम्बन्धित रेलवे प्रशासन ने इन दोनों दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिये डिवीजनल अधिकारियों द्वारा विभागीय जांच करवाई है।

जल का पता लगाने के यंत्र[1]

†*१८६. **श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन किसानों को, जो भूमिगत जल संसाधनों की खोज करने के लिये परीक्षण के तौर पर छिद्रण करना चाहते हों, इससे पहले कि वे अर्ध-उत्पीड[2] कुएं खोदने के लिए राज सहायता-एवं-ऋण योजना का लाभ उठा सकें, मान्सफील्ड वाटर फाइन्डर (जल का पता लगाने के यन्त्र) प्रदान किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के कितने यन्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) क्या इन यन्त्रों से सफलतापूर्वक काम हो रहा है ?

†**कृषि उप-मंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम सेवक

†*१८७. **श्री कुम्भार** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्रों में कार्य करने वाले ग्राम सेवकों की नौकरी का क्या भविष्य है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाओं के समान उनकी सेवाओं को अब तक स्थायी बनाया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) ग्राम सेवकों को, उनकी योग्यता, अनुभव और कार्य-सम्पादन के अनुसार, विस्तार अधिकारी (कृषि, सहकार, पंचायत) समाज शिक्षा संगठक, और तदोपरान्त सामुदायिक विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं।

(ख) सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षत्रों से सभी खण्ड-कर्मचारियों को यथासम्भव शीघ्र स्थायी बना देने का अनुरोध किया गया है। आशा है कि वे इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Water finder. [2] Artesian Well.

प्रादेशिक निदेशालय (खाद्य) के कर्मचारी

†*१८८. **श्री नाथ पाई** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक निदेशालय (खाद्य) के बहुत से कर्मचारियों को दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न देय राशियां अभी तक अदा नहीं की गयीं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अदायगी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). वस्तुस्थिति यह है कि खाद्य विभाग के प्रादेशिक निदेशालय में काम करने वाले १०,७६८ कर्मचारियों में से ९००० व्यक्तियों का वेतन केन्द्रीय असैनिक सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, १९६० के अन्तर्गत अधिसूचित पुनरीक्षित वेतन-क्रमों के अनुसार निर्धारित किये जा चुके हैं। इनसभी व्यक्तियों को पुनरीक्षित दरों के अनुसार वेतन और भत्ते दिये जा रहे हैं। वेतन में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, जो १-७-१९५९ से प्रभावी है, मिलने वाली बकायाराशियां लगभग ५००० व्यक्तियों को अदा की जा चुकी हैं। शेष मामलों के बारे में अन्तिम निश्चय करने का काम चल रहा है और इसे उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

ग्राम्य जल संभरण योजनायें

†*१८९. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री तंगामणि :
श्री बाल्मीकी : }

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्था के पांचवें अधिवेशन में, जो २७ दिसम्बर, १९६० को पटना में हुआ, रोगों को रोकने के निरोधक उपायों पर विचार किया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये गये ;

(ग) क्या इनमें गांवों को पीने के पानी का सम्भरण करने के उपक्रम भी शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन सुझावों को श्रीमती लारधाम्मल समिति के पास भेजा जायेगा, जो आजकल इस मामले पर विचार कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बाक्साइट के लिये माल-डिब्बों का आवंटन

†*१९०. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारियों ने भाटिया और भोपालका स्टेशनों पर बाक्साइट को लादने के लिये माल-डिब्बों का आवंटन बन्द कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जनवरी, १९६१ में वहां पर लगभग २५,००० टन बाक्साइट हो गया था; और

(ग) यदि हां, तो माल डिब्बों का आवंटन बन्द कर देने के क्या कारण हैं, और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) सही मात्रा के बारे में जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय ग्राम्य चिकित्सा सेवा

†***१९१. श्री तंगामणि : क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय शल्य चिकित्सक संस्था के २२वें सम्मेलन में जो २७ दिसम्बर, १९६० को पूना में हुआ, राष्ट्रीय ग्राम्य चिकित्सा सेवा की रचना करने का समर्थन किया गया ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) ग्राम चिकित्सा सेवा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) इन विद्यार्थियों को न्यूनतम अवधि में आधारभूत ज्ञान किस प्रकार प्रदान किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: सम्मेलन की कार्यवाही का वृत्तान्त अभी सरकार को नहीं मिला। प्राप्त होने पर इसकी जांच की जायेगी।

गढ़मुक्तेश्वर में सड़क का पुल

***१९२. श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी पर सड़क के पुल के निर्माण-कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसे शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से कौन से विशेष कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) सम्बन्धित सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है और जुलाई, १९६१ तक इसे पूरा कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

गढ़मुक्तेश्वर के पास गंगा नदी पर के पुल के लिए स्वीकृत निर्माण कार्यों तथा इन पर किये गये खर्च का व्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

क्रम संख्या	निर्माण कार्य	स्वीकृत धन राशि	दिसम्बर, १९६० तक की समूची प्रगति	दिसम्बर, १९६० के अन्त तक खर्च के लिए नियत राशि
१	२	३	४	५
१	पुल व इस पर दोनों ओर से मिलने वाली एक एक मील तक की सड़कें . .	७७.९७ लाख रु०	७८.१० प्रतिशत	५५.१३ लाख रु०
२	मेरठ की ओर से मिलने वाली सड़क . .	५.०६ ,, ,,	१००.०० ,,	४.२५ ,, ,,
३	मुरादाबाद की ओर से मिलने वाली सड़क . .	१०.५८ ,, ,,	६१.०० ,,	७.८४ ,, ,,
४	मुरादाबाद की ओर से मिलने वाली सड़क पर मतवाली, छोइयां और बगाद नालों पर के छोटे छोटे पुल	१४.०५ ,, ,,	७७.०० ,,	७.१७ ,, ,,
		१०७.६६ लाख रु०		७४.३९ लाख रु०

खाद्य फसलें

†*१९३. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री सूपकार :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री पांगरकर :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री प्र० ग० देव :
श्री सम्पत :
श्री दामानी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वाल्मीकी :
डा० विजय आनन्द : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष खाद्यान्नों की फसलों के अधिक अच्छे होने की संभावना है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है, और पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में इस बार कितना उत्पादन होगा ; और

(ग) क्या खाद्यान्न की कीमतों में हो रही गिरावट को देखते हुए, खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर करने के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त निकाय नियुक्त करने का विचार है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). १९६०–६१ के लिये खाद्यान्न के उत्पादन के अन्तिम प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु वर्तमान जानकारी के अनुसार १९६०–६१ की खाद्य फसलों का भविष्य पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा है।

(ग) कीमतों में अभी इतनी कमी नहीं हुई कि इस कदम को उठाना जरूरी हो।

व्यास परियोजना की रिपोर्ट

†*१९४. { **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री वामानी : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में पंजाब सरकार द्वारा क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). व्यास परियोजना (व्यास-सतलुज लिंक) के एकक संख्या १ की जांच की जा रही है। इस जांच के पूरा होने के पश्चात्, पंजाब सरकार इस परियोजना की रिपोर्ट तैयार करवायेगी। एकक संख्या २ (पोंग पर बांध) की परियोजना रिपोर्ट मई, १९५९ में तैयार की गयी थी। पंजाब सरकार आधुनिकतम प्रौद्योगिकीय परामर्श और जल विद्या सम्बन्धी अध्ययन के प्रकाश में इस रिपोर्ट का पुनरीक्षण कर रही है।

राजस्थान नहर योजना

†*१९५. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री वाजपेयी : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर योजना के अन्तर्गत जितने क्षेत्र की सिंचाई होने का आश्वासन दिया गया था, क्या इस मौसम में उस सारे क्षेत्र को पानी दिया गया था ;

(ख) क्या पानी की कमी के कारण किसी खड़ी फसल को नुक्सान पहुंचा है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान, पंजाब और राजस्थान को कितना पानी दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राजस्थान नहर का निर्माण अभी हो रहा है और अभी वह सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करने के लायक नहीं बन पायी । अतः इस वर्ष सिंचाई के लिए पानी का संभरण करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान को दिये गये पानी की मात्रा के बारे में आंकड़े इकठे किये जा रहे हैं और उपलब्ध होने पर पेश कर दिये जायेंगे । किन्तु यह बता दिया जाये कि किसी भी वर्ष पाकिस्तान को दिये जाने वाले जल की मात्रा, नदियों के कुल प्रवाह, पाकिस्तान में उपलब्ध प्रतिस्थापन क्षमता और संभरण, और भारत में उपयोग आदि बातों पर निर्भर करती है । ये सब बातें न केवल हर वर्ष बदलती रहती हैं बल्कि किसी एक वर्ष की विभिन्न अवधियों में भी मौसम सम्बन्धी स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ बदलती रहती हैं । इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि भारत द्वारा दिये गये सारे पानी का उपयोग पाकिस्तान द्वारा न किया जाये और उसमें से कुछ पानी, विशेषतः वर्षाकाल में, समुद्र में बह जाये ।

पंजाब और राजस्थान द्वारा पिछले तीन वर्षों में उपयोग किये गये पानी के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है । भारत को उपलब्ध जल के राज्य सरकारों के बीच वितरण का मामला एक आंतरिक मामला है, जिसका सम्बन्ध सम्बन्धित राज्य सरकारों से है । पंजाब और राजस्थान में जितना पानी इस्तेमाल किया गया, उसका अन्दाजा प्रतिदिन विधि स्थानों से छोड़े गये पानी से लगाना पड़ेगा ।

सरदार नगर में डाक तथा तार सुविधायें

*१६६. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार नगर (भावनगर) में कांग्रेस अधिवेशन के समय डाक तार विभाग की ओर से कोई विशेष व्यवस्था की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कितनी अवधि के लिये थी ;

(ग) इस व्यवस्था के अन्तर्गत क्या-क्या सुविधायें दी गईं और उन पर कुल मिलाकर कितना व्यय बैठा ;

(घ) क्या उक्त कांग्रेस अधिवेशन के समय विमान सेवाओं का भी विस्तार किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उससे सरकार को क्या आय हुई और उस पर कितना अतिरिक्त व्यय किया गया ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) डाक तथा तार सम्बन्धी—२६ दिसम्बर, १९६० से १० जनवरी, १९६१ तक ।

टेलीफोन सम्बन्धी—२० दिसम्बर, १९६० से ९ जनवरी, १९६१ तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

(घ) तथा (ङ). भारतीय उड्डयन निगम (इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन) द्वारा बम्बई तथा भावनगर के बीच प्रत्येक दिशा में २३ अतिरिक्त उड़ानें की गई । इन अतिरिक्त उड़ानों से हुई कुल आय लगभग ३२,५०० रुपये थी जब कि कुल लागत ४५,५९५ रुपये थी ।

विवरण

डाक-सुविधाएं	—डाक सम्बन्धी लेनदेन के लिए तीन अस्थायी डाकघर यथा (१) सरदार नगर वितरण डाकघर (२) प्रदर्शनी क्षेत्र डाकघर (३) प्रतिनिधि शिविर डाकघर—खोले गये थे ।
तार-सुविधाएं	—प्रेस तथा अन्य तारों को भारत के विभिन्न मुख्य शहरों में सीधे दूर मुद्रक परिपथों द्वारा भेजने, स्वीकार करने तथा वितरण करने के लिये सरदार नगर (भावनगर) में एक विशेष शिविर तारघर खोला गया । पत्र संवाददाताओं की सुविधा के लिए एक पत्रकार-कक्ष भी खोला गया था ।
टेलीफोन सुविधाएं	—सरदार नगर से स्थानीय तथा ट्रंक काल सुविधायें उपलब्ध करायी गईं ।
लगभग जो खर्च हुआ	—डाक सम्बन्धी कार्यों पर—रु० ९५०.०० न० पै० तार सम्बन्धी कार्यों पर—रु० १२,६२८.०० न० पै० टेलीफोन सम्बन्धी कार्यों पर—रु० २३,१०२.०० न० पै०

उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय यातायात

†*१९७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री पांगरकर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में उर्वरकों के अन्तर्राज्यीय यातायात और निर्यात पर नियंत्रण करने के लिये एक आदेश जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निबन्धन क्या हैं ; और

(ग) इस आदेश को लागू करने की क्या नीति है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) जी हां। ३१–१२–१९६० को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें १–१–१९६१ से निम्नलिखित प्रकार के नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अन्तर्राज्यीय यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया है :—

१. सल्फेट आफ अमोनिया

२. यूरिया

३. अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट

४. कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट

५. अमोनियम नाइट्रेट और कोई अन्य उर्वरक जिसे भारत सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे।

यह आदेश जी० एस० आर० संख्या १५६१ के अन्तर्गत जारी किया गया था और ३१–१२–१९६० को भारत के राजपत्र भाग २—सैक्शन ३—सब सैक्शन (१) में प्रकाशित किया गया।

(ख) इस आदेश के अन्तर्गत निर्दिष्ट उर्वरकों के एक राज्य से दूसरे राज्य को निर्यात की तब तक अनुमति नहीं दी जाती जब त क कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के संयुक्त सचिव ने अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी इसके लिये पर्मिट न दिया हो। किन्तु यह प्रतिबन्ध इस मंत्रालय द्वारा किये गये आवंटन के अनुसार निर्यात किये जाने वाले उर्वरकों पर लागू नहीं होता। जिन उर्वरकों (बोरियों तथा परिवहन के लिये प्रयुक्त वाहन सहित) का निर्यात इस आदेश के उल्लंघन में किया गया हो, उन्हें किसी पुलिस अधिकारी (हैड-कान्सटेबल से नीचे के पद का नहीं) या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जब्त किया जा सकता है।

(ग) इस आदेश का उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि किसी विशिष्ट राज्य सरकार द्वारा की गयी मांग के अनुसार उसे जो उर्वरक दिये गये हों, वे उसी राज्य में काम में लाने के लिए उपलब्ध हों।

उत्तर प्रदेश में गन्ने पर उपकर

†*१९८. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री ब्रजराज सिंह : }

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम के अवैधानिक घोषित किये जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में वसूल किये गये गन्ना-उपकर की राशि को प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है ;

(ख) उत्तर प्रदेश के कारखानेदारों से कितनी रकम वसूल करनी बाकी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कोई विधान पेश किये जाने की संभावना है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) केन्द्रीय सरकार ने ३० जनवरी, १९६१ को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया था, जिसके जरिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा २६ जनवरी, १९५० से ३ फरवरी, १९६१ तक गन्ना-उपकर के आरोपण और वसूली को विधि-मान्य ठहराया था। जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने उन शक्तियों के अनुसार, जो उसे प्राप्त हैं, आवश्यक कार्यवाही की है ।

(ख) उत्तर प्रदेश की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ३१ दिसम्बर, १९६० को गन्ना-उपकर की बकाया राशि ३६७·८६ लाख रु० थी ।

(ग) संसद् के वर्तमान अधिवेशन में, केन्द्रीय सरकार के अध्यादेश का स्थान लेने वाले एक विधेयक को पेश करने का विचार है ।

गुजरात के लिये माल-डिब्बों का संभरण

†*१९९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल-डिब्बों की कमी के कारण मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात को चावल ले जाने में बाधा पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो चावल ले जाने के लिये पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** जी नहीं। माल-डिब्बों की कमी से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात को चावल के यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वस्तुत: नवम्बर, १९६० के अन्त में मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र-गुजरात का एक नया खाद्य ज़ोन बन जाने से नवम्बर, १९६० से जनवरी, १९६१ तक की अवधि में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात को चावल का यातायात क्रमश: १९८५ और १२३८ माल-डिब्बे तक था। जनवरी, १९६१ में लदान के काम में काफी वृद्धि हुई और इसकी प्रति दिन की औसत महाराष्ट्र के लिए ४३ वैगन और गुजरात के लिए ३२ वैगन थी। किन्तु उच्च प्राथमिकता वाले यातायात की अधिकता के कारण और नये ज़ोन के निर्माण के फलस्वरूप मध्य प्रदेश से चावल के यातायात के लिए भारी मांग के कारण वैगनों की मांग को साथ साथ पूरा नहीं किया जा सका।

(ख) इस यातायात की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है और उच्च प्राथमिकता वाले अन्य महत्वपूर्ण यातायात पर यथोचित विचार करने के पश्चात्, वैगनों का सम्भरण सदैव सन्तोषजनक स्तर तक कायम रखने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†*२००. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाज बनाने के आर्डर न मिलने के कारण 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड' को संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी नहीं। पिछले कुछ कठिनाई थी किन्तु अब स्थिति सुधर गयी है। दो जहाजों के आर्डर पहले से मिल चुके हैं। और आर्डर भी जल्दी मिलने का अनुमान है।

चीनी के भाव और स्टाक

†*२०१. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी के भावों और स्टाक सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) १९६० में अन्य देशों को कितनी चीनी का निर्यात किया गया ; और

(ग) चीनी का निर्यात किन-किन देशों को किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) कीमतें ठीक हैं और स्टाक सम्बन्धी स्थिति सन्तोषजनक है।

(ख) और (ग). ३१ दिसम्बर, १९६० तक चीनी का निर्यात निम्नलिखित मात्रा में किया गया :

	(मीट्रिक टनों में)
१. फेडरेशन आफ मलायन स्टेट्स	१०,९०१
२. लंका	३,०४८
३. मध्यपूर्व के देश	३,६४७
जोड़	१७,५९६

†मूल अंग्रेजी में

निमतिता और फराक्का स्टेशनों के बीच नई रेलवे लाइन

†*२०२. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के बी० ए० के० लूप पर निमतिता और फराक्का रेलवे स्टेशनों के बीच बनाई जाने वाली प्रस्थापित 'डाइवर्जन' लाइन के लिये अपेक्षित भूमि का सरकार द्वारा अर्जन कर लिया गया है ; और

(ख) इस 'डाइवर्जन' लाइन को बनाने के लिये कब तक काम आरम्भ किये जाने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) निमतिता-तिलडंगा 'डाइवर्जन' की ९.४३ मील लम्बी लाइन में से अब तक लगभग ५ मील के लिए भूमि प्राप्त हो चुकी है ।

(ख) जहां भूमि प्राप्त हो चुकी है, वहां 'डाइवर्जन' बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

मद्रास के लिये उर्वरक

†*२०३. **श्री तंगामणि :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने यह मांग की है कि उस राज्य को सिन्दरी के उर्वरक की अधिक मात्रा आवंटित की जाय ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) १९६०–६१ के लिय आयात किये गये उर्वरकों में से कितना उर्वरक दिया गया ;

(घ) क्या १९६१–६२ के लिये इसमें वृद्धि की जायगी; और

(ङ) चालू वष के लिये सिन्दरी के उर्वरक का सम्भरण कितना है और १९६१–६२ में मद्रास राज्य को कितना उर्वरक दिया जायगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) से (ङ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

मद्रास सरकार ने १९६०–६१ के लिए उवरक के कुल आवंटन में वृद्धि करने के लिये कहा है, केवल सिन्दरी उर्वरक के बारे में नहीं ।

(ख) इस मन्त्रालय की यह नीति है कि समुद्र के निकट स्थित राज्यों को उर्वरक का आवंटन अधिकतर आयातित उर्वरक में से किया जाय, ताकि वहन-प्रतिवहन[1] और दूर दूर तक परिवहन न करना पड़े । निकट की पत्तनों पर, विद्यमान मांग की पूर्ति के लिये आयातित माल की जितनी कमी हो, उसे सिन्दरी से सम्भरण से पूरा किया जाता है । सिन्दरी के उर्वरकों और बाहर से आयात किये जाने वाले उर्वरकों दोनों में पौदों का पोषण करने वाला तत्व मौजूद होता है, अतः मुख्यतः बात यह नहीं कि सम्भरण किस स्थान से होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cross movement.

(ग) मद्रास राज्य को १९६०–६१ में, आयात किये गये माल में से निम्नलिखित मात्रा में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का आवंटन किया गया :—

	(मीट्रिक टनों में) १९६०–६१ में संभरण किया जाने वाला आवंटन
सल्फेट आफ अमोनिया . . .	७३,०००
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	२,०००
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	९,०००
यूरिया	८,०००
सल्फेट आफ अमोनियम के रूप में जोड़ .	१०४,७००

(घ) १९६१–६२ में उर्वरकों के अधिक उपलब्ध होने का अनुमान है, इसलिए यह आशा की जाती है कि १९६१–६२ में मद्रास को उर्वरकों का अधिक सम्भरण होगा।

(ङ) १९६०–६१ में मद्रास सरकार को सिन्दरी का १२००० टन सल्फेट आफ अमोनिया आवंटित किया गया था। इसमें से अब तक ११९१५ टन आवंटित किया जा चुका है। इस समय यह निश्चय करना बड़ा कठिन है कि १९६१–६२ में सिन्दरी से कितने उर्वरकों का सम्भरण किया जायेगा क्योंकि यह बात इस बात पर निर्भर है कि पत्तनों पर समय समय पर कितनी मात्रा उपलब्ध होगी।

कांग्रेस अधिवेशन के लिये विशेष व्यवस्था

*२०४. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री सुबिमन घोष :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार नगर (भावनगर) में कांग्रेस अधिवेशन के समय रेलवे की ओर से कुछ विशेष सुविधाए जिसमें स्पेशल गाड़ियां चलाना भी शामिल है, की व्यवस्था की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वह किस रूप में और सरकार का उन पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन गाड़ियों से जो आय हुई वह उस व्यय से बहुत कम थी जो उन पर हुआ ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी हां। भावनगर में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर बढ़े हुए यातायात को सम्भालने के लिए भावनगर से ४.७४ मील की दूरी पर सरदार नगर रोड में एक अस्थायी स्टेशन खोला गया था। इस स्टेशन पर अस्थायी रूप से तीसरे दर्जे का एक मुसाफिरखाना, ऊंचे दर्जे का एक प्रतीक्षालय, स्टेशन मास्टर का दफ्तर, ड्यूटी कमरा, टट्टी और पेशाब की जगहें बनायी गयी थीं। पानी के कई नल भी लगाये गये थे। कांग्रेस

कैम्प के पास एक छोटा सा पूछ-ताछ दफ्तर, बुकिंग और आरक्षण कार्यालय (Reservation Office) खोला गया था। सुविधा के इन कामों पर १,७६,०६० रुपये शुद्ध खर्च का अनुमान है। कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में बहुत बड़ी तादाद में जो लोग गये थे, उनको सरदार नगर रोड ले जाने और वहां से वापस लाने के लिये ३५ स्पेशल गाड़ियां चलायी गयी थीं।

(ग) जी नहीं।

ग्लाइडिंग क्लब

†*२०५. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में देश में ग्लाइडिंग क्लबों को अर्थ-सहायता देने की योजना को स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का व्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार ने देश में ग्लाइडिंग क्लबों को राज-सहायता प्रदान करने की एक योजना को मंजूरी दी है। फ्लाइंग क्लबें भी, जो ग्लाइडिंग शाखायें खोलती हैं, इस योजना के अन्तर्गत आयेंगी।

२. इस योजना के अन्तर्गत ग्लाइडिंग क्लबों को १५,००० रु० की बंधी हुई राज-सहायता प्राप्त होगी और प्रत्येक उड़ान[1] पर ३ रु० की अर्थ-सहायता मिलेगी और वे प्रत्येक उड़ान पर १ रु० का उड़ान-शुल्क लेंगी। इस राज-सहायता को प्राप्त करने की पात्र बनने के लिये, क्लबों को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी जिनमें से कुछ महत्वपूण शर्तें यह हैं :—

(एक) राज-सहायता योजना के अन्तर्गत आने से पहले क्लबों को कम से कम १०० सदस्य भर्ती करने चाहियें।

(दो) ग्लाइडिंग के लिए आवश्यक सामान, अर्थात् जीप, पैराशूट, केबल इत्यादि की प्रारम्भिक खरीद के लिए क्लबों को या तो सार्वजनिक चन्दे से अथवा राज सरकार के माध्यम से कुछ धन इकट्ठा करना चाहिये।

३. जब क्लबों के पास ग्लाइडिंग का बाकी साज-सामान हो जायेगा तो सरकार उन्हें ग्लाइडर्स और विंचस उधार देगी।

सरकार क्लब के अपने अथवा सरकार से उधार लिये गये ग्लाइडर्स और विंचस आदि के उतारने, रखने और पाक करने की निःशुल्क व्यवस्था वहां पर करेगी; जहां पर यह सुविधाएं उपलब्ध हों।

४. राज-सहायता प्राप्त क्लबों से आशा की जायेगी कि वे एक वर्ष में कम से कम १५०० उड़ानें करेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Launch

५. इस बात के आधार पर एक क्लब एक वर्ष में १५०० उड़ानें करेगी, एक क्लब के बारे में योजना के व्यय का व्यौरा इस प्रकार होगी :—

अनावर्तक (जो पहले वष व्यय होगा)

		रुपये
(एक)	दो ग्लाइडरों की लागत .	३५,०००
(दो)	एक विंच की लागत	१५,०००

आवर्तक (जो पहले वर्ष तथा परवर्ती वर्षों में व्यय होगा) ।

(एक)	वार्षिक निर्धारित राज सहायता . . .	१५,०००
(दो)	१५०० उड़ानों के लिए ३ रु० प्रति उड़ान की दर से अर्थ-सहायता	४,५००
		६९,५००

कानपुर में गंगा का तल कर्षण

†*२०६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में गंगा नदी के तल कषर्ण के बारे में केन्द्र से प्रविधिक सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने क्या सहायता दी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर रेलवे पर भ्रष्टाचार विरोधी संगठन

†२८९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के भ्रष्टाचार विरोधी संगठन को जुलाई, १९६० से लेकर अब तक क्या सफलता मिली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)** : जुलाई, १९६० से जनवरी, १९६० तक सतर्कता शाखा ने ५५ मामलों का पता लगाया, जिनके बारे में प्रत्यक्ष-साक्ष्य पर विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता थी और १० मामले विशेष पुलिस संस्थान को अग्रेतर तहकीकात के लिए सौंपे गये। इन मामलों का सम्बन्ध रिश्वत, भ्रष्टाचार की अन्य किस्मों और विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी से था। इन में से कुछ ऐसे थे जिनमें जालसाज़ी की गई थी, दस्तावेज़ों में छेड़छाड़ की गई थी और सरकारी धन का गबन किया गया था । अप्रत्याशित निरीक्षणों के दौरान कम तौलने के २७ मामले पकड़े गये। ३०-६-६० तक अन्तिम रूप से कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप १ कर्मचारी को बरखास्त किया गया, ८ कर्मचारियों को हटा दिया गया, एक आदमी की पदावनति की गयी, १२ व्यक्तियों की वेतन-वृद्धि रोक दी गयी और २ अन्य व्यक्तियों को और सजाएं दी गयीं। टिकट-जालसाजी विरोधी सैक्शन ने टिकटों और पासों के दुरुपयोग के १११ मामलों का पता लगाया जिनमें से ५ मामलों के परिणामस्वरूप लोगों को नौकरी से हटा दिया गया और ३९ अन्य मामलों में कर्मचारियों को अन्य सजायें दी गयीं। इंजीनियरी सतर्कता शाखा ने निर्दिष्ट स्तर से निम्न कोटि का सामान

†मूल अंग्रेजी में

और कार्य स्वीकार करने के ६ मामलों का पता लगाया था इस शाखा की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप, ठेकेदारियों को किये गये अधिक भुगतान की वसूलियों के फलस्वरूप ३२,९४८.१९ रु० की बचत हुई ।

पंजाब को लोहे और इस्पात का आवंटन

†२९०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को वर्ष १९६०–६१ के लिए कृषि प्रयोजनों के लिए लोहे और इस्पात का कितना आवंटन किया गया और इस बारे में मांग कितनी थी ; और

(ख) आवंटित कोटे का संभरण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) १९६०–६१ में पंजाब में कृषि कार्यों के लिए लोहे और इस्पात की मांग तथा आवंटन क्रमशः १८,५२० और १२,५८८ टन था ।

(ख) योजना के मुख्य भाग की प्राथमिकताओं में कृषि-अभ्यंश को शामिल नहीं किया गया था, अतः इस अभ्यंश के लिए संभरण भी कम ही रहा । संभरण कार्य शीघ्र करने के लिए लोहे और इस्पात के कृषि कोटे को 'मुख्य' भाग की प्राथमिकताओं में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया गया था । इसे 'मुख्य' प्राथमिकताओं में शामिल करने का निश्चय किया गया है और सभी सम्बन्धित पक्षों को इ स प्राथमिकता के अन्तर्गत सम्भरण की व्यवस्था करने के लिए सूचित किया गया है ।

दिल्ली में पानी का इकट्ठा हो जाना[1]

†२९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र (निर्मित क्षेत्र) में पानी के इकट्ठा हो जाने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) इसे कितना क्रियान्वित किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) से (ग). रेड्डी समिति की रिपोर्ट में प्रथम और द्वितीय दौर कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यों की जो सिफारिशें की गयी थीं, उनका तथा उनकी स्थिति का व्योरा २९ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २९६८ के उत्तर में दिया गया था । अग्रेतर प्रगति का व्योरा देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३**] ।

तीसरे दौर में क्रियान्वित किये जाने के लिए जिन कार्यों की सिफारिश की गई है, उन्हें तीसरी पंचवर्षीय योजना में हाथ में लिया जायेगा ।

फलों का प्रति व्यक्ति उपभोग

†२९२. **श्री व० प० नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय फलों का प्रति व्यक्ति उपभोग अनुमानतः कितना है ; और

(ख) औसत आहार में फलों से कितनी कैलोरी प्राप्त होती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Water logging.

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) लगभग १.५ औंस ।

(ख) विभिन्न फलों में कैलोरी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है । रस वाले फलों में प्रत्येक औंस से लगभग १० से १२ कैलोरी प्राप्त होती हैं ।

आम और अमरूद जैसे गूदे वाले फलों के एक औंस से लगभग १५ से २० कैलोरी तथा खजूर जैसे सूखे फलों से लगभग ८० कैलोरी प्राप्त होती हैं । फलों का प्रयोग उनकी कैलोरी-मात्रा के लिये नहीं, बल्कि उनके अन्दर के मूल्यवान विटामिनों और खनिजों के लिये किया जाता है ।

पुरी स्टेशन

२९३. श्री खुशवक्त राय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के पुरी स्टेशन पर प्रथम और तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय बहुत छोटे हैं और उनमें यात्रियों के लिये अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर यात्रियों के लिये कौन-कौन सी नई सुविधायें देने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं । इस स्टेशन पर सामायतः जितने यात्री आते-जाते हैं, उनकी संख्या को देखते हुए वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पूर्व रेलवे पर रेलवे डिस्पेन्सर

†**२९४. श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल राज्य के भीतर चलने वाली पूर्व रेलवे में डिस्पेन्सरों को औषध-निर्माण परिषद् से लाइसेंस लेना पड़ता है और हर वर्ष उसका नवीकरण करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ऐसे नवीकरण का आग्रह करती है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस आग्रह के क्या कारण हैं ;

(घ) यदि नवीकरण कराने की कोई कीमत है तो वह क्या है ;

(ङ) यह फीस कौन देता है रेलवे या कर्मचारी ;

(च) क्या नवीकरण फीस न देने पर कर्मचारी को नौकरी पर रहने दिया जाता है;

(छ) क्या ऐसा नियम किसी अन्य ज़ोन में भी लागू है ; और

(ज) क्या पूर्व रेलवे के चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य विभाग में भी किसी कर्मचारी को इसी प्रकार लाइसेंस लेना पड़ता है और उनका नवीकरण कराना पड़ता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी, हां । औषध-निर्माण अधिनियम, १९४८ के अधीन यह आवश्यक है ।

(ख) से (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(छ) औषध-निर्माण अधिनियम, १९४८ के उपबन्ध उन राज्यों में लागू हैं जहां अधिनियम को लागू किया गया है और जहां से रेलवे गुजरती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ज) डाक्टरों और नर्सों को राज्य चिकित्सा परिषद् और नर्सिंग परिषद अधिनियमों के अधीन अपने नाम रजिस्टर कराने पड़ते हैं। उनको उस पंजीयन का नवीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†२९५. **श्री पांगरकर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अब तक किन किन स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये गये हैं ; और

(ख) उसी अवधि में केन्द्रों को क्या सहायता दी गयी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या ४४]

अकोला-पूर्णा लाइन पर यात्री सुविधायें

†२९६. **श्री पांगरकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे की अकोला-पूर्णा लाइन पर वर्ष १९६० के दौरान पीने के पानी की सुविधा देने और तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय को बड़ा करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने सुझाव स्वीकार किये गये हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां। बसनतनगर स्टेशन के बारे में।

(ख) और (ग). पीने के पानी की सुविधाओं में सुधार करना मंजूर कर लिया गया है स्टेशन के कुएं से यात्रियों की पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक स्थायी पानी वाला नियुक्त कर दिया गया है। एक तृतीय श्रेणी का प्रतीक्षालय बनाने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

जयपुर स्टेशन

†२९७. **श्री पांगरकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जयपुर स्टेशन के नवीकरण का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) नवीकरण से क्या सुधार हुए हैं ; और

(ग) नवीकरण की कुल लागत कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां।

(ख) सामान्य तौर पर पुराने स्टेशन पर उपलब्ध सभी सुविधाओं में सुधार कर दिये गये हैं और वे बढ़ा दी गयी हैं। कुछ मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

(१) विश्राम कक्षों की वर्तमान संख्या में वृद्धि कर दी गयी है और उनको आधुनिक ढंग का बना दिया गया है।

(२) मांसाहारी और शाकाहारी—भारतीय ढंग के और पश्चिमी ढंग के—दोनों प्रकार के लोगों को भोजन के लिये अधिक जलपान-गृह खोले गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) सामान बुक कराने और यात्रियों के आरक्षण के लिये अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है।

(४) यात्रियों की भीड़भाड़ के लिये प्रतीक्षालय का विस्तार कर दिया गया है। प्लेट-फ़ार्मों को ढक दिया गया है।

(५) शौचालयों में आधुनिक ढंग की सफाई व्यवस्था का इन्तजाम किया गया है और अतिरिक्त स्नान-गृह बनाये गये हैं।

(६) उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये अतिरिक्त प्रतीक्षालय बनाये गये हैं।

(ग) अनुमानित लागत १८,५२,६५५ रुपये है।

नांदेर स्टेशन

†२६८. **श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर नांदेर स्टेशन के नवीभूत करने और विस्तार करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) इस समय नांदेर स्टेशन पर जो यातायात है, उसके लिये वर्तमान सुविधायें पर्याप्त हैं और स्टेशन के नवीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

चरखी-दादरी के निकट ऊपरी पुल

२६६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिवाड़ी-भटिण्डा मार्ग पर चरखी-दादरी रेलवे स्टेशन पर सीमेन्ट कारखाने के निकट लेवल क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल बनाने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी) :** चरखी-दादरी की नगरपालिका ने वर्तमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर मूलतः प्रस्तावित सड़क ऊपरी पुल बनाने के बजाय एक निचला पुल बनाने का सुझाव दिया है और वह वर्तमान नियमों के अनुसार लागत का अपना हिस्सा वहन करने को राजी हो गयी है। प्रस्तावित उपमार्ग से वर्तमान सड़क को वर्तमान भूमि स्तर से १७ फुट नीचे करना पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप वहां वर्षा ऋतु में पानी भर जाया करेगा। नगरपालिका को यह बात बता दी गयी है और उनसे यह भी कहा गया है कि वे किये जाने वाले कार्यों के लिये प्राक्कलनों के साथ साथ उपागमन मार्गों के लिये आवश्यक योजना भेजें। उनका उत्तर आने पर मामले की आगे जांच की जायेगी।

उड़ीसा में परिवार नियोजन केन्द्र

†३००. **श्री कुम्भार :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अब तक उड़ीसा राज्य में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक इन केन्द्रों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार द्वितीय योजना-काल में दिसम्बर, १९६० तक उड़ीसा राज्य में ६० ग्राम्य और २८ नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये ।

(ख) उपरोक्त परिवार नियोजन केन्द्रों पर उड़ीसा सरकार द्वारा किये गये व्यय के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि वर्ष १९५९–६० तक उड़ीसा सरकार को ४,१५,८८३ रुपये का अनुदान मंजूर किया गया और वर्ष १९६०–६१ के लिये राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये ३ लाख रुपये का आवंटन किया गया है ।

उड़ीसा के डाक तथा तार सर्किल में शिकायतें

†३०१. **श्री कुम्भार :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में और वर्ष १९६१ में अब तक उड़ीसा सर्किल के डाक सुपरिन्टेन्डेन्ट और डाक तथा तार निदेशक को कितनी शिकायतें और सुझाव मिले हैं ;

(ख) शिकायतों और सुझावों का क्या स्वरूप है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अभी तक कितनी शिकायतें और सुझाव लम्बित पड़े हैं जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क)

शिकायतें . .	१०,४४९
सुझाव . . .	५

(ख) शिकायतें डाक वस्तुओं की डिलीवरी में विलम्ब और उनके खोये जाने और मनीआर्डरों के भुगतान में विलम्ब के बारे में हैं । थोड़ी सी शिकायतें विभिन्न मामलों जैसे दावों के निबटारे में विलम्ब, अशिष्टता आदि के बारे में हैं ।

सुझाव डाक सेवा में सुधार के बारे में हैं । इन के बारे में ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

निपटाई गई शिकायतें . .	९,१५६
निपटाये गये सुझाव .	३
(ग) जांच के अधीन शिकायतें .	१,२९३
जांच के अधीन सुझाव .	२

शिकायतों के प्राप्त होने और निपटाये जाने के बीच समय के कारण कुछ प्रतिशत शिकायतें लम्बित रहती ही हैं ।

डाक तथा तार कर्मचारी

†३०२. **श्री कुम्भार :** क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० के अन्त में उड़ीसा सर्किल में श्रेणी-वार और डाक डिवीज़न वार डाक तथा तार कर्मचारियों की क्या संख्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ;

(ग) क्या सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित अभ्यंश को अब तक भर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जावेगी।

रेलवे को वैगन फ्लोर बोर्डों का संभरण

†**३०३. श्री कुन्हन** : क्या **रेलवे** मंत्री केरल से खराब वैगन फ्लोर बोर्डों के संभरण के बारे में ८ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खराब पाये गये वैगन फ्लोर बोर्डों का क्या मूल्य है ; और

(ख) सार्थो और टिम्बर उद्योग पदाधिकारी के विरुद्ध मामला किस प्रक्रम पर है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) लगभग २,०५,१२१ रुपये।

(ख) पूना के विशेष न्यायाधीश की अदालत में इस मामले की सुनवाई २०-२-६१ को निश्चित की गई थी परन्तु फिर यह स्थगित कर दी गई है।

चीनी के सहकारी कारखाने

†**३०४. श्री रामेश्वर टांटिया**: क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी के सहकारी कारखाने स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति की गयी है ; और

(ख) क्या राजस्थान में ऐसे चीनी कारखाने स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने में की गई प्रगति बताई गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ख) राजस्थान सरकार ने गंगानगर जिले में एक चीनी कारखाना स्थापित करने के लिये एक सहकारी समिति के आवेदन-पत्र की सिफारिश की है। आवेदनपत्र विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में आउट एजेंसियां

३०५. श्री भक्त दर्शन : क्या **रेलवे** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८८ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर रेलवे आउट एजेन्सियां खोलने के प्रश्न पर इस बीच विचार किया गया है ; और

(ख) उन में से प्रत्येक के बारे में अब तक क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). ३१ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न १७८८ के उत्तर में जिन ३५ जगहों का जिक्र किया गया है उनकी और साथ ही दूसरी ७ जगहों की स्थिति का बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]**

पर्यटन विकास परिषद्

३०६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन विकास परिषद ने अपनी १७ सितम्बर, १९६० की बैठक में जो निर्णय और सिफारिशें कीं थीं, उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : माननीय सदस्य ने पर्यटन विकास परिषद् की जिस बैठक का उल्लेख किया है, उस बैठक के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :—

(१) आयोजना आयोग से विचार विमर्श कर उनसे तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में पर्यटन पर पांच करोड़ रुपयों की खर्च की नियत राशि में वृद्धि का आग्रह करने के लिए तदर्थ समिति का संगठन किया गया। इस समिति की २३ नवम्बर, १९६० को आयोजना आयोग के 'उद्योग' सदस्य के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें इस समिति को यह सूचना दी गयी कि प्रदेश सरकारों द्वारा पर्यटन पर खर्च की जाने वाली १.५० करोड़ रुपयों की राशि बढ़ा कर ३.७५ करोड़ रुपये कर दी गयी है। इस प्रकार तीसरी आयोजना के मसौदे में पर्यटन पर किया जाने वाला खर्च बढ़ा कर ७.२५ करोड़ रुपये कर दिया गया है।

पर्यटन के प्रचार के सिंहावलोकन तथा इस सम्बन्ध में सामान्य सुझाव देने के लिये एक तदर्थ समिति नियुक्त की गयी है जिसकी पहली बैठक जल्दी ही होने वाली है।

(२) इस परिषद् की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये किये गये उपायों का व्यौरा इन सुझावों के साथ साथ नीचे दिया जा रहा है :—

सिफारिश	कार्यवाही
(क) सरकार को मीडियम साइज की मीटर गाड़ियों को लक्ज़री टैक्सियों के रूप में चलने के लिए लायसेंस देना चाहिए।	'दिल्ली परिवहन' ऐसी टूरिस्ट टैक्सियों को DLY के रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत लायसेंस दे रही है।
(ख) विदेशी पर्यटकों को खुद चलाने वाली टैक्सियों की सुविधा दी जानी चाहिए।	मोटर व्हेक्लिस ऐक्ट में सुधार करने व इस ऐक्ट में इस सुविधा को शामिल करने का सुझाव विचाराधीन है।
(ग) रेल द्वारा सफर करने के दौरान कुछ समय के लिए किसी स्टेशन पर रुकने के सम्बन्ध में रेल अधिकारियों द्वारा लगाये गये मील दूरी के प्रतिबन्ध में जहां तक विदेशी पर्यटकों का सम्बन्ध है उन्हें छूट दी जानी चाहिए।	रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) ने इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। उस मन्त्रालय से इस बाबत आवश्वक आदेश जारी करने की प्रार्थना की गयी है।

(घ) महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों पर भिखमंगों पर रोक लगानी चाहिए।

प्रदेश सरकारों से कहा गया है कि खास तौर से महत्वपूर्ण स्मारकों तथा ऐसे स्थानों पर जहां विदेशी पर्यटक अक्सर आते हैं, भिखमंगों पर रोक लगायी जानी चाहिए।

(ङ) विदेशों में भारतीय दूतावासों तथा भारत में भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों के निदेशकों द्वारा शराब के परमिट जारी किये जाने चाहिएं तथा सभी प्रदेश सरकारों को इन परमिटों को प्रामाणिक समझ कर स्वीकार करना चाहिए।

संविधान में शराबबन्दी का विषय प्रदेश सरकार के अधीन दिया गया है, प्रदेश सरकारों के साथ विचार विमर्श कर इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(च) होटल मालिकों को जरूरी होटल व मोटेल बनाने के लिये सरकारी ज़मीन बाजार की उचित कीमत पर दी जानी चाहिए।

जरूरी होटलों व मोटेलों के बनाने के लिये जमीन देने के बाबत प्रदेश सरकारों व अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों से होटल मालिकों की उचित मांगों की सिफारिश की जाती रही है और की जाती है।

(छ) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोटेलों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पर्यटन की तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में राष्ट्रीय राजमार्गों पर के कुछ विश्रामगृहों को मोटेल के रूप में परिवर्तित करने की व्यवस्था की गयी है। यह सुझाव आयोजना आयोग के विचाराधीन हैं।

आयुर्वेद की पुरानी पाण्डुलिपियां

३०७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री १९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद सम्बन्धी पुरानी पाण्डुलिपियों को प्राप्त करने और उनमें अनुसन्धान और जांच-पड़ताल करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : प्रथमतः विभिन्न पुस्तकालयों आदि में उपलब्ध पाण्डुलिपियों एवं पुस्तकों की सूचियां एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जा रहा है। पाण्डुलिपियों को प्राप्त करने का प्रश्न बाद में लिया जायेगा। वह एक दीर्घावधि कार्यक्रम है।

पंजाब में नई रेलवे लाइनें

†३०८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने तीसरी पचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये कितनी रेलवे लाइनों की सिफारिश की है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन लाइनों के क्या नाम हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). पंजाब सरकार ने तीसरी योजना में शामिल करने के लिये जिन सत्रह लाइनों की सिफारिश की है, उनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४७]**

(ग) तीसरी योजना में शामिल करने के लिये योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई नई लाइनों की सूची में उनमें से किसी को भी स्थान नहीं मिला ।

पंजाब में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†३०९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने उन बाढ नियन्त्रण योजनाओं का व्यौरा दे दिया है जिन्हें वे वर्ष १९६१ में आरम्भ करना चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है; और

(ग) क्या इन योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर नकारात्मक है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली में पंचायतें

†**३१०. श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में ग्राम्य लोक-कार्यों को पंचायतों को सौंपने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विकास योजनाओ के अधीन ग्राम्य लोक-कार्यों का पंचायतों के जरिये सम्पादन किया जा रहा है। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा किये जा रहे ग्राम्य लोक-कार्यों को पंचायतों को सौंपने के प्रश्न पर एक समिति विचार कर रही हैं ।

पूर्व रेलवे में विभागीय भोजन-व्यवस्था

†**३११. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में दिल्ली, फिरोजपुर और बीकानेर डिवीजनों में दिल्ली को छोड़ कर और किसी स्टेशन पर विभागीय भोजन-व्यवस्था का इन्तजाम नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) दिल्ली डिवीजन में दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर और फिरोजपुर डिवीजन में पठानकोट स्टेशन पर विभागीय भोजन-व्यवस्था का इन्तजाम है। इस समय विभागीय भोजन-व्यवस्था बीकानेर डिवीजन के किसी भी स्टेशन पर लागू नहीं की गयी है।

नीति यह है कि सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आवश्यकता पड़ने पर विभागीय भोजन-व्यवस्था लागू की जाय और तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में जल-निस्सारण

†३१२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री १४ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में जल-निस्सारण सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक योजनाओं के बारे में रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त की गयी त्रि-सदस्यीय समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने अपने प्रतिवेदन में नाली संख्या ८ को समूचे पंजाब क्षेत्र में मोडने की सिफारिश की है। यह आवश्यक समझा गया कि इस परिवर्तित नहर द्वारा ऊपरी जलग्रह से जल-प्रवाह पूरी तौर पर काटा जाये।

जहाजगढ़ क्षेत्र में जल-निस्सारण सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये नाली संख्या ८ के मुहाने से नजफगढ़ झील को ४५० क्युसेक पानी कम किया जाय परन्तु पानी कम करने से पहले निम्नलिखित कार्य पूरे किय जाने चाहियें :—

(१) गोहाना से पंजाब के रास्ते यमुना नहर तक एक परिवर्तित नहर ;

(२) नजफगढ़ जल-निस्सारण योजना, प्रावस्था २;

(३) प्रस्तावित कमी के बारे में कण्ट्रोल रेगुलेटर; और

(४) नजफगढ़ नाली का और विस्तार करना।

जहाजगढ़ क्षेत्र से अतिरिक्त पानी को झील में तभी जाने दिया जायेगा जबकि झील में पानी का स्तर ६८८ आर० एल० हो जाये।

कैंसर रिसर्च इन्स्टीच्यूट, बम्बई

३१३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बम्बई स्थित कैंसर रिसर्च इंस्टीच्यूट की इमारत का काम बन्द हो गया है जिससे इंस्टीच्यूट के कामों में हानि हो रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और अब तक कितने रुपये इसमें लग चुके हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) निर्माण कार्य फिलहाल बन्द कर दिया गया है किन्तु उसे शीघ्र ही पुनः प्रारम्भ कर दिया जायेगा । यह निर्माण कार्य ३–९–५९ को मेसर्स एशियन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बम्बई को ८७,८५२ रुपये के टेंडर पर दिया गया था । इस कार्य की पूर्ति के लिये ६ महीने का समय दिया गया था । किन्तु मानसून के कारण यह काम शीघ्र चालू न होकर नवम्बर, १९५९ में चालू किया जा सका । इस ठेकेदार के विरुद्ध बम्बई न्यायालय में कुछ मामले विचाराधीन थे और न्यायालय ने अभ्याग्रहण आदेश जारी कर दिये थे । इस आशंका से कि कहीं उसे मिलने वाला पैसा रुक न जाय ठेकेदार कोई काम नहीं कर रहा था । उसके विरुद्ध वे अदालती मामले अब तय हो चुके हैं और उसने अब काम पुनः शुरू करने का वचन दे दिया है । आशा है कि यह कार्य ३१ मार्च १९६१ तक पूरा हो जायेगा । ३१–१२–६० तक इस काम पर कुल ७३,९४१ लाख रुपया व्यय हुआ है ।

जाजपुर (उड़ीसा) में टेलीफोन एक्सचेंज

†३१४. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में जाजपुर में २५ लाइनों का टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह एक्सचेंज कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) जी, हां । ७–१०–१९६० को ।

(ख) अभी सामान आना है । एक्सचेंज को यथा सम्भव शीघ्र चालू करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

केरल में ग्राम्य जल संभरण

†३१५. { **श्री कोडियान** :
श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने केरल सरकार को वहां दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक ग्राम्य जल सम्भरण के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर** : (क) जी, हां ।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक दी गई वित्तीय सहायता का व्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	(राशि लाख रुपयों में)
१९५६–५७	२.८७५
१९५७–५८	६.६०८५४
१९५८–५९	९.००
१९५९–६०	२.९०
योग	२१.३८३५४

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में गाड़ियों में अधिक भार लादना

†३१६. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में बहुत सी रेहड़ियों, ट्रकों और तांगों में अधिक भार लादा जाता है;

(ख) यदि हां, तो १९६० में अपनी गाड़ियों में अधिक भार ढोने के लिये कुल कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है; और

(ग) इनमें से कितने ऐसी गाड़ियों के मालिक थे जो पशुओं द्वारा चलाई जाती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) ६९४६ ।

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि मालिक और चलाने वाले दोनों व्यक्तियों को अधिक भार लादने के अपराध में दण्ड दिया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में आखेट विधि

३१७. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल में आखेट विधि लागू है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

(ख) (१) भारतीय वन अधिनियम १९२७ और

(२) पंजाब जंगली पक्षी और जंगली पशु रक्षा अधिनियम २, १९३३ इन अधिनियमों के अन्तर्गत शिकार के नियम भी बनाये गये हैं और सन् १९४९ से हिमाचल प्रदेश में लागू किये गये हैं।

रेणुका सरोवर, सिरमौर का जीर्णोद्धार

३१८. **श्री पद्म देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने सिरमौर जिला के रेणुका सरोवर के सुधार और उद्धार के हेतु क्या-क्या कार्य किये ;

(ख) उन कार्यों पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) १९६० में कितने पर्यटक इस सरोवर को देखने आये ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) रेणुका झील से कचड़ा साफ किया जा रहा है। श्री परशुराम सरोवर में पानी की सप्लाई और बढ़ा दी गयी है। झील के चारों ओर फूलों की क्यारियां व फलवाले वृक्ष लगाये जा रहे हैं और पीकाक शेडों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जंगल के जानवरों जैसे चितीदार हिरनों के लिये बाड़ लगायी जा रही है और झील के चारों ओर की सड़क का सुधार किया जा रहा है। पर्यटकों की विश्रामशालाओं में सुधार किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ४२,१४० रुपये खच हो चुके हैं ;

(ग) १९६० में झील देखने के लिये आने वाले पर्यटकों के कोई भी आंकड़े नहीं रखे गये हैं। अनुमान है कि इनकी संख्या लगभग ३०,००० रही होगी।

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई पर व्यय

३१९. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिये स्वीकृत किये गये धन में से कितना धन व्यय किया गया और शेष के खर्च न किये जाने के क्या कारण थे; और

(ख) खर्च किये धन में से कितना-कितना धन संसाधनों, प्रशासकीय कर्मचारियों और मजदूरों पर खर्च किया गया है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी।

पिपली-कोणार्क सड़क

†३२०. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब मौसमों योग्य पिपली-कोणार्क सड़क अब तक पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या इस सड़क पर सब पुल पूरे हो चुके हैं ;

(ग) अब तक इस सब मौसमों योग्य सड़क पर कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(घ) क्या भारत सरकार इस सड़क को पूरा करने के लिये और अधिक राशि मंजूर करने का विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। लगभग २८ मील की लम्बाई में से, केवल १½ मील करना शेष है। १½ मील की यह छोटी सड़क की टुकड़ी प्रस्तावित नहर के किनारे पर होगी और भूमि अधिग्रहण के बारे में कुछ कठिनाई है।

(ख) जुनेई पुल पूरा हो चुका है। शेष ३ पुलों तथा पुलियों का काम प्रगति पर है और १९६१ के अन्त तक उनके पूरा होने की आशा है।

(ग) अभी तक १२,९०,७०० रुपये खर्च हो चुके हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इस्पात कारखानों को लोहा अयस्क का वहन

†३२१. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ जून, १९६० से १९, सितम्बर १९६० तक रेलवे ने ५६३३ माल डिब्बों के आवंटन में से राजकीय व्यापार निगम की ओर से बांसपानी क्षेत्र से इस्पात मिलों को लोहा अयस्क के वहन के लिये २८०३ माल डिब्बे दिये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि इस अवधि में ११६५ माल डिब्बों के वस्तु-आदेश में से निर्यात के लिये कलकत्ता पत्तन तक लोहा अयस्क के वहन के लिये २०८ माल डिब्बे दिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो राजकीय व्यापार निगम द्वारा आवश्यक संख्या में आदेशित माल डिब्बों का सभरण करने में रेलवे को क्या कठिनाई थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में ग्राम्य विद्युतीकरण

†३२२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपने ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रमों को चलाने के लिये अधिक धन मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिये दूसरी योजना में उड़ीसा को कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ग) उड़ीसा के पुरी जिले में विद्युतीकरण की योजना में कितने नये गांव शामिल किये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार को दूसरी योजना में ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये १५० लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी । राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिये अधिक निधि नहीं मांगी ।

(ग) १४ ।

जसीडी स्टेशन के समीप रेल दुर्घटना

†३२३. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १७ दिसम्बर, १९६० को या इसके आस पास पूर्व रेलवे के जसीडी स्टेशन के पास मालगाड़ी की कोई दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था और यदि कोई व्यक्ति घायल हुए हैं तो कितने ;

(ग) रेलवे को कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो किसने जांच की है और उसका क्या निष्कर्ष है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ङ). १७ दिसम्बर, १९६० को को डाउन क्रैक माल गाड़ी पूर्व रेलवे के तुलसीतानर ब्लाक हट तथा जसीडी स्टेशनों के बीच एक लारी से टकरा गई ।

दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये डिवीज़न के अफसरों ने एक विभागीय जांच की थी । समिति के निष्कर्ष के अनुसार टक्कर का कारण 'रेलवे कर्मचारियों की असफलता' था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेरह ग्वाले और ग्यारह ढोर घायल हुए। रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि का अनुमान ३५०० रुपये लगाया गया है।

खंडवा-हिंगोली लाइन

†३२४. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खडवा-हिंगोली परियोजना के अकोला-अमला खुर्द मीटर गेज खंड को यात्री यातायात के लिये खोल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) मार्ग की लम्बाई क्या है ; और

(घ) इस योजना पर क्या व्यय किया गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) २ जनवरी, १९६१ को।

(ग) ७३.६७ मील अर्थात् ११८.५६ किलोमीटर। अकोला से अमला खुर्द—खंडवा से हिंगोली तक कुल लम्बाई १८७.९५ मील अर्थात् ३०२.५५ किलोमीटर है।

(घ) ३१ दिसम्बर, १९६० तक खंडवा-हिंगोली परियोजना पर अनुमानतः ११.७५ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। समूचे कार्य की कुल अनुमानित लागत १२.४९ करोड़ रुपये है।

भारतीय वणिक पोत

†**३२५. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में भारतीय वणिक जहाजी बेड़े में कितने जहाज शामिल किये गये थे और उनका टनभार क्या था ; और

(ख) इस अवधि में बेड़े के कितने जहाज निकम्मे समझ कर निकाले गये थे और उनका टनभार कितना था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) १९६० में कुल १३९,४३४ जी० आर० टी० के २२ जहाज भारतीय व्यापार नौवहन में शामिल किये गये थे।

(ख) उस वर्ष में कुल ३८६९३ जी० आर० टी० के ८ जहाज निकम्मे समझ कर निकाले गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तार कर्मचारी

†३२६. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तगामणि :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन डाक तथा तार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा चुकी है, जिन्होंने जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारी नौकरी से निकाले गये थे या बर्खास्त किये गये थे ;

(ग) क्या इन कर्मचारियों ने कोई अपील की है ; और

(घ) यदि हां, तो अपील का क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१७७७१ कर्मचारियों में से, जिनके विरुद्ध हड़ताल के सम्बन्ध में कार्रवाई की गई थी, अभी तक ७२ मामलों का फैसला करना शेष है और १२ लोग मुअत्तिल हैं । न्यायालय से दण्ड मिलने के कारण ८०० कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था बर्खास्त किया गया था । उनके मामलों पर तत्पश्चात् पुनर्विचार किया गया और उनमें से ७७१ लोगों को फिर से नौकरी पर लगा लिया गया । १७१ कर्मचारी, यद्यपि उनके विरुद्ध न्यायालयों में अभियोग नहीं चलाया गया, विभागीय कार्रवाई के फलस्वरूप बर्खास्त किये गये या नौकरी से निकाले गये । सभी बर्खास्त हुए या नौकरी से निकाले गये लोगों ने उन्हें दिये गये दण्ड के विरुद्ध अपीलें की और उपयुक्त अधिकारियों ने उन में से १७९ लोगों को पुनः नौकरी पर लगा लिया । १२ मामलों ने बर्खास्ती या नौकरी से निकलाने के मूल दण्ड पक्के किये गये, और दो मामलों में नये सिरे से पड़ताल का आदेश दिया गया । अभी सात अपीलों का फैसला करना शेष है ।

२. केन्द्रीय असैनिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमों, १९४९ के नियम ५ के अन्तर्गत, हड़ताल में भाग लेने के लिये, जिन अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है । उन कर्मचारियों की ओर से १३ अपीलें आई हैं, जिन में से ५ को फिर से नौकरी पर लेने के आदेश जारी किये जा चुके हैं । एक अपील अस्वीकार कर दी गई है और सात अपीलें विचाराधीन हैं ।

रेलवे निधियों का गबन

†३२७. { **श्री मुरारका :**
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ५ वर्षों में ५०,००० रुपये से ऊपर राशि के गबन के कितने मामले हैं;

(ख) इन में से कितने मामलों का फैसला किया जा चुका है और कितने मामले निलंबित हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कितने लोगों को दंड दिया गया है और कितने मामलों में आरोप सिद्ध नहीं किये जा सके; और

(घ) सरकार को कितनी हानि हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) दो।

(ख) दोनों मामलों की अभी जांच हो रही हैं।

(ग) चूंकि अभी मामले निलंबित हैं, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) दो मामलों में गबन हुई राशि का अनुमान २,२६,७१४ रु० ५० नये पैसे हैं। सरकार को हुई हानि की कुल राशि का अनुमान मामलों का फैसला होने और अपराधियों से होने वाली राशि की वसूली के बाद ही किया जा सकता है।

रेलवे स्टेशनों पर पुस्तक की दूकानें

३२८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि स्टेशनों पर पुस्तकें बेचने के स्टालों का ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी का एकाधिकार समाप्त करके प्रत्येक स्टेशन पर अन्य व्यक्तियों को ठेके दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा और अन्य व्यक्तियों को किन आधारों पर ठेके दिये जायेंगे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). पूरी रेलवे पर या उसके कुछ हिस्सों में बुक-स्टाल चलाने के सम्बन्ध में मेसर्स ए० एच० ह्वीलर एण्ड कम्पनी को पहले जो एकाधिकार दिया गया था उसमें ये परिवर्तन किये गये (१) जिन स्टेशनों पर ह्वीलर का बुक-स्टाल नहीं है, वहां दूसरे लोगों को बुक-स्टाल खोलने की अनुमति दी जा सकती है और (२) जिन स्टेशनों पर ह्वीलर का बुक-स्टाल है वहां कुछ निर्दिष्ठ संस्थाओं की पुस्तकों, मासिक पत्रिकाओं आदि की बिक्री के लिये दूसरे बुक-स्टाल खोले जा सकते हैं।

बुक-स्टाल खोलने के सम्बन्ध में रेल-प्रशासन उन फर्मों या व्यक्तियों से प्रार्थना-पत्र मांगते हैं जो पुस्तकों की बिक्री का काम पहले से करते रहे हैं और उपयुक्त प्रार्थी को ठेका देते हैं।

डाक गाड़ियों के साथ लगे भोजन-यान

†३२९. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र में चलने वाली डाक या तेल यात्री गाड़ियों के साथ कोई भोजन-यान (डाइनिंग कार) लगा नहीं होता; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इन स्टेशनों पर घी का बना कोई माल नहीं मिलता ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ)** : (क) भावनगर और महुआ के बीच चलने वाली ४९९ अप और ५०० डाउन यात्री गाड़ियों तथा वीरम गाम और बीरावल के बीच चलने वाली ३७ अप और ३८ डाउन यात्री गाड़ियों पर भोजन दानयान (डाइनिंग कार) व्यवस्था है।

(ख) सौराष्ट्र क्षेत्र में स्टेशनों पर बिक्री के लिये शुद्ध घी की भोजन सामग्री नहीं रखी जाती क्योंकि उनकी मांग कम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा[1]

†३३०. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पहाड़िया : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय किन देशों का भारत के साथ अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा सम्पर्क है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : बम्बई तथा ब्रिटेन के बीच सीधी अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा है। बरास्ता ब्रिटेन टैलैक्स सेवा का इस समय देश के निम्न २२ देशों में और विस्तार किया गया है :

१. आस्ट्रेलिया	२. बैल्जियम	३. कनाडा
४. चैकोस्लावाकिया	५. डैनमार्क	६. फ्रांस
७. फिनलैंड	८. जर्मनी (पश्चिम)	९. जर्मनी (पूर्व)
१०. यूनान	११. हंगरी	१२. आयरिश जनतंत्र
१३. इटली	१४. लुज्जमबर्ग	१५. नीदरलैंडज़
१६. नौर्वे	१७. पोलैंड	१८. स्पेन
१९. स्वीडन	२०. स्विटजरलैंड	२१. रूस
२२. अमरीका		

महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकारों को चावल का सभरण

†**३३१. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास १९६०-६१ में अब तक अधिक चावल संभरण के लिये महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों से समय-समय पर चावल के संभरण की प्रार्थनाओं पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया गया और उचित मात्रा में संभरण की व्यवस्था की गई है।

१९६१ में अब तक महाराष्ट्र सरकार को २५,००० टन चावल और गुजरात सरकार को २०,००० टन आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त ६६०० टन चावल ४-२-१९६१ को बम्बई नगर में उचित मूल्य दुकानों के द्वारा वितरण के लिये केन्द्रीय सरकारी बिक्री डिपू से दिया गया था।

महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों को अधिक आवंटन देने का प्रश्न विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]International Telex Service.

दिल्ली दुग्ध योजना

†३३२. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली दुग्ध वितरण योजना और केन्द्रीय डेरी को सुचारु रूप से चलाने के लिये एक मंत्रणा समिति बनाने का निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के कब नियुक्त किये जाने की संभावना है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). जी हां । सरकार ने मेयर की अध्यक्षता में और संसद् के सदस्यों, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और दूध उत्पादन केन्द्रों के प्रतिनिधियों और अन्यों के साथ एक सलाहकार समिति बनाई । यह दिन प्रति दिन से सम्बन्धित मामलों और जनता की अनुभव की गई कठिनाईयों के सम्बन्ध में सलाह देगी । इस समिति की उद्घाटन बैठक १८ फरवरी, १९६१ को हुई ।

दिल्ली का जल संभरण

†३३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार किया गया है; और

(ख) कार्यक्रम का व्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). पहले की तरह पंजाब सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह अपनी 'पश्चिम यमुना नहर' में से आगामी ग्रीष्म ऋतु में भी दिल्ली में पीने के जल की कमी को पूरा करने के लिये पानी दे।

दक्षिण रेलवे में आउट एजेंसियां

†३३४. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मीटर गेज़ सैक्शनों पर १९५७ से लेकर आज तक कोई आउट एजेंसी बंद की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन आउट एजेंसियों के क्या नाम हैं ;

(ग) उन को बंद करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या आउट एजेंसियों के एजेंटों के विरुद्ध गबन का कोई मामला है ;

(ङ) यदि हां, तो बंद की गई आउट एजेंसियों में इस प्रकार ग़बन की गई राशि का व्यौरा क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) क्या आउट एजेंसियों के एजेंटों को किन्हीं बिलों का भुगतान अभी करना शेष है ;

(छ) यदि हां, तो उन आउट एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ;

(ज) ये राशियां कितनी देर से नहीं दी गई हैं ;

(झ) मुअत्तिल की जाने के पश्चात् कितनी आउट एजेंसियां पुनः चालू की गई हैं; और

(ञ) क्या मुअत्तिल की गई अन्य आउट एजेंसियों को पुनः आरंभ करने की कोई योजना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ञ). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]**

विनय नगर के समीप रेलवे पुल

†**३३५. श्री राम गरीब** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाणक्यपुरी को सरोजिनी नगर, नई दिल्ली से मिलाने के लिये विनय नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुल के नीचे सड़क बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब से, और क्या यह सच है कि निर्माण होने के शीघ्र पश्चात् टूट गई है; और

(ग) क्या इस सड़क के टुकड़े पर प्रकाश का उचित प्रबन्ध है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां । सड़क केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है ।

(ख) पुल के सरोजिनी नगर की तरफ की सड़क कई वर्षों से विद्यमान है और लगभग चार वर्ष पूर्व इस की "सर्फेसिंग" की गई और अब फिर 'री-सर्फेसिंग' की आवश्यकता है । पुल से चाणक्यपुरी पक्ष के पहले चौरस्ते तक सड़क का टुकड़ा हाल ही में बनाया गया था और १५-११-६० को पूरा किया गया था। पुल के नीचे कुछ गड्ढों के सुराख थे और जिस ठेकेदार ने यह सड़क सी० पी० डब्ल्यू० डी० के लिये बनाई थी, वह इस की मरम्मत करवा रहा है ।

(ग) लगभग २०० फुट लंबी सड़क अर्थात् पुल के दोनों ओर १००-१०० फुट सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है । यह काम नई दिल्ली नगरपालिका समिति के द्वारा किया जाएगा ।

इम्फाल तथा नामबाल नदियों पर पुल

†**३३६. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल नगर क्षेत्र के अन्दर इम्फाल और नामबाल नदियों पर सब पुल या तो थल नहीं रहे या सुरक्षित न होने के कारण यातायात के लिये बन्द कर दिये गये हैं तथा इम्फाल के पश्चिम और पूर्व भागों के बीच परिवहन और यातायात दोनों को बड़ी बाधा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान पुलों की मरम्मत करने या पुनः बनाने अथवा नये पुलों का निर्माण पूर्ण करने के लिये पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में डाक तथा तार घरों की इमारतें

†३३७. **श्री का० च० जेना** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उड़ीसा के बालासोर ज़िले में जालेस्वर और बस्ता में सब पोस्ट आफिसों के लिये विभागीय इमारतें बनाने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब किया गया था और दोनों इमारतों के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) वह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां।

(ख) जालेस्वर और बस्ता में प्रस्थापित इमारतों के लिये मंजूरी क्रमशः २२-७-६० और १४-४-६० को दी गई थी। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में कुछ महीने और लग जायेंगे।

(ग) आशा है कि वह कार्य १९६२-६३ में पूरा हो जायेगा।

विश्व अन्तरिक्षशास्त्र संगठन

†३३८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६० में विश्व अन्तरिक्षशास्त्र संगठन के जलवायु विज्ञान आयोग के ब्रिटेन में हुये सम्मेलन में प्रतिनिधियों के रूप में किस-किस व्यक्ति ने भाग लिया था ;

(ख) उस सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने से क्या लाभ हुआ है; और

(ग) जलवायु विज्ञान के भारक के कृषि कार्य में विशेष रूप से क्या-क्या लाभ हुआ है और इस मंत्रालय ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कार्यों से सम्बन्ध उत्पन्न करने के सम्बन्ध में क्या यत्न किये हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) प्रादेशिक अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र बम्बई के निदेशक, श्री के० एन० राव।

(ख) भारत सरकार अपने विचारों को प्रभावकारी रूप में प्रस्तुत कर सका और कार्यावलि के महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि जलवायु सम्बन्धी प्रक्रिया, अणु अन्तरिक्ष विज्ञान, जलवायु विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों को तैयार करने की वर्तमान विधियां, आक्लेद उष्ण प्रदेशों और मरुस्थल क्षेत्रों के जलवायु विज्ञान आदि के सम्बन्ध में एक पथ प्रदर्शनी तैयार करने के सम्बन्ध में प्राविधिक चर्चा में भाग लिया था जोकि इस सम्बन्ध में भारत के अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से भारत उस सम्मेलन में इन विषयों के बारे में किये गये निर्णयों पर पर्याप्त असर डाल सका है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जलवायु विज्ञान से आधुनिक विकासों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का भारतीय प्रतिनिधि को बहुमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जलवायु विज्ञान का ज्ञान भारत के कृषि क्षेत्र के लिये इन विषयों के बारे में निर्णय करने में पर्याप्त लाभदायक सिद्ध हो सकता है--विभिन्न काश्तों के लिये विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की उपयुक्तता, बढ़िया किस्म की फस्लों की खेती प्रारम्भ करना, काश्तकारी के अधीन लाये गये नये क्षेत्रों के लिये फसल के स्वरूपों का आयोजन, सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं और जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के बारे में निर्णय करना, कृषि कीटाणु सम्बन्धी आशंका पूर्व क्षेत्रों की स्थिति का विनिश्चय करना और इस बात का विनिश्चय करना कि किस किस मौसम में कृषि कीटाणु तथा रोग फैलते हैं और कृषि के लिये मौसम सम्बन्धी सेवा-कार्य करना।

भारत में फसलों की स्थिति का अनुमान लगाने के लिये एक अखिल भारतीय 'क्राफ्ट आऊट लुक' तैयार की जाती है और प्रतिमास खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को संभारित की जाती है। टिड्डियों की समस्या को हल करने के लिये अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े संभरित किये जाते हैं और इस प्रकार से इस मंत्रालय से निकट का सम्पर्क स्थापित किया जाता है। अखिल भारतीय फसल मौसम योजनायें अन्तरिक्ष विभाग तथा केन्द्रीय और राज्यों के कृषि विभागों में सहयोग की भावना उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त कृषिकारों के हित के लिये मौसम सम्बन्धी समाचारों का प्रसारण भी किया जाता है और सामुदायिक विकास परियोजना केन्द्रों को भी बे संभरित किये जाते हैं।

बहुदा नदी परियोजना

†३३९. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २३ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बहुदा नदी परियोजना के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निणय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उड़ीसा सरकार से अभी तक इसका ब्योरे वार प्रारूप प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बांदकपुर रेलवे स्टेशन

३४०. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) विगत दस वर्षों में कटनी-बीना सेक्शन पर स्थित बांदकपुर रेलवे स्टेशन पर मेले के अवसर पर यात्रियों को सुविधा देने के लिये अस्थाई मुसाफिरखाना तैयार कराने और उसे गिराने में कितना रुपया व्यय हुआ ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि प्रतिवर्ष लाखों यात्री उक्त स्थान पर यात्रा करने को जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार उक्त स्टेशन पर उपयुक्त मुसाफिरखाना बनवायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ३०,००० रुपये अर्थात् लगभग ३,००० रुपये प्रति वर्ष।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वहां साल में दो मेले लगते हैं और हर मेले के अवसर पर लगभग ६,००० यात्री आते-जाते हैं ।

(ग) यदि इस काम के लिये रकम मिली, तो १९६१–६२ में एक स्थायी मुसाफिरखाना और एक प्लेटफार्म बनाने का विचार है।

सागर रेलवे स्टेशन

३४१. पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सागर रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन के उत्तर में स्थित है जब कि तीन-चौथाई से अधिक शहर दक्षिण में बसा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त स्थिति के कारण रेलवे यातायात की बहुलता और शटिंग आदि के कारण दिन में वीसों बार हजारों व्यक्तियों और वाहकों को रेलवे फाटक पर रुका रहना पड़ता है; और

(ग) यात्रियों की सुविधा के लिये क्या शासन एक ऊपर के पुल के निर्माण की व्यवस्था करने की कृपा करेगा और क्या पूर्वस्वीकृत नीचे के पुल का शीघ्र निर्माण करेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री स० व० रामस्वामी) : शायद माननीय सदस्य का मतलब मध्य रेलवे के सागर स्टेशन से है। यदि हां, तो उत्तर इस प्रकार है :—

(क) जी हां।

(ख) हर गाड़ी के आने के समय और शटिंग के दौरान में पैदल यात्रियों और सवारियों को रोकना जरूरी होता है लेकिन उन्हें कम से कम समय के लिये रोका जाता है ।

(ग) वर्तमान समपारों की जगह लाइन के ऊपर/नीचे पुल बनाने के लिये जब संबंधित सड़क अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप से प्राथना की जाती है और जब वर्तमान नियमों के अनुसार वे अपने हिस्से का खर्चा देने के लिये राजी हो जाते हैं तो पुल बनाने की व्यवस्था की जाती है। मध्य रेलवे के १९५८–५९ के निर्माण-कार्य में इस विशेष समपार की जगह एक सुरंग-मार्ग बनाने की योजना शामिल थी, लेकिन राज्य-सरकार ने दूसरी आयोजना में अपने हिस्से की रकम देने में असमर्थता प्रकट की, इसलिये इसके बनाने का विचार छोड़ दिया गया । तीसरी आयोजना की अवधि में मध्य प्रदेश में समपारों की जगह लाइन के ऊपर नीचे पुल बनाने की योजना अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

[1]हरी खाद

३४२. श्री बाल्मीकी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरी खाद के प्रयोग के बारे में १९६० की समाप्ति तक कैसी प्रगति रही ;

(ख) गत तीन वर्ष में हरी खाद का प्रति वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में प्रयोग किया गया; और

(ग) इस अवधि में उस से कितने प्रतिशत अधिक अन्नोत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) सन् १९६० के अन्त तक लगभग १०५ लाख एकड़ भूमि क्षेत्र में हरी खाद का प्रयोग होने का अंदाजा है।

---

[1]मूल अंग्रेजी में

(ख) वास्तव में हरी खादों की इस्तेमाल की गई मात्राएं उपलब्ध नहीं हैं। अनुमानों के अनुसार सन् १९५८–५९ में लगभग ४० लाख एकड़ भूमि में हरी खाद का प्रयोग किया गया, सन् १९५९–६० में ये बढ़ कर ७० लाख एकड़ हो गई और सन् १९६०–६१ में १०५ लाख एकड़। औसतन लगभग ५००० पौंड हरी खाद (हरी सामग्री) प्रति एकड़ प्रयोग की जाती है।

(ग) हरी खाद के प्रयोग से औसतन रूप में खाद्य उत्पादन के प्रति एकड़ एक टन का दसवां भाग बढ़ जाने की आशा है।

रेलवे लाइनें

†३४३. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त है कि देश के ऐसे कितने ज़िले हैं जिनमें एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है; और

(ख) क्या जिन जिलों में पहले से ही रेलवे लाइनें हैं, वहां नयी रेलवे लाइनें लगाने से पहले उक्त जिलों में रेलवे लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना विचाराधीन है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सं० वं० रामस्वामी)** (क) रेलवे सम्बन्धी आंकड़े क्षेत्रीय आधार पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, नहीं ;

उत्तर रेलवे में सहकारी समितियां

†३४४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में कर्मचारियों की डिवीजन-वार कितनी सरकारी समितियां कार्य कर रही हैं और उनके क्या क्या नाम हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : एक विवरण सलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९]**

उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर यात्रियों के लिये सुविधायें

†३४५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८, १९५९ और १९६० में उत्तर रेलवे के दिल्ली-फिरोजपुर लाइन के स्टशनों के प्लेट फार्मों पर सामान के लिये शेड पीने के पानी के सम्बन्ध में सुविधाओं पार्सलों के लिये गोदामों, तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये प्रतीक्षा कक्षों, और यात्री प्लेटफार्मों पर शेड लगाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुए थे,

(ख) यदि हां, तो उनके में से कौन कौन से सुझाव स्वीकार किये गये ; और

(ग) उनके सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९५८, १९५९ और १९६० में उत्तर रेलवे की दिल्ली फिरोजपुर लाइन पर सुविधाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए थे :—

(१) मैसार खाना में पीने के पानी के सम्बन्ध में सुविधाओं में सुधार करना ।

(२) जुलाना और धमतान में तीसरे दर्जे के यात्रियों के प्रतीक्षा कक्षों का विस्तार करना ।

(ख) इन सुझावों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है ।

(ग) सुझाव संख्या (१) के बारे में विस्तृत जांच की जा रही है। जहां तक सुझाव संख्या (२) का सम्बन्ध है, यात्री सुविधा समिति के परामर्श से प्राथमिकता क्रम के अनुसार और धनराशि की उपलब्धि के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त अभिकर्ता

†३४६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में जिलावार कितने विभागातिरिक्त अभिकर्ता हैं; और

(ख) १९५९ और १९६० में जिलावार कितने अभिकर्ताओं को नौकरी से हटा दिया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०]

रेलवे पटरी को बदलना

†३४७. { **सरदार इकबालसिंह** :
श्री पांगरकर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में ऐसी कौन कौन सी रेलवे पटरियां हैं जिन्हें १९१० से पहले बिछाया गया था, और उन्हें अभी तक बदला नहीं गया है ।

(ख) उन पुरानी पटरियों के स्थान पर जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, नयी पटरियां लगाने की प्रस्थापना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१]

पंजाब में परिवार नियोजन

†३४८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये पंजाब सरकार को आवंटित की गयी राशि का पूरा उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). जी, नहीं पंजाब सरकार को परिवार नियोजन के लिये आवंटित की गयी राशि का प्रविधिक कर्मचारियों की कमी के कारण पूरा उपयोग नहीं किया जा सका ।

भटिंडा जंकशन के लिये वृहद् योजना

†३४९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिण्डा जंक्शन के लिये कोई वृहद्योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो वह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी; और

(ग) उस कार्य की पूर्ति के लिये कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं हुए ।

वन

†३५०. { **श्री वोडयार :**
श्री अगाड़ी : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में वनों के लिये कितने वर्ग मील भूमि सुरक्षित की गयी है; और

(ख) उसमें कितनी भूमि औद्योगिक, सिंचाई तथा विद्युत् सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये ले ली गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) १९५२ के राष्ट्रीय वन नीति संकल्प के अनुसार देश की कुल भूमि के क्षेत्र में से एक तिहाई क्षेत्र में वन लगे होने चाहियें । उसमें यह भी लिखा है कि वन भूमि की रक्षा करने के लिये हिमालय, दक्षिण तथा ऐसे अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में जहां भूमि के कटाव की आशंका हो सकती है, और अधिक भूमि अर्थात् लगभग ६० प्रतिशत भूमि में वन लगाये जायें; और उन मैदानी क्षेत्रों में जहां भूमि समतल है और जहां भूमि के कटाव की आशंका बहुत कम है, लगभग २० प्रतिशत भूमि में वन लगाये जायें । एक विवरण संलग्न है जिसमें वन अधीन भूमि के सम्बन्ध में आधुनिक आंकड़े सम्मिलित हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ख) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

अनाज का थोक बाजार

†३५१. **श्री अय्याकण्णु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनाज के थोक बाजार की स्थिति में सुधार तथा उसका विनियमन करने की एक योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन कितने और कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं; और

(ग) इस योजना से क्या लाभ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) मार्केटों के विनियमन का कार्य राज्यों के वैधानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में आता है और राज्यों को ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून बनाने और उन कानूनों के अधीन कार्यवाही करनी पड़ती हैं। उन उन राज्यों की सरकार का ध्यान मार्केटों के लिये कानून बनाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया गया है, जहां इस प्रकार के कानून नहीं हैं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित एक योजना के अधीन, जिसे तृतीय पंच वर्षीय योजना में भी लागू किया जा रहा है, नियमित मार्केटों की स्थिति में सुधार करने के लिये अर्थात् वहां तक पहुंचाने वाली सड़कों, जलकुंडों, ढोरों के लिये छप्पर, नीलामी हाल आदि के निर्माण के लिये मार्केट समितियों को ऋण देने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दे रही है।

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां आवश्यक कानून लागू हैं, 'नियमित मार्केटों' की संख्या निम्नलिखित है :—

राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के नाम	३०-११-१९६० तक नियमित मार्केटों की संख्या
महाराष्ट्र	२०४
पंजाब	१२८
गुजरात	१०२
मध्य प्रदेश	८६
आन्ध्र प्रदेश	८६
मैसूर	६८
मद्रास	२६
उड़ीसा	११
केरल	४
बिहार	..
दिल्ली	३
हिमाचल प्रदेश	
त्रिपुरा	
कुल . . .	७१८

(ग) मार्केटों के विनियमन से बाजार भावों के वैज्ञानिकन करने और मार्केटों के कदाचारों को समाप्त करने का यत्न किया जाता है। इससे उत्पादन कर्ताओं को अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

राम गंगा पर नौका-पुल

†३५२. **श्री राम शरण:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद के निकट राम गंगा पर वर्ष में आठ महीनों के लिये एक नौका पुल बनाने की परियोजना के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह पुल कब तैयार किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). क्योंकि धन राशि की कमी के कारण तृतीय पंच वर्षीय योजना में राम गंगा नदी पर एक अलग स्थायी सड़क पुल बनाना सम्भव नहीं हो सकेगा, इसलिये एक ऐसे नौका-पुल के निर्माण के सम्बन्ध में एक योजना के बारे में विचार किया जा रहा है, जो कि सम्पूर्ण सरदी के मौसम और गरमी के कुछ महीनों में काम आयेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। यदि वह कार्य मंजूर कर लिया गया, तो उसे १९६१-६२ में प्रारम्भ किया जायेगा।

भारत में गेहूं का संभरण

†३५३. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं आयोग ने रियायती दर पर भारत को गेहूं के संभरण के सम्बन्ध में कोई सिफ़ारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो वे सिफ़ारिशें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) गेहूं उपयोग मिशन ने सिफ़ारिश की है कि भारत को रियायती दामों पर गेहूं का संभरण किया जाये।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें आयोग की सिफ़ारिशें बतायी गयी हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]**

बिना रोशनी के रेलगाड़ियों का चलना

†३५४. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के हावड़ा-आज़मगढ़ लूप लाइन पर ३५३ डाऊन ट्रेन कई बार रात को बिना रोशनी के ही चलती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) (क) और (ख). ३५३ डाऊन ट्रेन दिन के समय चलती है अर्थात् वह सियालदाह से प्रातः ८.२२ बजे चलती है और दोपहर २.३६ पर सालार में आ कर समाप्त हो जाती है। अतः उसके रात को बिना रोशनी के ही चलने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोजाबाद): इस सत्र के प्रारम्भ से आपने स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में नयी प्रक्रिया अपना ली है। स्थगन प्रस्तावों का अस्वीकार करने के कारण नहीं दिये जा रहे हैं, अतः हमें यह मालूम नहीं हो पाता कि स्थगन प्रस्ताव किन कारणों से अस्वीकार कर दिया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव के स्वीकार होने के लिये तीन शर्तें आवश्यक हैं, पहिला वह अविलम्बनीय विषय के सम्बन्ध में हो, दूसरा उसका विषय निश्चित हो, तीसरा वह लोक महत्व

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

से सम्बन्ध रखता हो । सामान्य विषयों के सम्बन्ध में यह शर्तें पूरी नहीं उतरती हैं, अतः उन विषयों पर विचार करने के लिये स्थगन प्रस्ताव एक उचित साधन नहीं है, इसके पूर्व जब स्थगन प्रस्ताव किसी एक शर्त के अधीन न आने के कारण अस्वीकृत हो जाता था तो माननीय सदस्य सभा में आकर उस पर विवाद करना आरम्भ कर देते थे अतः मैंने एक फार्म तैयार करवाया था जिसमें वे ४० या ४१ कारण दिये जाते थे जिनके अधीन स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो सकता था, तथापि मैंने देखा कि माननीय सदस्यों ने उस कारण को ही लेकर सभा में चर्चा करनी आरम्भ कर दी अतः अग्रेतर विचार करने के पश्चात मैंने कारण न देना ही उचित समझा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : आज जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है उसका आशय यह है कि दिल्ली में इस सप्ताह उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हो गयी है, कदाचित इसका कारण यह है कि २८ फरवरी को बजट रखा जाने वाला है । अतः हमें इस पर २८ फरवरी के पूर्व चर्चा करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस विषय पर अभिभाषण पर चर्चा करते समय सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं । यदि पचास से अधिक सदस्य इस विषय को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं तो इस पर दो घंटे की चर्चा की जा सकती है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम

भारतीय तार (संशोधन) नियम

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैं (१) भारतीय डाक-घर अधिनियम, १८९८ के अन्तर्गत जारी किये गये दिनांक १८ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०६ में प्रकाशित भारतीय डाक-घर (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या २६४६/६१]

(२) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११९ में प्रकाशित भारतीय तार (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या २६४७/६१]

दिल्ली विकास प्राधिकार (बजट तैयार करना) नियम

†**कृषि उपमंत्री श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : मैं श्री करमरकर की ओर से दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९ में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार (बजट तैयार करना) नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६४८/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

वणिक नौवहन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४९ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (भारतीय जहाजों का पंजीयन) नियम, १९६० ।

(२) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५० में प्रकाशित वणिक् नौवहन (जहाजों का टन भार माप) नियम, १९६० ।

(३) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५१ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (समुद्र सेवा में शिशिक्षा) नियम, १९६० ।

(४) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५२ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (विपत्तिग्रस्त नाविक) नियम, १९६० ।

(५) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५५३ में प्रकाशित चलने वाले जहाज (निःशुल्क भोजन का दिया जाना) नियम, १९६० ।

(६) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५४ में प्रकाशित चलने वाले जहाज (चालकों का विवरण) नियम, १९६० ।

(७) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५५ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (चलने वाले जहाजों का टनभार माप) नियम, १९६० ।

(८) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५६ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (चलने वाले जहाजों का पंजीयन) नियम, १९६० ।

(९) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५७ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (निरन्तर निकासी प्रमाण पत्र) नियम, १९६० ।

(१०) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५८ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (चालक वृन्द आवास) नियम, १९६० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या २६४९/६१]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें कृष्णप्पा)** : मैं श्री अ० म० थामस की ओर से अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक १७ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४९५ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६० ।

(२) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५६० में प्रकाशित चावल तथा धान (असम) चतुर्थ मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मो० वें० कृष्णप्पा]

(३) दिनांक ३ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २ में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं (यातायात नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश, १६६१ ।

(४) दिनांक ३ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३ में प्रकाशित कलकत्ता गेहूं (यातायात नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, १६६१ ।

(५) दिनांक ७ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६ में प्रकाशित खाद्यान्न यातायात (मीट्रिक बाटों में बदलना) आदेश, १६६१ ।

(६) दिनांक ७ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १६६१ ।

(७) दिनांक ७ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २८ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १६६१ ।

(८) दिनांक ७ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६ में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमान्त यातायात पर प्रतिबन्ध) (संशोधन) आदेश, १६६१ ।

(६) दिनांक ७ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५ में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं यातायात नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १६६१ ।

(१०) दिनांक १४ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५० में प्रकाशित गेहूं रोलर फ्लोर मिलें (लाइसेन्स देना तथा नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश, १६६१ ।

(११) दिनांक १३ जनवरी, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या ६६ में प्रकाशित कलकत्ता गेहूं (यातायात नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, १६६१ ।

(१२) दिनांक १३ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७० में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १६६१ ।

(१३) दिनांक १३ जनवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १६६१ ।

(१४) दिनांक १० फरवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७६ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण संशोधन आदेश, १६६१ ।

(१५) दिनांक १० फरवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८० में प्रकाशित त्रिपुरा खाद्यान्न यातायात नियंत्रण (संख्या २) संशोधन आदेश, १६६१ ।

(१६) दिनांक १० फरवरी, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८१ में प्रकाशित गेहूं की रोलर फ्लोर मिलें (लाइसेंस देना और नियंत्रण) दूसरा संशोधन, १६६१ ।

(१७) दिनांक १६ जनवरी, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या ७५ ।

(१८) कलकत्ता गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५६ को रद्द करने वाली दिनांक १९ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या २६५०/६१]

विमान निगम (संशोधन) नियम

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११८ में प्रकाशित विमान निगम (संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या २६५१/६१]

रेलवे समय सारिणी के प्रकाशन के बारे में याचिका

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे द्वारा रेलवे समय सारणी के सम्बन्ध में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

"हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" दिल्ली का बन्द होना

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम और रोज़गार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

" 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड, दिल्ली के बन्द होने के समाचार, जिसके फलस्वरूप लगभग ३५० कामगर बेकार हो गये हैं"

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" की प्रेस और इमारत अब दूसरे व्यक्ति के हाथों में जा रही है जिसके फलस्वरूप यह पत्र २० फरवरी, १९६१ से बन्द हो गया है । समाचार पत्र का परिचालन लगभग ५० प्रतिशत घट गया है और उसके प्रबन्धक उसे एक लाभकारी उपक्रम के रूप में चला सकने में असमर्थ हैं ।

इसके पश्चात् से प्रबन्धकों और कामगरों के संघ के बीच समाचार पत्र के बन्द होने तथा कामगरों को लगभग ४.५० लाख रुपये प्रति कर के रूप में भुगतान करने के सम्बन्ध में समझौता हो गया है । संघ इस बात पर सहमत हो गया है कि वह इसके बन्द होने के सम्बन्ध में कोई विवाद खड़ा नहीं करेगा तथा प्रबन्धकों द्वारा दी जाने वाली इस राशि के उपरांत यह समझ लिया जायेगा कि उनकी सारी बकाया राशियों का भुगतान कर दिया गया है ।

इस समझौते पर दिल्ली श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष के सम्मुख हस्ताक्षर किये गये हैं । तदनुसार इस मामले में अग्रेतर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : श्री मोरार जी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उत्तर प्रदेश के कुछ अधिनियमों के अधीन गन्ने पर उपकरों के आरोपण और संग्रह का मान्यीकरण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि उत्तर प्रदेश के कुछ अधिनियमों के अधीन गन्ने पर उपकरों के आरोपण और संग्रह का मान्यीकरण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर (मान्यतादान) अध्यादेश, १९६१ द्वारा तत्काल विधान बनाने की किन परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ी उन्हें बताने वाला वक्तव्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७१(१) के अधीन सभा पटल पर रखता हूं।

[देखिये परिशिष्ट संख्या १, अनुबन्ध संख्या ५४]

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : श्री मोरार जी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बैंकिंग समवाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं बैंकिंग समवाय (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ द्वारा तत्काल विधान बनाने की किन परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ी उन्हें बताने वाला वक्तव्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७१(१) के अधीन सभा पटल पर रखता हूं ।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब २० फरवरी, १९६१ को श्री भक्त दर्शन द्वारा प्रस्तुत और श्री चें० रा० पट्टाभिरामन् द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

> "कि इस सत्र में समवेत् लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति महोदय के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने १४ फरवरी, १९६१ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की थी, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

श्री वाजपेयी अपना भाषण जारी करें ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल राज्य सभा में प्रधान मंत्री जी ने जो यह घोषणा की है कि चीन के साथ समझौता केवल इसी आधार पर हो सकता है कि चीन भारत का क्षेत्र खाली कर दे, इस में लेन देन का कोई प्रश्न नहीं उठता, मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं । हमारे प्रधान मंत्री जी ने फिलहाल पेकिंग न जाने के सम्बन्ध में जो निर्णय किया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं । जब तक चीन के रवैये में, चीन के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होता, चीन के साथ वार्ता करने का कोई लाभ नहीं होगा । लेकिन इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए भी मैं प्रधान मंत्री जी के भाषण में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं खोज सका कि अगर चीन भारत की भूमि पर से अपने आक्रमण को नहीं हटाता तो हम भारत की भूमि को मुक्त कराने के लिए कौन से कदम उठाने जा रहे हैं । । यदि आज सैनिक कार्रवाई करना सम्भव नहीं है तो कम से कम यह तो सम्भव है कि हम सीमा पर जो चौकियां हैं, वहां पुलिस की जगह अपनी फौज तैनात करें । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में यह बताया है कि काला पानी तथा गरबियान की चैक पोस्ट पर अभी सिविल पुलिस लगी हुई है, वहां हमारी फौज के जवान तैनात नहीं किए गए हैं । उन्होंने यह भी बताया है कि ये चौकियां पूरे साल काम नहीं करतीं, कुछ महीने ही काम करती हैं और बाद में पुलिस के सिपाही वापिस चले आते हैं । अगर चीन के जवान तकलाकोट में बारहों महीने चौकियों पर काम कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम भी वहां पुलिस की जगह फौज के जवान न रखें और बारह महीने वहां पर सीमा की देख भाल का इंतिज़ाम न करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपेयी]

इस के साथ यह भी प्रश्न है कि क्या सैनिक कार्रवाई को छोड़ कर हम ऐसे और कोई कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिन से पता लगे कि हम चीन के आक्रमण को बरदाश्त नहीं करेंगे । उस दिन उप-विदेश मंत्री ने राज्य सभा में बताया था कि पेकिंग में हमारा जो इंडियन मिशन है, उस के राजदूत के परसनल असिस्टेंट के साथ बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया गया । हम ने एक विरोध की चिट्ठी भेजी है । पर क्या केवल इतना ही पर्याप्त है, क्या हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार हमारे राजदूत के साथ किया जाएगा ? चीन का हमारे प्रति जो भी आचरण है, उसके विरोध-स्वरूप हमें पेकिंग से अपने राजदूत को वापिस बुला लेना चाहिये और जब तक हम उन्हें वापिस नहीं बुलाते, तब तक चीन में हमारे राजदूत और उनके कर्मचारियों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, उसी प्रकार के प्रतिबन्ध नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास के कर्मचारियों पर भी लगने चाहियें ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दोनों देशों के अधिकारियों ने जो वार्ता की है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि तिब्बत के सम्बन्ध में हमने जो नीति अपनाई है वह नीति ऐतिहासिक तथ्यों से पुष्ट नहीं होती । चीन ने भी, तिब्बत संधियां कर सकता है, इस अधिकार की पुष्टि की है । हमने भी इसका उल्लेख किया है कि तिब्बत को अन्तरर्राष्ट्रीय संधियां करने का अधिकार था। तो फिर हम तिब्बत पर चीन के अधिकार को सौ फीसदी किस तरह से स्वीकार कर सकते हैं ? जो तथ्य हमने रखे हैं, जो संधियां हमने उद्धृत की हैं, उन से इस बात की पुष्टि होती है कि तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में जीवित रहने का अधिकार था । अगर आज सरकार किन्हीं कारणों से इतना आगे बढ़ने को तैयार नहीं है तो कम से कम तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का जो प्रश्न है जिसे थाईलैंड और मलाया ने राष्ट्र संघ में उठाया है, हमें उस के समर्थन का तो उन्हें आश्वासन देना चाहिये । वह प्रस्ताव कैसा बने, इस के सम्बन्ध में भारत सरकार की राय जानने की कोशिश की गई है । मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न शीतयुद्ध का प्रश्न न बनें, इस के लिये प्रयत्न किया जा सकता है, अगर भारत सरकार इस बात का संकेत दे कि वह प्रस्ताव किस रूप में होना चाहिये । लेकिन अब तिब्बत के मानवाधिकारों के प्रश्न पर चीन की शक्ति को देखते हुए हम चुप बैठे रहें, यह ठीक नहीं होगा ।

इस के साथ ही विश्व के जनमत को भी हमें सीमा विवाद के प्रश्न पर अपनी ओर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये । कल ऐसा वाद-विवाद में कहा गया कि चीन हमें हमारे पड़ोसियों से अकेला कर रहा है, अलग कर रहा है । नेपाल और बर्मा ने चीन के साथ समझौता किया है, हमें कोई शिकायत नहीं है । वे समझौता करें । मगर उन्हें हमारे अनुभव से लाभ उठाना चाहिये । चीन का आज तक का सारा इतिहास समझौतों को तोड़ने का इतिहास है । चीन के प्रधान मंत्री न दिल्ली में आ कर कह गए कि हम भूटान और सिक्किम के साथ भारत के सम्बन्धों का सम्मान करेंगे । उसका टेप रिकार्ड भी मौजूद है । मगर पेकिंग रिव्यू ने सम्बन्धों के पहले "प्रापर" शब्द लगा दिया, उचित शब्द लगा दिया है । नेपाल और बर्मा अगर आज चीन के इरादों को न समझते हुए और भयभीत होकर, जिस के लिए भारत सरकार भी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती,

चीन पर आंख मूंद कर विश्वास करेंगे तो उन्हें भविष्य में संकट का सामना करना पड़ सकता है । हमारा कर्तव्य है कि हम चीन के इरादों से पड़ोसियों को परिचित करायें, विश्व में प्रचार करें, विशेषकर ब्रिटेन में जहां चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उस के सम्बन्ध में बड़ी गलतफहमियां हैं। ब्रिटेन के लोग बहुत कानूनदां बनते हैं। अब हमारी रिपोर्ट से हमारा पक्ष कानून की दृष्टि से भी बड़ा प्रबल हो गया है । इस रिपोर्ट का दुनिया के अन्य देशों में भी प्रचार किया जाना चाहिये। अफ्रीका के नये देश जो स्वतंत्र हो गये हैं उन को भी हम चीन के इरादों से परिचित करायें और उन की आजादी का स्वागत करते हुए चीन के विस्तारवाद के रूप में जो नया साम्राज्यवाद पैदा हो रहा है उस से उन को सावधान करें, इस बात की आवश्यकता है ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राष्ट्रीय एकता के लिये जो नये संकट पैदा हो गये हैं उन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । कल प्रधान मंत्री जी ने राज्य सभा में कहा कि राष्ट्रीय एकता पंचवर्षीय योजनाओं से भी अधिक महत्व रखती है । इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते, लेकिन सवाल यह है कि पिछले १३ सालों में इस देश में राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने के लिये हमने क्या कदम उठाये हैं। एकता की अपीलें करने से अथवा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध भाषण करने से एकता पैदा नहीं हो सकती। जबलपुर में जो कुछ हुआ उस से हर एक भारतीय का सिर शर्म से झुक जाता है । लेकिन केवल गुस्सा प्रकट करके और ऊपर से लीपा पोती करके या किसी पर दोषारोपण करके हम यह समझें कि यह समस्या हल हो गई, तो हम बड़ी भूल कर रहे हैं। जबलपुर कांड कोई रोग नहीं है, रोग का प्रकटीकरण मात्र है, । कल कुछ सदस्यों ने कहा कि एक लड़की पर कुछ लोगों ने बलात्कार किया ; तो लोगों ने यह बात क्यों देखी कि लड़की किस मजहब की थी और लड़के किस मजहब के थे ? मैं उन से सहमत हूं । अपराध अपराध है, बुराई बुराई है, कौनसा मजहब या कौनसा मजहब मानने वाले करते हैं, यह नहीं देखा जाना चाहिये। मगर क्या हम ने पिछले १३ सालों में ऐसा वातावरण पैदा किया है कि हम सवालों को हिन्दू-मुसलमान के रूप में न सोचें या इस के विपरीत हम ने एक ऐसी फिजा बनाई है कि हम हिन्दू-मुसलमान के रूप में अब भी सोच रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह संसद और यह सरकार इस पृथकता की भावना को पैदा करने के लिये जिम्मेदार है ।

संविधान में लिखा हुआ है कि सभी जातियों के लिये एक सिविल कोड होना चाहिये, फिर क्या कारण है कि केवल हिन्दुओं का कोड बना है ? क्या हम सिविल कोड नहीं बना सकते ? क्या शादी विवाह का कानून सम्प्रदायों के लिये अलग अलग होना चाहिये ? क्या दो शादियां करना एक सम्प्रदाय के लिये बुरा है, दूसरे सम्प्रदाय के लिये बुरा नहीं है ? ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कि अगर किसी हिन्दू को दूसरी शादी करनी होती है तो वह हिन्दू धर्म को छोड़ कर दूसरी शादी करता है । क्या यह चीज हमारे देश में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर सकती है । अभी हमारी सरकार ने हिन्दू मठों और मन्दिरों की सम्पत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिये कमिशन बनाया है । मैं इस कमिशन का स्वागत करता हूं ; मगर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केवल मठों और मन्दिरों की सम्पत्ति का ही दुरुपयोग होता है ? मस्जिदों और गिर्जाघरों की सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं होता ? क्या सेकुलर स्टेट में सब के लिये एकसा कानून नहीं होना चाहिये ? क्यों नहीं इस कमिशन का कार्य क्षेत्र बढाया जाता ? क्यों नहीं आप यह चीज भूल जाते कि यह हिन्दू है और यह मुसलमान है ? हिन्दू होंगे पूजा पाठ के लिये और

[श्री वाजपेयी]

मुसलमान होगें रोजा नमाज के लिये, लेकिन जहां तक राज्य का सम्बन्ध है, शासन का सम्बन्ध है, किसी को हिन्दू मुसलमान नहीं माना जायेगा। हमें एक भारतीय समाज की रचना करनी है, मगर हिन्दूओं के लिये अलग कोड बना कर, हिन्दू मठों और मन्दिरों के लिये अलग कमिशन बना कर हम इस एकता को नहीं पैदा कर सकते, जिस को पैदा करने की हम घोषणायें करते हैं।

यह मेरी अपनी बात नहीं है, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है कि केन्द्र के एक मंत्री हैं, मैं नहीं जानता कि यह समाचार कहां तक सही है, उन्होंने प्रधान मंत्री जी को लिखा है कि नौकरियों में मजहब के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिये। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी इस बात का खंडन करें। कौन है वह मंत्री जो रिलीजन के हिसाब से सर्विसेज में रिजर्वेशन चाहता है? अगर सर्विसेज में मजहब के हिसाब से रिजर्वेशन होगा तो देश में राष्ट्रीयता की भावना कभी पैदा नहीं हो सकती। क्या आप नौकरी देंगे तो किसी का मजहब पूछेंगे? अगर आप मजहब पूछेंगे तो यह भेद भाव और यह साम्प्रदायिकता सर्विसेज में भी फैल जायेगी। जिस व्यक्ति को मजहब देख कर, काबिलियत न देख कर, नौकरी में रखा जायेगा, वह नौकरी में जाने के बाद भी भेद भाव बरतेगा। अगर एक मंत्री भेद भाव बरतेगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, फिर दूसरे भी बरतेंगे, और फिर एक विषम चक्र चलेगा और देश को एकता के सूत्र में बांधने का हमारा स्वप्न खंडित हो जायगा। मैं समझता हूं कि इस मंत्री का केन्द्रीय मंत्रिमंडल से अस्तीफा मांगा जाना चाहिये। वह हमारी सेकुलर डिमाक्रेसी में विश्वास नहीं करता। उस दिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने हैदराबाद में हरिजन बन्धुओं को परामर्श दिया कि यह रिजर्वेशन ठीक नहीं है, यह खत्म होना चाहिये, यह स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। किंतु हरिजनों तथा वनवासियों के लिये रिजर्वेशन हम समझ सकते हैं क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से उन के साथ अन्याय किया गया है, मगर मजहब के आधार पर रिजर्वेशन का क्या सवाल है? किंतु यह आशा उठाई जा रही है और मैं चाहता हूं कि एकता की दुहाई देने वाले इस के बारे में अपनी राय प्रकट करें जिस से पता लगे कि कौन कहां पर खड़ा है। मेरा निवेदन है कि अगर आप विनाशकारी शक्तियों से लड़ना चाहते हैं तो पार्टी से ऊपर इस सवाल को उठा कर देखिये, उस से लड़ने के लिये मैं आप के साथ हूं। अगर हिन्दू साम्प्रदायिकता अपनाते हैं तो उसका विरोध होना चाहिये, उस से लड़ा जाना चाहिये, मगर आप एक सम्प्रदाय की साम्प्रदायिकता को बर्दाश्त कर लें, यह ठीक नहीं है।

कुछ समय से इस तरह के संगठित प्रयत्न हो रहे हैं कि साम्प्रदायिकता को पैदा किया जाय और जब से केरल में मुसलिम लीग के साथ गठबन्धन किया गया है, यह साम्प्रदायिकता और भी बढ़ रही है। मैं क्या बतलाऊं? आज कहा जा रहा है कि अगर स्कूल की किताबों में हमारे विद्यार्थियों को दिवाली, दशहरा, और होली के बारे में पाठ पढाये जायेंगे तो हमारा मजहब खतरे में पड़ जायेगा। यह मांग की जा रही है कि इस तरह के पाठ किताबों से निकाल दिये जायें। मैं पूछता हूं कि क्या यह मांग ठीक है? होली, दशहरा और दिवाली हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, उस से किसी मजहब का सम्बन्ध नहीं है। अगर कोई होली नहीं मनाना चाहता है तो घर में बैठ सकता है, मगर हम होली मनायेंगे, हम गायेंगे। जब बसन्त बयार बहेगी, नई फसल घर में आयेगी, तो हम फाल्गुन के गीत गायेंगे, और अगर धोखे से किसी पर रंग गिर गया तो क्या खन

बहाया जायेगा ? यह चीजें ऐसी हैं जिन पर साफ बातें होनी चाहियें । हमारा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय क्या कर रहा है ? इस समय समस्या है एक संस्कृति पैदा करने की किंतु यहां तो अलग अलग संस्कृतियों की बातें हो रही हैं ?

हमारा दुर्भाग्य है कि जब से पाकिस्तान बना है, ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं कि देश में पंचमांगी भेज कर, हमारे यहां साम्प्रदायिक उत्तेजना उत्पन्न कर के राष्ट्रीय एकता को विघटित किया जाय । जबलपुर कांड के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई हैं । मैं नागपुर टाइम्स का एक उद्धरण सदन के सामने रखना चाहता हूं । नागपुर टाइम्स कांग्रेस का समर्थक कहा जाता है । नागपुर टाइम्स का कहना है कि इस बात की जांच की जानी चाहिये कि जबलपुर कांड में पाकिस्तान के पंचमांगियों का क्या हाथ है ।

नागपुर टाइम्स ने प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य पर टिप्पिणी करते हुए कहा है :

> प्रधान मंत्री ने जबलपुर के दंगे के बारे में ठीक वैसा ही वक्तव्य दिया है जैसा उन से आशा थी। तथापि हम आशा करते थे कि उन्हें दंगे के सम्बन्ध में अधिक जानकारी होगी। हिंसा की निंदा करना ही पर्याप्त नहीं है । जबलपुर और सागर के दंगों की के संबंध में एक घंटे बाद पाकिस्तान के रेडियो से प्रसारण होना यह प्रगट करता है कि देश में जासूसों का एक जाल फैला है । हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ।

जबलपुर के दंगों की निन्दा होनी चाहिए, वहां के दंगों की जांच के लिए हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक समिति बननी चाहिए। जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, हिंसा की है, हत्या की है, उन्हें दंड मिलना चाहिए। मगर मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय एकता का प्रश्न पार्टी का प्रश्न नहीं है। उनको चाहिये कि वह एक सर्व दलीय सम्मेलन का आयोजन करें । राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो बाधाएं खड़ी हैं उन के निराकरण का प्रयास करें । समस्या की तह में जा कर देखें और समझें, फिर साम्प्रदायिकता, चाहे वह किसी की भी हो, उस के मुकाबले के लिए सारे देश को तैयार करें, सारा देश उन की बात का आदर करेगा। लेकिन यह नहीं होगा चाहिए कि एक की साम्प्रदायिकता को तो उछाला जाए और दूसरे की को दबाया जाए।

अभी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि जो मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और गिरजाघरों का राजनीतिक उपयोग होता है उस पर रोक लगायी जाए। क्या कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए तैयार है ?

श्री त्यागी : तैयार है ।

श्री वाजपेयी : अगर तैयार हैं तो इस प्रस्ताव को पास करिए। साम्प्रदायिकता किसी भी रूप में हो उसे कुचल दीजिए। हम आप के साथ हैं। लेकिन साम्प्रदायिकता के नाम पर आप एक सम्प्रदाय के तुष्टीकरण की नीति अपनाएं, इसका आज असर नहीं होगा। अगर चिनगारी गिरेगी तो आग भड़केगी । अगर ऐक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। हम नहीं चाहते कि वह हो, लेकिन क्या हम जबलपुर की घटनाओं को रोक सके ? कल हमारे मित्र श्री अशोक मेहता ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सके, हाथ पर हाथ धरे बठे रहे। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की परिस्थितियां फिर से पैदा न हों इस के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : प्रधान मंत्री को यह कहना शोभा नहीं देता कि राष्ट्र की अवस्था अच्छी नहीं है इसका यह कारण है कि वे स्वयं पिछले पन्द्रह वर्षों से देश के प्रशासक हैं। मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वह मध्य प्रदेश और केन्द्र की सरकार के लिये लज्जा की बात है । जैसा कि श्री बाजपेयी ने बताया है ऐसा ज्ञात होता है कि एक समुदाय के विभिन्न नेताओं का देश भर के नेताओं से बेतार के तार द्वारा सम्पर्क है, यह बहुत गम्भीर बात है सरकार को चाहिये कि पुनः भारत में इस प्रकार की बातें न होने पायें ।

अब मैं प्रतिरक्षा की समस्या को लेता हूं। क्या हमें अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं के कार्य के सम्बन्ध में पूर्ण संतोष है। अभी कुछ ही दिन पूर्व सभा में मुख्य सेनाध्यक्ष और प्रतिरक्षा मंत्री के बीच परस्पर विवादों को लेकर काफी चर्चा हुई थी। इस के पश्चात जनरल थिम्मया के जीवन चरित्र को लेकर सभा में काफी बहस हुई। मैं ने उस पुस्तक को पढा है उस में कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आपत्तिजनक कहा जा सके। अब उन के पदनिवृत्ति होने की चर्चा कई महीनों से चल रही है । क्या महीनों पूर्व इस प्रकार की चर्चा उठाना उचित है ।

†**प्रधान मंत्रा तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पदनिवृत्त होने का एक निश्चित तरीका है, कई वर्षों से ऐसा ही होता आया है यह कोई अपवाद नहीं है ।

†**श्री रंगा** : मेरे विचार से ऐसा करना शत्रु पक्ष को यह जानकारी देने के बराबर है कि हमारे सेनाध्यक्ष जो कि विश्व के अच्छे जनरलों में से एक हैं, अमुक को तारीख से सेवा निवृत्त किया जा रहा है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में अन्य कई पदोन्नतियां भी हो रही हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि कुछ विशेष ज्येष्ठ अधिकारियों को ही क्यों पदोन्नत किया जा रहा है अन्य को क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या यह पदोन्नितियां मंत्रिमडल की प्रतिरक्षा उपसमिति की सलाह से की जाती हैं ? सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि यह सब प्रतिरक्षा सेनाओं में अधिक कुशलता लाने के विचार से किया जाता है ।

वस्तुतः सभा में यह जानकारी सब से पहिले समाजवादी मित्रों द्वारा दी गयी कि चीन ने हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर लिया है और हमें इस बारे में कोई संतोषजनक या निश्चित जानकारी नहीं दी जा रही है । अंत को जहां तक मेरी जानकारी है प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में यह स्वीकार कर लिया है था कि मुझे यह जानकारी बहुत पहिले ही दे देनी थी।

मेरा दूसरा आरोप यह है कि तिब्बत के संबंध में प्रधान मंत्री ने सदैव गलत नीति अपनायी इसका ही यह परिणाम है कि अब २००० मील लम्बे सीमांत प्में अब शत्रु बैठा हुआ है , सरकारी पदाधिकारियों के प्रतिवेदन मे भी इस बात का जिक्र किया गया है ।

वस्तुतः यह प्रतिरक्षा मंत्रालय का कर्तव्य था कि वह सरकार को उत्तरी सीमांत की दुर्बलता के संबंध में अवगत करती। इस के विपरीत अब वहां सड़कें बनायी जा रही हैं और सामान पहुंचाया जा रहा है, अपनी इस भूल का हमें सदैव प्रायश्चित करना होगा। इस गलती का दायित्व सरकार का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांगो में बहुत दुखद घटनायें हुई हैं और इन घटनाओं पर श्री नेहरू और श्री डांगे ने भी खेद प्रकट किया है । प्रधान मंत्री ने नेपाल में हुई राजनीतिक उथल पुथल पर भी खेद प्रकट किया है जब कि इस प्रकार वक्तव्य देना हमारे हित में नहीं था । हमारे पड़ौसी बर्मा ने भी चीन के साथ सीमा विवाद के संबंध में कुछ मामलों पर अनिश्चित रहना ही ठीक समझा है । मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री हमें यह आश्वासन देवें कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को स्थान देने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे।

चीन ने जिस निर्लज्जता पूर्वक अपनी की हुई संधियों को अस्वीकार कर दिया है उस से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे संयुक्त राष्ट्र में स्थान देने का भी कोई परिणाम नहीं होगा। मेरे विचार से यह समय आ गया है कि हमें विश्व के अन्य राष्ट्रों को घोषित कर देना चाहिये कि चीन हमारा मित्र नहीं है । श्री डांगे ने यह प्रस्ताव दिया है कि हमें चीन के साथ वार्ता जारी रखनी चाहिये तथापि मेरा विचार है कि ऐसा प्रस्ताव अवास्तविक है ।

मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की नीति का ही विरोधी था, मैं अब भी योजनाओं संबंधी बुनियादी नीति का विरोधी हूं । मेरा सुझाव है कि कृषि को पहली प्राथमिकता दी जाये। दूसरे वे लोग जोकि अपने कामों पर लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा को धक्का न पहुंचाया जाय। हजारों लाखों किसान जो अपनी जमीन में खेती कर रहे हैं उनको यह आश्वासन मिलना चाहिय कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षा दी जायेगी। कई विधान सभाओं ने भूमि की अधिकतम सीमा के संबंध में विधेयक पारित कर दिया है, इस से न केवल उन किसानों को जिन के पास अधिक जमीन है अपितु उन किसानों को भी जिन के पास अपेक्षाकृत कम जमीन है यह चिन्ता हो गयी है कि उनकी जमीनें भी छीनी जा सकती हैं। संविधान में संपति संबंधी अनुच्छेद का पहिले ही संशोधन किया जा चुका है इस से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गयी है । हमारे छोटे छोटे किसान शोषक नहीं हैं अपितु हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और सामाजिक विकास की धुरी हैं। दुर्भाग्य से हमारे योजना निर्माता उनकी उपेक्षा कर रहे हैं।

दस वर्ष पश्चात् अब हमारी सरकार पैकेज योजना के रूप में किसानों को सुधरे प्रकार के बीज, उर्वरक, ऋण, इत्यादि की सुविधायें केवल कुछ जिलों में प्रयोग के रूप में देना चाहती है । जब कि मैं प्रधान मंत्री को यह सुझाव बहुत पहिले ही दे चुका था ।

अन्त में मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि रोजगार की हालत गांव और शहर दोनों में ही दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तथापि सरकार ने हथकरघों के स्थान पर शक्ति संचालित करघे शुरू करने की अनुमति दे दी है। मेरा विचार है कि इस से रोजगार की हालत और भी बिगड़ जायेगी।

अतः मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिये बधाई नहीं दे सकता हूं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली): राष्ट्रपति के अभिभाषण का बड़ा महत्व है । इसका न केवल भारत की आन्तरिक राजनीति पर ही प्रभाव है प्रत्युत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी इसका असर होता है। दुनिया की बातों का हमारे पर और हमारी बातों का संसार पर प्रभाव होता ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

आज कांगो की स्थिति बड़ी गंभीर हो रही है, उस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये। दो शक्तिशाली गुटों की गुटबंदी की नीति के कारण वहां जटिलता बढ़ती जा रही है । समस्त संसार के जनमत की उपेक्षा कर के वहां जो हो रहा है वह बहुत ही शोचनीय है । हमें इसकी जोर-दार शब्दों में निन्दा करनी चाहिए। इस रोग का उपचार वही है जो कि हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा में बताया था । आज अमेरिका को भी यह अनुभव हो रहा है कि हमारा दृष्टिकोण ठीक है । किसी गुट से गठजोड़ न करने की नीति ही विश्व की समस्याओं को सुलझाने का एक मात्र उपाय है । यही मार्ग है जिस से विश्व में राष्ट्रों का परस्पर तनाव कम किया जा सकता है ।

इसी संदर्भ में मैं गोआ का उल्लेख करना चाहता हूं। गोआ के संबंध में स्थिति यह है कि वह भारत का अविच्छिन्न अंग है । इस के सम्बन्ध में हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना ही चाहिए। यह पुर्तगाल की बस्ती बना हुआ है । भारत को इस प्रश्न पर विश्व के जनमत के सामने अपना पक्ष और भी अच्छी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए । भारत के इस अभिन्न अंग को पुर्तगाल से स्वतंत्रत कराना हमारा उत्तरदायित्व ही नहीं प्रत्यत कर्तव्य भी है । संसार को इस उद्देश्य से चलाये गये प्रत्येक आन्दोलन का समर्थन करना चाहिए, चाहे वह गोआ के भीतर हो अथवा बाहर ।

अब मैं पाकिस्तान की ओर आता हूं । मेरा मत तो यह है कि पाकिस्तान भारत की विदेश नीति की सब से बड़ी श्लाघा स्वयं पाकिस्तान कर रहा है, यद्यपि मुंह से उन के कर्णधार इसका विरोध ही करते हैं। उस की सब से बड़ी सफलता इस बात से ही सिद्ध हो जाती है कि पाकिस्तान उस प्रकार की नीति को स्वीकार न करते हुए भी उस के प्रति ईर्ष्यालु हो उठा है । प्रधान कैनेडी के नवीन नेतृत्व में अमरीका की नीति भी भारत की विदेश नीति से प्रभावित हो रही है । उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा है कि मुझ श्री चर्चिल और श्री नेहरू से काफी स्फूर्ति मिली है ।

चीन-भारत सीमा विवाद के विषय पर मैं भारत सरकार की नीति का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। इस दिशा में और कोई भी इस से अच्छी नीति को नहीं अपनाया जा सकता । चीन को अन्ततोगत्वा हमारी नीति को मानना ही होगा। हम अपने विवादों को निपटाने के लिये शांति पूर्ण बातचीत का ही मार्ग अपनायेंगे । इस के अतिरिक्त अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था को हम प्रत्येक स्थान पर ठीक कर रहे हैं।

देश में हम अपनी तीसरी योजना आरम्भ कर रहे हैं। हम ने सुनियोजित अर्थ व्यवस्था की नीव डाल दी है । मूल भूत उद्योगों को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी है । हमारी राष्ट्रीय आय ४० प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन ६६ प्रतिशत और कृषि उत्पादन ४२ प्रतिशत बढ़ा है। इस पर भी मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इतनी सफलतायें प्राप्त हो चुकने पर भी जो प्रगति हुई है उसे मैं चीन द्वारा की गई प्रगति की तुलना में संतोष-जनक नहीं कह सकता ।

व्यापार की स्थिति भी बहुत शानदार नहीं है । निर्यात के मामले में भी प्रगति आशाजनक नहीं है । १९५० में विश्व के व्यापार में भारत का अंश २·६ प्रतिशत था । अब यह कम हो कर १·३ प्रतिशत रह गया है । हमारे निर्यात व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में अनुरूप प्रगति नहीं हुई है ।

पंचायत राज के बारे में विशेष उल्लेख किया है और उन्होंने आशा प्रकट की है इस व्यवस्था को प्रत्येक गांव में लागू किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान और आंध्र में जो पंचायत राज्य कायम किये गये हैं उनका सही सही मूल्यांकन कराना अत्यावश्यक है। उन के लिए चुनावों के दौरान जो सबक व समस्यायें सामने आई हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, श्री भक्त दर्शन जी ने जो प्रस्ताव यहां उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में हमारे देश से सम्बन्ध रखने वाली भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार की बातों पर सुन्दर प्रकाश डाला है।

जहां तक बाहरी बातों का सम्बन्ध है, चीन का आक्रमण, काश्मीर और गोआ के सदृश प्रश्नों को भी कुछ पीछे ही डाल देता है। चीन और हमारे बीच की सीमा सम्बन्धी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विचार करने के लिए जो एक समिति मुकर्रर हुई थी उसमें हमारे सदस्यों ने परिश्रम कर जो बातें हमारे सामने रखी हैं वे एक प्रकार से अकाट्य हो जाती हैं। और जहां तक उन सदस्यों की इन बातों का सम्बन्ध है, मुझे इस बात पर बड़ा हर्ष होता है कि केवल कांग्रेस दल के सदस्यों ने ही नहीं, परन्तु राज्य सभा और इस सदन के करीब करीब सभी दलों के सदस्यों ने उन लोगों की प्रशंसा की है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कल राज्य सभा में यह बात स्पष्ट कर दी कि जब तक चीन हमारे भूखंड को नहीं छोड़ता, तब तक इस प्रश्न का हल हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूं प्रधान मंत्री जी की इस घोषणा को देश में सर्वत्र समर्थन मिलेगा, और इसका स्वागत होगा।

परन्तु यह बात निर्विवाद है कि हमारी भीतरी और बाहरी बातें, समस्याएं, प्रश्न, इन सब का निपटारा, इन सब का हल, एक बात पर निर्भर है, और वह है हमारी एकता। फूट हमारी राष्ट्रीय ऐतिहासिक कमजोरी रही है। सैंकड़ों नहीं, दो ढाई हजार वर्ष के इतिहास को हम देखें तो भी हमें वह कमजोरी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। जब सिकन्दर का हमारे देश पर आक्रमण हुआ उस समय पश्चिमोत्तर में एक भारतीय नरेश आम्भीक मिल ही गया सिकन्दर का स्वागत करने के लिए। जब हूणों का हम पर आक्रमण हुआ उस समय क्योंकि गुप्तों का राज्य था और गुप्त वैष्णव थे, इसलिए बौद्धों ने हूणों को मदद दी। जब मुसलमान पहले पहल यहां आये, और वे उस समय विदेशी थे, उस समय जैचन्द ने उनका स्वागत किया, और अंग्रेजों का स्वागत करने के लिए भी मीर जाफर और अमी चन्द के सदृश व्यक्ति मिल गये।

इस राष्ट्रीय कमजोरी के अभी भी अनेक बार दृश्य दिखायी दे जाते हैं। राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक ने और उनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत में इसके निवारण करने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु अभी तक तो उसमें पूरी सफलता नहीं मिली है। कभी हिन्दू और मुसलमान लड़ते हैं, कभी सिखों और हिन्दुओं का झगड़ा होता है, कभी हिन्दू और जैन लड़ते हैं। अभी आसाम में कुछ दिन पहले जो झगड़ा हुआ वह दो राज्यों, बंगाल और आसाम, के निवासियों का झगड़ा था। ये संघर्ष कभी धर्म के नाम पर, कभी राज्य पुनर्गठन के नाम पर तो कभी भाषा के नाम पर होते हैं।

हिन्दू सम्प्रदायवादी गांधी जी की हत्या के बाद दबे थे। उनका फिर उत्कर्ष हो रहा है। उनके अनेक स्थानों से दैनिक पत्र तक निकलने लगे हैं और उनमें सम्प्रदायवादिता का बड़े जोरों से प्रचार

[डा० गोविन्द दास]

होता है । मुस्लिम लीग से केरल में हमारा जो समझौता हुआ उसे यद्यपि मैं कोई गलत बात नहीं मानता, लेकिन उस समझौते ने हमारे पुराने सम्प्रदायवादी मुसलमानों को भी उभारा और उस समझौते का वे नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं । अभी उज्जैन में जमैयते उल उलेमा का एक जलसा हुआ । जमैयत ऐसी संस्था थी जिसने हमें गाढ़े वक्त पर मदद दी थी । वह राष्ट्रीय संस्था थी । लेकिन मैंने जमैयत के इस अधिवेशन के भाषणों को जब पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि जमैयत में इस प्रकार के भाषण कैसे होते हैं । कल स्वामी रामानन्द तीर्थ जी ने जो भाषण दिया उसको पढ़ रहा था । उन्होंने मैसूर की एक घटना बतायी । उन्होंने बतलाया कि वहां के कुछ सम्प्रदायवादी मुसलमान किस प्रकार पाकिस्तानी नारे लगाते हुए एक जलूस में निकले थे । और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का भय है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे वोट प्राप्त करने के लिए यह सम्प्रदायवादिता बढ़ रही है । न मालूम आगे आने वाले चुनावों तक इसका क्या नतीजा निकलेगा ।

अभी जबलपुर में जो कुछ हुआ, क्योंकि मैं जबलपुर से आता हूं, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है । जबलपुर के इस कांड पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी ने जो प्रस्ताव पास किया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं । मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि इस कांड की पूरी जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमीशन या कमेटी नियुक्त होगी । मैं इस लोक सभा के मंच से जबलपुर निवासियों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के निवासियों से कहना चाहता हूं और दूसरे लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक इस जांच कमेटी की रिपोर्ट न आ जाये तब तक वे पूरा मौन धारण कर लें । इस जांच कमेटी के काम में वे पूरी पूरी सहायता दें और इस जांच कमेटी की जो भी रिपोर्ट हो उसको स्वीकार करना प्रत्येक देश निवासी का, कम से कम प्रत्येक राष्ट्र-भक्त का कर्तव्य होना चाहिए ।

परन्तु प्रश्न यथार्थ में किसका दोष है, यह नहीं है । साधारण जनता इन बातों में दोषी नहीं होती । इस प्रकार की राष्ट्रीय कमजोरी हमारे दिलों में है । प्रधान मंत्री जी ने बहुत ठीक कहा है कि अभी हमारे दिल साफ नहीं हैं इन मामलों में, और उस कमजोरी का जो समाज विरोधी तत्व हैं वे फायदा उठाते हैं और उससे हानि होती है, उसका फल भोगना पड़ता है निर्दोषों को ।

हिन्दू देश में बहुमत में हैं । अतः एकता की स्थापना का सब से बड़ा उत्तरदायित्व मैं हिन्दुओं पर मानता हूं । यह उत्तरदायित्व हमारे सांस्कृतिक सिद्धान्तों के कारण और अधिक बढ़ जाता है । हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे तत्ववेत्ताओं ने, हमारे सन्तों ने, हमारे भक्तों ने, इस समस्त सृष्टि में एक ब्रह्म के दर्शन किये थे । हम अपने में और समस्त सृष्टि के जीवों में कोई अन्तर नहीं मानते । हमारा मूल वाक्य रहा सदियों तक, युगों तक, वसुधैव कुटुम्बकम् । हमारे देश का बहुमत ईश्वर-वादी रहते हुए चारवाक का निरीश्वरवादी धर्म भी यहां पनपा । बौद्धों और जैनों का धर्म भी निरीश्वरवादी है । वह भी यहां पनपा । और ऐसी संस्कृति वाले यदि इस प्रकार के झगड़े करें, इस प्रकार के झगड़ों पर उतारू हो जांय तो मैं यह कहूंगा कि इस से ज्यादा लज्जा की बात कम से कम हिन्दुओं के लिए और नहीं हो सकती । हम जनता के नेता हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हम गुंडों के नेता नहीं हैं । जहां तक जनता का सम्बन्ध है जबलपुर नगर, जबलपुर जिला, समूचा मध्य प्रदेश, वहां की जनता राष्ट्रवादी जनता है । जबलपुर में जब चुनाव आते हैं तो हम हर एक चुनाव को जीतते हैं । उस समय सम्प्रदायवादिता हमारी जनता पर कोई असर नहीं करती । जहां तक ऐसे समाज विरोधी तत्वों का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि उस सम्बन्ध में हमारा एक कर्तव्य है और वह यह है कि हम जनता की भावना को बदलने का प्रयत्न करें । जनता से कहें कि कानून हाथ में

लेना यह उस का काम नहीं है । कम से कम स्वतंत्र भारत में जब हमारी सरकार है तो जनता कानून हाथ में ले ले और इक्की दुक्की इस तरह की घटनाओं पर जनता इस प्रकार के काम करे यह जनता का काम नहीं है । हमारा यह कर्त्तव्य अवश्य है कि हम जनता को इस सम्बन्ध में समझायें परन्तु उसी के साथ मैं फिर आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जनता के नेता हैं हम गुंडों के नेता नहीं हैं । जहां तक गुंडों का सवाल है वहां तक गुंडों का दमन तो सरकार के द्वारा ही हो सकता है ।

उस सम्बन्ध में जबलपुर में जो कुछ हुआ जो कुछ मुझे वहां अनुभव हुआ उस के आधार पर मैं कुछ कहना चाहता हूं । जबलपुर में यह दंगा शुरू हुआ ३ फरवरी को । ४ फरवरी को इधर उधर कुछ घटनाएं हुईं । २ दिन तक जबलपुर में पूरी शान्ति रही, बाजार खुल गये, कोई गड़बड़ वहां पर नहीं हुई । ७ तारीख को यकायक गड़बड़ शुरू हुई । ४ जगह यकायक झगड़े शुरू हुए । ४ जगह यकायक इकट्ठे झगड़े तब तक नहीं हो सकते थे जब तक कि उसकी कोई पूर्व योजना न बनती और मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि यद्यपि ७ तारीख के बाद पुलिस ने बड़ी तंदेही के साथ काम किया लेकिन ४ जगहों पर इकट्ठा उभाड़ने वाले झगड़ों का पता जबलपुर की सी० आई० डी० को कैसे नहीं लगा । स्पष्ट चीज है कि यह उस की कमजोरी है क्योंकि यकायक इकट्ठे झगड़े नहीं हो सकते थे जब तक कि उनकी कोई तैयारी न हुई होती । इस प्रकार की तैयारी का सी० आई० डी० को पता लगना चाहिए था । इसलिए जहां तक हमारी सी० आई० डी० का सम्बन्ध है जबलपुर, मध्य प्रदेश और दूसरे स्थानों में उसको कहीं ज्यादा तंदेही के साथ काम करना चाहिए ।

अब मैं पुलिस पर आता हूं । मैं ने आप से निवेदन किया कि ७ तारीख के बाद जबलपुर में जो कुछ हुआ पुलिस ने बड़ी तंदेही के साथ काम किया । इस में कोई शक नहीं है कि अगर पुलिस इतनी तंदेही के साथ काम न करती तो वहां न जाने क्या हो जाता । लेकिन इस के पहले पुलिस को जबलपुर के पुलिस अफसरों को जबलपुर का अनुभव बहुत कम था । पुराना एक कायदा था कि कलक्टर, जिला मजिस्ट्रेट वह लोग होते थे जो बहुत दिन तक किसी जिले या किसी शहर में रह चुकते थे । पुलिस कप्तान वह लोग होते थे जो किसी जिले या किसी शहर में बहुत दिनों तक रह चुके होते थे और सिटी कोतवाल वह लोग होते थे जोकि उस शहर में किसी न किसी रूप में बहुत दिन तक रह चुकते थे । उन को एक एक बात का ज्ञान रहता था । एक एक बात का अनुभव रहता था और वे वहां के लोगों को जानते थे । यहां पर मैं किसी एक अफसर विशेष की निन्दा नहीं करना चाहता, सब अच्छे आदमी हैं लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि दुर्भाग्य से इस समय जबलपुर में जो अफसर थे वह जबलपुर के मुहल्लों तक को नहीं जानते थे वहां की जनता की बात तो अलग है । हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे अफसरान को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में या कलक्टर के रूप में या पुलिस कप्तान अथवा सिटी कोतवाल के रूप में रखें जोकि उस स्थान की अच्छी जानकारी रखते हों । एक एक मुहल्ले को एक एक मकान को और एक एक आदमी को जानते हों ।

पत्रों की स्वाधीनता के नाम पर आजकल न जाने क्या क्या लिखा जा रहा है । यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता यह भाषण की स्वतन्त्रता और यह पत्रों की स्वाधीनता हमको कहां तक ले जायेगी मेरी समझ में नहीं आता । गालीगलौज से देश के यहां से लेकर वहां तक के न जाने कितने पत्र भरे रहते हैं । यह गालीगलौज व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ कर बहुत उग्र रूप धारण कर रहा है । जबलपुर की छोटी छोटी घटनाओं को इतने अधिक अतिरंजित रूप से पत्रों में छापा गया । सब पत्रों को मैं नहीं कहूंगा, कुछ पत्रों में छापा गया । उस का बहुत असर पड़ा और अफवाहें फैलीं

[डा० गोबिन्द दास]

७ तारीख को जो कुछ वहां हुआ उन अफवाहों के कारण सागर में और आसपास के स्थानों में न जाने क्या क्या हो गया । हमें ऐसी अनर्गल जो छपाई होती है पत्रों में और जो यह अफवाहें फैलाते हैं उसके लिए भी कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए । उस का पूरा निवारण तो उपाध्यक्ष महोदय नई पीढ़ी के ठीक निर्माण पर ही हो सकता है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें ।

डा० गोविन्द दास : बहुत अच्छा ।

हम जानते हैं कि नई पीढ़ी का निर्माण यह सबसे अधिक आवश्यक बात है । जर्मनी और इटली में हिटलर और मुसौलिनी के समय नई पीढ़ी का इस प्रकार निर्माण किया गया था कि वहां की नई पीढ़ी नाजीवाद और फासिस्टवाद तक का भी समर्थन करने लगी थी । हमें अपनी नई पीढ़ी का इस प्रकार निर्माण करना चाहिए कि कोई यह न समझे कि हम हिन्दू हैं और हम मुसलमान हैं या हम सिख हैं और ईसाई हैं बल्कि सब लोग समझें कि हम भारतीय हैं ।

एक बात मैं पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है और दो घंटियां बच चुकी हैं ।

डा० गोविन्द दास : मैं आपकी आज्ञा से दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

मैं सदन् का ध्यान पाकिस्तान के प्रेसीडेंट श्री अय्यूब खां के उस भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि जबलपुर की यह घटना कांगो की घटना के समान है, ऐसा उनका कथन हास्यास्पद है और इस प्रकार का मिलान मेरी तो समझ में नहीं आता । जनरल अय्यूब साहब किस तरीके से यह बात कह सके ? भारत में हमने एक धम निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है । बड़े से बड़े ओहदों पर यहां मुसलमान रहे हैं और आज भी हैं । हमारी सरकार हिन्दुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं समझती । पाकिस्तान वाले इस प्रकार की बात हमारे लिए कहें इससे बड़ी ज्यादती की बात और कोई नहीं हो सकती और इससे ज्यादा हमको बदनाम करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है । उन को खुद पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए । सैकड़ों, हजारों की संख्या में पाकिस्तान के हिन्दू हिन्दुस्तान में आ रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं, इसके भी कारणों का क्या उन्होंने पता लगाया ? अय्यूब साहब का जो भाषण हुआ वह एक ऐसा भाषण हुआ जिससे हमारे देश को दुनिया में बदनाम करने का प्रयत्न तो किया ही गया साथ ही इस बात का भी प्रयत्न हुआ कि हमारे देश में भी हमारे मुख पर कालिख लगायें और मैं समझता हूं कि उन्हें अय्यूब साहब को इस पर अफसोस होना चाहिए ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हमारा प्रजातंत्र, हमारे समाज की समाजवादी रचना और हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता आदि सब कुछ इस एकता पर निर्भर है । मैं ने अनेक बार पहले भी कहा था और अन्त में मैं फिर कहूंगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो सब दल मिल कर कर सकते हैं । राष्ट्रीय एकता के लिए सब दलों का सहयोग आवश्यक है और सब दलों को मिल कर इस एकता का प्रयत्न करना चाहिए ।

१३–३९

श्री मु० हि० रहमान (अमरोहा) : जनाब डिप्टी स्पीकर, प्रेसीडेंट के एड्रैस पर कल से बातचीत हो रही है। मिली जुली चन्द बातें हैं जिन को अपने अपने खयाल के मुताबिक हर एक पेश कर रहा है।

जहां तक चीन का मामला है मैं समझता हूं कि उस के मुताल्लिक मुख्तलिफ तरीकों से हाउस में और वक्त में भी बहस हुई है। यह एक खुली हुई हकीकत है जिसमें दो रायों की गुंजाइश नहीं है। यह चीन जिसके कि मुताल्लिक हिन्दुस्तान ने हर एक मौके पर हर ठहराव और हर मौके पर पूरे तरीके से उस का साथ दिया उस चीन ने, चीन की हुकूमत ने, मौजूदा चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत ने हिन्दुस्तान के साथ बहुत बेवफाई की और इंतिहाई शराफत से गिरी हुई जिन्दगी का सबूत दिया।

जहां तक बार्डर का मसला है, हमारी हद एक लम्बी लकीर है मैकमाहन लाइन और इस तरफ़ काश्मीर की वे हुदूद हैं, जो कि इस मुल्क की सरहद तक हैं। चीन की तरफ़ से बार बार उन के बारे में छेड़ की जाती है, ऐसे कदम उठाये जाते हैं, जिससे हिन्दुस्तान के मकसद और काज़ को नुकसान पहुंचे, जो कि जायज़ है। इन हुदूद को मुग़लों के ज़माने से आज तक बग़ैर किसी इख्तलाफ़ के हिन्दुस्तान की हुदूद माना गया है। आज उन के बारे में बहस करना और हिन्दुस्तान की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश करना और जिस हिस्से पर उस ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, उस को अपने मुल्क का हिस्सा बताना, ये ऐसी चीज़ें हैं, जो यह ज़ाहिर करती हैं कि दुनिया में, ज़िन्दगी में जब अखलाक न हो, रूहानियत न हो, सिर्फ़ मादियत ही मादियत पेशे-नज़र हो, तो जितना भी कुछ हो, वह कम है।

ऐसे मौके पर इस से ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि इस मसले को हल करने के दो ही तरीके हैं---या तो हम जंग करें और या दूसरे तरीकों से अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करें। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर और हर एक अक्लमन्द आदमी यह सोचता है कि आज के ज़माने में यह जंग सारी दुनिया की जंग हो सकती है और बड़ी बड़ी तहज़ीमें बरबाद हो सकती हैं। इसलिये एक दूसरे तरीके से उस को हल करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट की इस पालिसी को हम सपोर्ट करते हैं और पूरे तरीके से इत्तिफ़ाके-राय करते हैं कि वह इस तरज़ पर चल रही है कि एक तरफ़ वह मज़बूत है कि एक इंच ज़मीन भी किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देंगे और दूसरी तरफ़ उस ने इरादा कर रखा है कि अगर किसी मुल्क की तरफ़ से कोई जारहाना कारवाइयां हुईं, तो उस का सामना किया जायगा और जो कारवाइयां इस सिलसिले में हो चुकी हैं, उन को हल करने की कोशिश की जायगी। इस से ज्यादा और क्या हो सकता है ?

बाहर के मामलात के सिलसिले में कांगो पर बहस हुई है। बेशक वह एक मज़लूम कौम है और मज़लूमों का साथ देना हमारा शेवा, हमारा शिआर और हमारी आदत है। हम बराबर ऐसा करते रहे हैं और आज भी कांगो के मामले में हम उसी तरफ़ हैं, जहां पब्लिक का रूजहान है। वहां पर बैलजियम की तरफ़ से कालोनियलिज्म का जो ग़लत, भयानक और घिनौना मज़ाहिरा किया जा रहा है, वह नाक़ाबिले-बर्दाश्त है। वहां पर एक फ़ारेन ताकत ने मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को तबाह करवाने की कोशिश की है और इसी सिलसिले में मि० लुमुम्बा और उन के कुछ साथियों को कत्ल कर दिया गया है।

इन बातों के मुताल्लिक, फ़ाइव यीअर प्लान के मुताल्लिक, पंचायत राज के मुताल्लिक कहने के लिए बहुत से मौके हैं, कहा जाता रहा है और कहा जाता रहेगा। लेकिन एक बहस खुद-ब-खुद

[श्री मु० हि० रहमान]

हाउस के सामने आ गई है और आनी चाहिए थी। मैं भी उस पर कुछ कहना चाहता हूं। मुझे इस बात को देख कर मायूसी हुई कि ३ तारीख से ले कर ९ तारीख तक जबलपुर, कटनी, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सरोपा और कितने ही मुकामात पर फ़साद हुए और बरबादी हुई, आगें लगीं, मकान बरबाद हुए और दुकानें जलाई गईं और जानो-माल का नुक्सान हुआ, लेकिन १४ तारीख को प्रैज़िडेंट साहब का जो एड्रेस आता है, उस में एक लाइन भी इस सिलसिले में हमारे सामने नहीं आई है। उस में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं किया गया कि इस बारे में क्या तरीका-ए-कार अख्तियार किया जायेगा, जिस से इस किस्म के वाकयात फिर न हों, क्योंकि किसी सैकुलर स्टेट के लिये इस से ज्यादा नदामत और शरमिन्दगी की कोई बात नहीं हो सकती कि वहां साम्प्रदायिकता, फ़िरकापरस्ती, इस तरह मुंह खोले खड़ी रहे और शुरू से आख़िर तक उस का सिलसिला कहीं न कहीं जारी रहे और हम उस को रोक न सकें।

जबलपुर में एक वाकया हुआ—एक इंडिविडुअल वाकया, एक इन्तहाई शर्मनाक वाकया हुआ, जिस की सज़ा ज़िम्मेदार शख्स को मिलनी चाहिए, लेकिन एक्शन और रीएक्शन का यह मतलब कभी नहीं हो सकता कि एक इंडिविडुअल ने एक बात की हो, तो पूरी कम्यूनिटी को तबाह और बरबाद कर दिया जाये। यह तरीका-ए-कार किसी तरीके से मुल्क के मफ़ाद में नहीं है, बल्कि वह इन्तहाई नुक्सानदेह है। इसी बिना पर यह बात बहुत काबिले-तवज्जह है कि पिछले दिनों में इसी मध्य प्रदेश में भोपाल में जो कुछ हुआ था, वहां पर किसी को सज़ा नहीं मिली, किसी मुजरिम को उस की ख़ता पर पकड़ा नहीं गया, किसी गुंडे और शरारतपसन्द को सज़ा नहीं दी गई। इन हालात में मुख्तलिफ़ मुकामात में फ़सादात हुए हैं। वे लोग समझते हैं कि हम खुले दिल से मनमानी कर सकते हैं, जो कुछ चाहे कर सकते हैं, हुकूमत इस में बेबस है और कुछ करती नहीं है। इस के सिवा दूसरी कोई बात नहीं है।

मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि इन फ़सादात को हिन्दू-मुस्लिम फ़सादात कहना हिन्दुओं और मुसलमानों की तोहीन करना है। ये फ़साद हिन्दू और मुसलमान नहीं करते हैं। मैं आप से यकीन के साथ कहता हूं कि वहां की पब्लिक, जिस में हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल हैं, आज भी कानों पर हाथ धर रही है कि यह बला, यह मुसीबत, यह अज़ाब कहां से नाज़ूल हुआ। ये हिन्दू-मुस्लिम फ़साद नहीं हैं। इन को फ़िरका-वाराना फ़साद कहना भी ग़लत है। गुंडों और शरारत-पसन्दों ने एक स्कीम बनाई है और उस स्कीम के मातहत वे जब चाहे तब फ़साद करते हैं। दरहकीकत इस में कोई शक नहीं है कि जब एन्क्वायरी होगी, तो यह बात साफ़ हो जायेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जान-बूझ कर उस में चशमपोशी की, या नीचे के पुलिस के अफ़राद ने साथ दे कर बरबादी कराने की कोशिश की। उस वक्त हुक्काम ने, लोकल हुक्काम ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी कमज़ोरी भी दिखाई और इस साज़िश में उन का हिस्सा भी दिखाई देता है। बकौल सेठ जी के ३, ४ तारीख को यह वाकया पेश किया आया था और उस की रोक-थाम हो सकती थी, लेकिन समझ में नहीं आता कि स्पैशल पुलिस के जो दस्ते बुलाये गये थे, वे क्यों वापस चले गये, जिस के नतीजे में ७ तारीख और ८ तारीख की दरमियानी रात को इस कद्र हौलनाक बरबादी हुई। जान बूझ कर एक साइड की इस तरीके से बरबादी कराई जाये, यह किसी तरीके से हिन्दुस्तान के लिये वाजिब नहीं है। हम पाकिस्तान और अयूब से नफ़रत करें। वह हमारा हक है। कोई हमारे मामले में दख्ल न दे। हम में इतनी ताकत है कि हम अपने हिन्दुस्तान में अपने मामलात को हल कर सकते हैं। जिन्होंने हिन्दुस्तान की आज़ादी की जद्दो-जहद में जान की बाज़ी लगा कर, साथ साथ शरीक हो कर मुल्क को आज़ाद कराया है, जिन्होंने वन-नेशन थ्योरी को मानने के लिये जान की बाज़ियां

लगाई हैं, अपनों से गालियां खाई हैं, जेलें भुगती हैं, चाकू खाये हैं, उनको आज इन बातों से कोई डर नहीं हो सकता कि जब कोई ऐसी मनमानी की बात आये, मुल्कि अक्लीयत की तक्लीफ की बात आये अखबारों या तकरीरों में, तो फ़ौरन पाकिस्तान के हवाले दे दिये जायें, पाकिस्तान रेडियो के हवाले दे दिये जायें और यह साबित करने की कोशिश की जाये कि इस का पाकिस्तान से जोड़ था, इसका फ़लां चोज़ से जोड़ था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से हकीकत को दबाया नहीं जा सकता है और अगर इस तरीके से हकीकत को दबाने की कोशिश की जाये जिस से मुल्क को कोई भी लाभ और फ़ायदा नहीं हो सकता, बल्कि मुल्क को इन्तहाई नुक्सान हो सकता है ।

इस हालत में हमें इस बात का क्या खौफ़ है कि कोई क्या कहता है और पाकिस्तान के साथ जोड़ने का टैक्नीक क्यों अपनाया जाता है । क्या हर जगह जुल्म और बरबादी होगी और अगर उसके बारे में मुसलमान अक्लीयत किसी बात को कहेगी, तो यह कह कर उसका मुहं बन्द कर दिया जायेगा कि पाकिस्तान से जोड़ है, पाकिस्तान रेडियो से जोड़ है । इस तरीके से हकीकत को दबाया नहीं जा सकता है। यह बात कोई मानी नहीं रखती कि इस तरीके से एक अक्लीयत को दबाने की कोशिश की जाये। यह देखने की बात है कि जबलपुर में एक साइड की इस तरह बरबादी क्यों हुई। ६ तारीख को जबलपुर में दो जानिब से कोई बात हुई होगी, लेकिन यह बताया जाये कि किस तरह ६ तारीख को सागर, कटनी, दमोह, नरसिंहपुर, सरोपा और तमाम दीगर मुकामात पर बारह से चार बजे तक साज़िश से सैकड़ों मकान जला कर खाक कर दिये गये। क्या पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के मौजूद होते हुए कोई इस तरीके से बरबादी कर सकता है ? इत्मीनान के साथ पैट्रोल छिड़का गया, इत्मीनन के साथ आग लगाई गई और बड़ी बड़ी किला नुमा इमारतें खाक सियाह कर दी गई । एक एक इन्सान का दस दस, बारह बारह लाख का नुकसान हुआ । कालेखां मुहम्मद हनीफ़ की फ़र्म कोई मामूली फ़र्म नहीं थी। दस बारह लाख का उसका नुक्सान हो गया । उस की बीड़ी की तिजारत थी। वह मुसलमानों के हाथ में थी। उस को इक्तसादी मार मार कर बरबाद कर दिया गया । । फ़िरोज़ाबाद में चूड़ियों की तिजारत थी। सनअतो हिरफ़जत ने उसे वहां तबाह किया। क्या कुछ फ़िरका परस्त अनासर ने यह तय कर लिया है कि इस तरीके से मुसलमानों को, जो मौजूदा इकोनोमिक्स और इक्तसादियत में खुद बदहाल हैं, इस मुल्क में बिलकुल तबाह कर के भिखारी और फ़कीर बना कर छोड़ दूं, और यह हुकूमत बेबस हो, बेचारा हो, कुछ कर न सके, सब कुछ हो जाये, तो उस की एन्क्वायरी हो, उस के बाद यह करो, वह करो। आखिर इतना बड़ा वाकया हो कैसे गया ? तीन जिलों में बारह जगह ऐसे वाकयात कैसे हो गये ? हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए ।

मुझे इस बात का अहसास हो रहा है कि इन मामलात में कब तक तसलसल जारी रहेगा । क्या पूरे हिन्दुस्तान को इस में लपेट दिया जायगा । अभी दो तीन दिन पहले दिल्ली में भी यही टक्नीक चली थी, लेकिन वहां के हिन्दू और मुसलमान, हम लोग, जो वहां रहते हैं, ११ बजे रात को वहां पहुंचे कर तीन बजे तक रहे और हिन्दू लीडरों के साथ, जो वहां मौजूद थे, इस बात की कोशिश की कि इस वाकये को मामूली तौर पर खत्म कर के इस को किसी तरीके से आगे न बढ़ने दिया जाये। मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन के पास ताकत, शक्ति और माद्दी पावर नहीं है,

[श्री मु० शि० रहमान]

जब वे इस तरीके से मामले को हल कर सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत के अफ़राद, लोकल अथारिटीज़ अगर चाहे, तो क्या अमन कायम नहीं हो सकता? कतई नहीं। शरारत पसन्द लोग जो कुछ चाहते हैं कर गुज़रते हे। आज सब मामलों में उनकी मुखालिफत करने के बजाय, उनकी हौसला अफजाई की जाती हैं और ज़ोर शोर के साथ पालियामेंट में कहा जाता हैं कि फिरकापरस्ती को किसी भी सूरत में बरदाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा हैं ? तबाह भी वही हो रहे हैं, बरबाद भी वही हो रहे हैं, एकशन और रिएकशन के नाम पर जो शरारत पसंद लोग हैं वे जो चाहते हैं करते जा रहे हैं। इस तरह की बातें होने देना किसी भी सैक्युलर स्टेट के लिए मुनासिब नहीं है और न हो सकता है।

मैं पूछना चाहता हूं कि मुलाजमतों में क्या हाल है ? क्या आप ने कभी इस की तहकीकात की है कि इन में अकलियतों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्या अकलियतों के जितने भी बच्चे हैं, मुसलमानों के जितने भी बच्चे हैं, ईसाइयों व सिखों के जितने भी बच्चे हैं वे इतने ही नालायक हो गए कि उन के लिए जगह ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स के गजेट छपे हुए हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया के गजट छपे हुए हैं, बताया जाए कि इन पिछले चौदह सालों में अकलियतों के कितने लड़के नौकरियों में लिए गए हैं। पहले तो इन को इन्टरव्यू में ही नहीं बुलाया जाता है और अगर बुला भी लिया जाता है तो उन को जगह नसीब नहीं होती है। वे तबाह और बरबाद हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह रिजर्वेशन का सवाल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी हालात में रिजर्वेशन की बात कहता है, रिजर्वेशन की बात को उठाता है तो उसे फिरकापरस्त कहा जाता है, और इसी बिना पर कहा जाता है कि उस ने रिजर्वेशन का लफ्ज क्यों कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि सैक्युलर स्टेट के वे लोग क्या फिरकापरस्त नहीं हैं जो न यह चाहते हैं कि मुसलमानों को मुलाजिमत में लिया जाए, उनको तबाह और बरबाद किया जाए, उनकी इक्तसादयात, उन के तरीके जिन्दगी को खत्म किया जाए ? आज उन को, आज एक कम्युनिटी को दबाने के लिए न मुलाजिमत में लिया जाता है न तजारत करने दिया जाता है न उनको अपनी इक्तसादी जिन्दगी को जारी रखने का हक दिया जाता है, रोज़मर्रा की जो शहरी जिन्दगी है, जो अमन की जिन्दगी है, उस तक को भी देने के लिए वे तैयार नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस से ज्यादा भी कोई फिरकापरस्ती दूसरी हो सकती है ? इसका क्या मतलब है ? मैं यह नहीं कहता कि अकसरियत के सभी लोग बुरे हैं, उस में से थोड़े बुरे हैं। इस में हिन्दू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है, हिन्दू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, दोनों गले मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन चन्द शरारत पसन्द लोग अकसरियत में ऐसे हैं जो कि अकलियतों को इस तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको हाउस में भी मुख्तलिफ तरीकों से हौसला अफ़जाई की जाए तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा ? कैसे हमारी स्टेट सैक्युलर स्टेट बन सकेगी? आखिर सैक्युलर स्टेट का मतलब क्या है ? सिर्फ सैक्युलर स्टेट कह देने से वह सैक्युलर स्टेट नहीं बन जाती है ? इसका मतलब यह है कि रोज़मर्रा की जो जिन्दगी है, उसको बसर करने का सभी को हक हासिल है। मुलाजिमत सभी को पाने का हक है, तजारत करने का सभी को हक हासिल है। क्या वजह है कि आज अकलियतों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, मल्क की

इक्तसादियात में, तजारत में परमिट नहीं मिलते हैं, फाइव यीअर प्लान में को-ग्रोप्रेटिव सोसाइटीज़ को जो जगह मिली हुई है, उन के बारे में इन को मायूसी का मुंह देखना पड़ता है ।

इसी तरह से टैक्सट बुक्स की बात है । इस के बारे में हम ने एक शिकायत की थी और वजीर तालीम को एक किताब दिखाई थी और उन्होंने हमारी शिकायत को सही तसलीम किया था और कहा था कि इस किस्म की चीजें अकलियतों को नहीं पढ़ाई जानी चाहिये । सवाल यह नहीं है कि त्योहारों का उन में क्यों जिक्र किया गया है, दीवाली का क्यों जिक्र किया गया है, दशहरा का क्यों जिक्र किया गया । ये सब हिन्दुस्तान के त्यौहार हैं । किसी पर इस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता है । लेकिन जहां अकसरियत के त्योहारों का जिक्र है वहां मुसलमानों के जो त्योहार हैं, ईद है, बकरीद है, शब बरात है, या सिखों के त्यौहार हैं, ईसाइयों के त्योहार हैं, उन का भी उन में जिक्र होना चाहिये था। अगर यह किया गया होता तो यह सैक्युलर स्टेट के उसूलों के एन मुताबिक होता । इस तरह की बातें उन किताबों में लिखी हुई थीं कि आओ बच्चों भगवान कृष्ण की पूजा करें । आप बतायें कि मुसलमानों के बच्चे यह कैसे करेंगे । भगवान कृष्ण की पूजा हिन्दू कर सकते हैं लेकिन मुसलमान, सिख, ईसाई कैसे कर सकते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें पढ़ाने का अकलियतों के बच्चों को आपको किस ने हक दिया है । मुसलमान अपने खुदावंद रसूल की अबादत करते हैं, सिख अपने तरीके से करते हैं और ईसाई अपने तरीके से और उनको इसका पूरा हक हासिल है । आपको किस ने हक दिया है कि आप दूसरे मजहबों की तौहीन करें, खुदावंद रसूल की तौहीन करें और यह प्रचार करें कि वे सब इस तरह की चीज़ों को पढ़ें । आपको नहीं चाहिये था कि आप किताबों में इस तरह के मज़ामीन लिखवाते और इस तरह की किताबों को टैक्स्ट बुक्स में जगह देते । टैक्स बुक कमेटी ने यह किया और उस ने इस तरह की किताबों को चुना । हमें मालूम है कि महज़ बाज़ रिश्तेदारों से, बाज़ अपने जानने वालों से इस तरह की चीजें लिखा दीं जो तासुब की बिना पर नहीं लिखी गई, तंग नज़रदीकी बिना पर नहीं लिखी गई जिस से कि किसी मजहब की तौहीन हो, बल्कि ना वाकफियत की वजह से लिखी गई हैं । मैंने एक लिखने वाले से इस के बारे में पूछा और उस ने मुझे बताया कि मैं इसलाम के बारे में जानता नहीं था और ऐसे ही लिख दिया है । चूंकि टैक्स्ट बुक कमेटी में किसी का कोई रिश्तेदार आ गया और यह चीज़, यह किताब टैक्स्ट बुक में आ गई । ऐसी किताबें नहीं आनी चाहियें और इस तरह की चीजों को उस में जगह नहीं मिलनी चाहिये । इस तरह की चीजों के खिलाफ हम बोलेंगे । सैक्युलर स्टेट के अन्दर इस किस्म की किताबें खास तौर पर बेसिक एजुकेशन के अन्दर और प्राइमरी तालीम के अन्दर हर्गिज़ हर्गिज़ नहीं लानी चाहिये, नहीं पढ़ाई जानी चाहिये ।

सेठ जी ने जमीयत उलेमा के बारे में कहा कि वह बेहतरीन बाडी है और इसने हिन्दुस्तान की आज़ादी में नुमायां हिस्सा लिया है लेकिन उज्जैन में ऐसी तकरीरें की गईं जिन को पढ़ कर हैरानी होती है । मैं कहता हूं कि जो मैं आज यहां कह रहा हूं वही कुछ वहां कहा गया है । मैं इस बाडी के लिए जिम्मेदार हूं, मैं इसकी तजवीजों और इसकी तकरीरों के लिए जिम्मेदार हूं । उन में कोई भी बात नैशनलैलिटी के खिलाफ, सैक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं कही गई है । वहां पर यह शिकायत की गई है कि माइनौरिटीज़ को दबाया जा रहा है, फिरकापरस्ती उभरती जा रही है और

[श्री मु० हि० रहमान]

अकलियतें बेबस होती जा रही हैं । मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें कहने में कौन सी एतराज़ की बात हो सकती है । जो कुछ कहा गया है ठीक कहा गया है । अगर आज सेठ जी नहीं बोलते हैं, रघुनाथ सिंह जी नहीं बोलते हैं, दूसरे हिन्दू भाई नहीं बोलते हैं और फिर मजबूर होकर हिफ-जुर्रहमान को बोलना पड़ता है तो इसमें एतराज़ की क्या बात है । होना तो यह चाहिये था कि अकसरियत खुद इन चीज़ों को कहती । लेकिन अगर वह नहीं कहती है और हमें कहना पड़ता है कि अकलियतें तकलीफ में हैं, उनकी ये ये मजबूरियां हैं वे बेबस हैं, तो फिर इस पर क्यों एतराज़ होता है ? इस तरह की चीज़ को बरदाश्त नहीं किया जा सकता है । बेशक इसकी जरूरत है कि इनक्वायरी हो और हाई लेवेल इनक्वायरी हो । अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने कोताही की है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिये । आज मध्य प्रदेश की सरकार फेल्योर हुई है । भोपाल से ले कर अब तक के जो वाकयात हैं उनको देखते हुए यह कहना चाहिये कि उसे कोई हक हासिल नहीं है हुकूमत करने का । इस तरीके से तबाह और क्रश करके, बरबाद करके हमें वहां रखा जायेगा तो यकीनी तौर पर इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे । मैं स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे कोई कानूनी पोज़िशन ऐसी लायें जिससे असम और बंगाल के मामलात पर, लासानी फसादात की बिना पर जब यहां बहस हो सकती है पार्लिमेंटरी डेलीगेशन वहां जा सकता है, वैसे ही मध्य प्रदेश के फसादात के बारे में भी बहस हो । पी० एस० पी० ने, जमयत उलेमा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, कांग्रेस के अफरादों ने, सभी ने माना है कि बहुत बड़ी बरबादी आई है तीन जिलों के मुख्तलिफ हिस्सों में, और इस पर बहस होनी चाहिये और खुल कर बहस होनी चाहिये, इससे कोई नुक्सान नहीं होगा और अगर बहस हुई तो सफाई के साथ सारे मामलात सामने आयेंगे ।

जो तजवीज़ श्री भक्त दर्शन जी ने पेश की है, उसकी तो मैं ताईद करता हूं लेकिन जिन मामलात का मैंने जिक्र किया है उनके बारे में फिर से कहता हूं कि पाकिस्तान का हवाला दे कर आप बच नहीं सकते हैं, यह कह कर कि पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक हैं, काम चल नहीं सकता है । यह कहा गया है कि नागपुर टाइम्स में यह लिखा है, मगर क्या आपने स्टेट्समैन में जो छपा है, उसको पढ़ा है, हिन्दुस्तान टाइम्स में जो छपा है, उसको पढ़ा है, टाइम्स आफ इंडिया में जो छपा है, उसको पढ़ा है ? आपको चाहिये था कि आप उसको भी पढ़ते जिन्होंने कहा है कि एक साइड को ही बरबाद किया गया है । जो कुछ हुआ है उसका तकाज़ा था कि वहां कोलैक्टिव फाइंस लगते । जिस तरह की वारदातें हुई हैं, उनको कोई भी बरदाश्त नहीं कर सकता है । यह तरीका ज़िन्दगी का नहीं है । इस तरह के तरीकों को बदलना होगा और सही मानों में सैक्युलरिज्म को लाना होगा । गांधी जी के बताये हुए इखलाकी मैयार और नैशनलिज्म को लाना होगा । मैं यह नहीं कहता हूं कि अकसरियत में सभी लोग बुरे हैं, कुछ बुरे हैं । अकसरियत में जो फिरका-परस्त हैं, वे जो कार्रवाई चाहें करें, मनमानी करें, खुश रहें और जो मुसलमान अकलियत में हैं, या दूसरी अकलियतें हैं, उनको हमेशा ही दबाने की कोशिश करें और पाकिस्तान का हवाला दे कर, उसको एक टैक्नीक के तौर पर इस्तेमाल करके, इस किस्म की हरकतें वे करते जायें, इसको कभी बरदाश्त नहीं किया जा सकता है । इसको हम बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, हाउस बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, मैम्बर साहिबान बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं । सभी को इसके खिलाफ आवाज़ बुलन्द करनी है और यह कोशिश करनी है कि सही मानो में यहां पर सैक्यलरिज्म कायम हो ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : जो बातें हमारे दल के नेता कह चुके हैं, उन्हें मैं नहीं कहूंगा । मुझे इस बात का खेद है कि अभिभाषण में देश में हुए विकास का वास्तविक चित्र उपस्थित नहीं किया गया । इस में कोई सन्देह नहीं कि उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, परन्तु यह भी एक ठोस वास्तविकता है कि जिनके हाथ में उत्पादन के साधन हैं तथा जो वास्तव में उत्पादन करते हैं, उनके बीच असमानता बढ़ गयी है । यह असमानता वर्ग की भी है और क्षेत्रीय भी । उदाहरण के लिए आप हथकरघा उद्योग ही ले लीजिये । उद्योग का उत्पादन बढ़ा है । परन्तु तैयार माल तथा सूत का मूल्य बढ़ गया है । आश्चर्य की बात यह है कि मजूरी कम हो गयी है । इससे औद्योगिक अशांति ही बढ़ी है । सूत के दाम बढ़ जाने से कहीं कहीं बेकारी में भी वृद्धि हो गयी है । यदि घटी हुई दर से सूत नहीं दिया गया, तो श्रमिकों को कुछ भी लाभ नहीं हो सकता, उन्हें बेकारी के भयंकर रोग का शिकार होना पड़ेगा । जो छूट दी जाती है उसे भी ५ नये पैसे से बढ़ा कर १० नया पैसा कर देना चाहिए ।

खेतिहर मजदूरों तथा छोटे किसानों की स्थिति भी बड़ी शोचनीय है । १९५०–५१ की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार देश की ६९ प्रतिशत जनता इसी वर्ग की है । स्पष्ट है कि इस वर्ग की अवस्था में कुछ सुधार नहीं हुआ है, प्रत्युत १९५० से १९५७ तक के बीच के काल में उनकी हालत बिगड़ी है । इसी प्रकार भारत के खेतिहर मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध में की गयी दूसरी जांच की रिपोर्ट के अनुसार पता लगा है कि उनकी मजूरी में कमी हो गयी है और उनकी ऋण-ग्रस्तता बढ़ गयी है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस समस्या की ओर ध्यान दे और इन लोगों की अवस्था सुधारने के सम्बन्ध में कोई ठोस पग उठाये जायें ।

एक बात और भी उल्लेखनीय है कि लगभग ७०० केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से अभी भी गत आम हड़ताल में भाग लेने के बदले में कसर निकाली जा रही है । एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए जिसका काम यह देखना हो कि सरकार के आदेशों का समुचित ढंग से पालन हो रहा है अथवा नहीं ।

अब मैं भूमि सुधारों की ओर आता हूं । हमारा उत्पादन बढ़ा है और हम और बढ़ाना चाहते हैं । परन्तु इस दिशा में जहां तक भूमि सुधारों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पारित बहुत से कानूनों को समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा । इस बात पर कोई रोक नहीं लगाई गयी कि निर्धारित अधिकतम सीमा से फालतू भूमि को बेचा अथवा हस्तान्तरित न किया जाये । बहुत से राज्यों में किसानों को बेदखल किया जा रहा है और कानून के स्वामियों से उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है । बेदखलियों के बारे में कानून मौजूद हैं परन्तु इस पर भी पुलिस की सहायता से कई राज्यों में बेदखलियां हो रही हैं । इसके अतिरिक्त मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि कई स्थानों, वृक्षों, इत्यादि को कीड़ा लग जाने से बहुत सा उत्पादन नष्ट हो जाता है । पिछले दिनों केरल में कई लाख कोकोनट वृक्ष नष्ट हो गये । इस वृक्ष रोग के उपचार के लिए भी कुछ अनुसंधान किया जाना चाहिए । यदि यह देश में सम्भव न हो तो विदेशी सहायता से ही इस बारे में कुछ करना चाहिए । वृक्षों में ही नहीं यह रोग विभिन्न प्रकार के पौदे में भी हो जाता है जिससे उत्पादन में काफी बाधा आ उपस्थित होती है ।

अब मैं कीमतों की ओर आता हूं । कृषकों को विशेषतया टेपिओका उगाने वाले कृषकों को उनके उत्पादन का उचित दाम प्राप्त नहीं हो रहा । उन्हें अधिक मूल्य दिलाने के लिए कुछ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० क० गोपालन]

उपाय किये जाने चाहिएं। विकास की गतिविधियों की सर्वत्र चर्चा है परन्तु देश के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्रों में समान और सन्तुलित विकास हो। मेरा मत यह है कि हमारे योजना बनाने के ढंग में त्रुटि है। यद्यपि कोयला तथा इस्पात का उत्पादन बढ़ा है परन्तु वैगनों की कमी के कारण उद्योगों को कोयला और इस्पात नहीं मिल रहा। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में विभिन्न विभागों में और भी अच्छा समन्वय होना चाहिए।

एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की राष्ट्रपति द्वारा उपेक्षा की गयी है। यह धार्मिक और भाषाई अल्प-संख्यकों के हितों की बात है उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि इस समस्या को हल करने में जितनी देरी की जायेगी उतनी ही उनकी भावनाओं में कटुता बढ़ती जायेगी। इससे स्थिति बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेगी जिसके कि परिणाम अच्छे नहीं हो सकते इसके अतिरिक्त मैं इस बात पर जोर दूंगा कि पिछड़े वर्गों के लिए कुछ न कुछ संरक्षण अवश्य रहना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जिन राजनीतिक बन्दियों के मामलों पर गत १०-१५ वर्षों से विचार नहीं किया गया और वे देश की विभिन्न जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, उनके मामलों पर विचार किया जाना चाहिए।

इसी उल्लेख में मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि केरल के बैंकों को दी गयी कानूनी मोहलत के कारण व्यवसायियों तथा छोटे व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस समस्या का भी उपचार करना चाहिए। मद्रास को तामिलनाड कहे जाने का विरोध निराधार है। यदि बहुमत यह चाहता है कि उनके राज्य का नाम तामिलनाड हो तो सरकार को इस पर क्या आपत्ति हो सकती है। आशा है मेरी कही हुई बातों पर सरकार ध्यान देगी।

श्री दुबलिश (सरधना): उपाध्यक्ष महोदय, जब से हमने अपने देश के शासन-कार्य का भार सम्हाला है तब से लेकर अब तक जो काम हम कर पाये हैं और जिन का कि राष्ट्रपति महोदय के सम्बोधन में भी जिक्र है, उस को देखें तो हमें मानना पड़ेगा कि हम धीरे धीरे लेकिन एक मुस्तैदी की तौर पर अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं और जो काम अभी तक हमारे मुल्क में हुआ है उस के लिए हमें कोई शरमिन्दा होने की जरूरत नहीं है। दूसरे मुल्कों ने भी जो इस तरह के कामों से वाकिफ हैं हमारे काम को सराहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा काम उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी तेजी से कि यह होना चाहिए। कुछ लोगों का ख़याल है कि हम ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हम चीन की तरह एक डिक्टेटोरियल मुल्क नहीं हैं और हम को अपने सोशलिस्टिक पैट्रन के ध्येय तक पहुंचने के लिए इस तरह से चलना पड़ेगा कि हम देश के अधिक से अधिक आदमियों को अपने साथ में ले सकें। ज्यादा जल्दी करने में लीप फौरवर्ड की जो पालिसी हम ने चीन में देखी है उस का भी नतीजा देख रहे हैं। उसको अपनी उस पालिसी को बदलना पड़ा। वहां क्या क्या हो रहा है क्या-क्या रुकावटें उन में आई हैं यह छन छन कर हमारे सामने आ रहा है। उनकी एग्रीकलचर और दूसरी चीजें सब फेल हो गईं। उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्राम तेजी से बनाया था उसको वह धीरे-धीरे पीछे कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक बात मुझे इस में कहनी है और वह यह कि जो हमारी प्लानिंग का काम हो रहा है उसमें हमको कुछ विजिलेंस की देखभाल की आवश्यकता है । मेरा अपना यह अनुभव है कि बहुत सी चीजों में जितना हमारा खर्चा हो रहा है उससे कम में काम चल सकता था और कहीं कहीं पर हमारा रुपया बर्बाद भी हो रहा है । मेरी अपनी राय इस विषय में यह है कि हमारे जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स को राज्य के स्तर पर और जिलों के स्तर पर नान आफिशिएल्स की हर एक जगह में अलग अलग विजिलेंस कमेटीज बननी चाहिएं । उन विजिलेंस कमेटीज का इम्पलीमेंटेशन से उनको पूरा करने और उनको कार्यान्वित करने से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । वह सिर्फ हर एक प्रोजेक्ट को देखें और देख कर के प्लानिंग कमिशन को रिपोट करें कि इस में यह कमी हो रही है और इस तरीके से यह काम किये जाने चाहिएं ।

[श्री मूलचं दुबे पीठासीन हुए]

उदाहरणार्थ मैं आपको बतलाऊं कि छोटी छोटी दस्तकारियों के लिए हम स्टेट लेविल पर, जिला लेविल पर और मुल्क के लेविल पर कर्जा दे रहे हैं । मेरा अनुभव है कि बहुत से लोग धोखा देकर के कर्जा ले लेते हैं और जिन इंडस्ट्रीज के लिए कर्जा लिया गया वह इंडस्ट्रीज बिलकुल कायम ही नहीं हैं और उन की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और वह इंडस्ट्रीज़ बनी भी हैं या नहीं यह भी कोई नहीं जानता ।

इसी तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट के और जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन में नान आफिशिएल विजिलेंस कमेटीज अलग से बननी चाहिएं । आम प्रोजेक्ट्स के लिए जिलों में और स्टेट्स लेविल पर जो विजिलेंस कमेटीज बने वह बहुत बड़ी कमेटियां नहीं होनी चाहिएं । उनका काम रिपोट करना होना चाहिए ।

जहां तक चीन द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण किये जाने का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि चीन द्वारा हमारे मुल्क के ऊपर एग्रैशन किये जाने के बारे में कोई दो राय नहीं हैं । वे लोग भी जो पहले चीन के बड़े दोस्त थे और जो उस एग्रैशन के प्वाएंट को कुछ दाव कर दूसरे शब्दों में उसको कहते थे और अभी तक उससे इंकार भी करते थे उन्होंने भी यह बात मान ली है । इस हाउस में भी और राज्य सभा में भी जो उनके प्रतिनिधि हैं उन्होंने यह खुल कर कहा है । एग्रैशन लफ्ज तो अभी भी इस्तैमाल नहीं किया लेकिन यह खुल कर कहा है कि जो इंडियन आफिशिएल्स ने रिपोर्ट तैयार की है उसमें उन्होंने इंडिया का एक बहुत ही स्ट्रौंग केस बना लिया है और दूसरे लफ्जों में वह भी इस चीज को मानते हैं कि इंडिया का केस स्ट्रौंग है । अब इंडिया का केस यह है कि हमारे ऊपर एग्रैशन हुआ है तो वह भी दूसरे अल्फाज में, बंधे हुए अल्फाज में यह मानते हैं कि यह एग्रैशन का केस है । ऐसी हालत में, इस हाउस में मुख़्तलिफ़ विचारों के जितने भी माननीय सदस्य हैं, उन में से किसी ने भी यह सलाह नहीं दी है कि इस एग्रैशन को वैकेट कराने के लिए हमें फ़ौजी कार्यवाही करनी चाहिए । फिर प्रश्न उठता है कि इस एग्रैशन को वैकेट कराने के लिए हम क्या करें । कम्यूनिस्ट पार्टी ने हाल ही में जो प्रस्ताव पास किया है, या उस के प्रतिनिधियों ने अपने जो विचार हाउस में रखे हैं, अगर वे महज़ इलैक्शन के टैक्टिक्स नहीं हैं, अगर वे ईमानदारी से यह मानते हैं कि चाइना ने इंडिया पर एग्रैशन किया है, तो मैं उन को सलाह दूं कि वे सारी दुनिया की अपनी फ्रैटर्नल पार्टीज़ को खत लिखें, इस तरह का मैमोरेंडम भेजें कि वे सब पार्टीज़ चाइना पर प्रैशर डालें, दबाव डालें कि उस ने हिन्दुस्तान की ज़मीन पर जो कब्ज़ा किया है, वह उस को खाली करे ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : मन्जूर है ।

श्री दुबलिश : अगर उन के दबाव के बावजूद भी चाइना अपने कदम को वापस न ले और एग्रैशन को वैकेट न करे, तो हमारे साथियों को सोचना चाहिए कि ऐसी इन्टरनेशनल आरगनाइज़ेशन से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है । अगर वे अपनी बिरादरी के लोगों से, अपनी एक फ्रैटर्नल पार्टी से उस के एक ग़लत कदम को वापस नहीं करवा सकते, तो उन को चाहिए कि वे अपनी कम्यूनिस्ट पार्टी के इन्टरनेशनलपन को ख़त्म कर दें । कम्यूनिस्ट लफ्ज़ जहां भी आयगा, वहीं उस की इन्टरनेशनल इम्प्लीकेशन्ज़ आयेंगी । इसलिए उन को इस पार्टी को तोड़ देना चाहिए और कोई समाजवादी पार्टी बना कर, या यहां की समाजवादी संस्थाओं में शामिल हो कर देश की आज़ादी को बनाये रखने के लिए काम करना चाहिए । यह उन के लिए हमारी सलाह है । अगर वे सिन्सीयर्ली मानते हैं कि मुल्क पर एग्रेशन हुआ है और वे इस मुल्क को "आवर कन्ट्री" और "आवर साइड" कहते हैं, तो उन का यह कम से कम कर्तव्य हो जाता है ।

हम देखते हैं कि काश्मीर के बारे में रशा और चाइना ने अपनी यह राय ज़ाहिर की थी कि वह हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है, लेकिन अब चाइना अपनी राय को बदल रहा है और अपनी पहली पोज़ीशन से हट कर आकुपाइड काश्मीर की सीमा के बारे में पाकिस्तान से संधि करने जा रहा है । ऐसी हालत में हम को लड़ाई को छोड़ कर और कोई भी कदम उठाने से चूकना नहीं चाहिए । मैं समझता हूं कि तिब्बत हमेशा से स्वतंत्र देश रहा है । अगर चाइना का उस पर कुछ दिनों के लिए कब्ज़ा हो गया, तो वह उसी तरह, जिस तरह कि अंग्रेज़ों का हमारे मुल्क पर कब्ज़ा हुआ था । अगर हिन्दुस्तान की आज़ादी से पहले कोई मुल्क हिन्दुस्तान से संधि करते, तो वे यहां पर अंग्रेज़ों की सुज़िरेन्टी ज़रूर मानते । लेकिन सुज़िरेन्टी के मायने ये नहीं हैं कि तिब्बत एक अलग नेशन नहीं है । चाइना का उस पर राजनैतिक अधिकार है, यह हम ने मान लिया है । अब हमें चाहिए कि तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट नेशन मान लें और चाइना की सुज़िरेन्टी के सवाल को छोड़ दें, जैसे कि चाइना ने पहले काश्मीर पर हमारा हक माना था और अब वह पाकिस्तान से सीधी बात-चीत करने जा रहा है । अगर वह पाकिस्तान से बार्डर का सैटलमेंट करे, तो हम को भी चाहिए कि हम दलाई लामा की गवर्नमेंट को तिब्बत की सही गवर्नमेंट मान कर उस से सैटलमेंट करें ।

इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि बार्डर्ज़ के उन हिस्सों को, जिन को चाइना क्लेम करता है, मज़बूत करें और वहां पर पूरी तरह से फ़ौजी तैयारियां करें । इस के साथ ही मुल्क के लोगों को भी हर हालत का सामना करने के लिये तैयार करना चाहिए । यह सही है कि हम ने नेगोसियेशन्ज़ का रास्ता अख़्तियार किया है, लेकिन अगर हर तरह की नेगोसियेशन्ज़ और दुनिया के दबाव से काम नहीं चलता, तो हमें यह कहने में हिचकना नहीं चाहिए कि हिन्दुस्तान के अपने इस हिस्से को आज़ाद कराने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी, तो हम हथियार भी उठायेंगे । ऐसी सूरत में मुल्क के हर हिस्से में, हर किस्म के लोगों को लड़ाई की वजह से जो परेशानियां होंगी, उन का मुकाबला करने के लिए हमें लोगों को तैयार करना चाहिए ।

जहां तक कांगो के मसले का सवाल है, छः सात महीने पहले युनाइडिट नेशन्ज़ ने इस मसले को अपने हाथों में लिया था । लोगों को इस से बड़ी बड़ी आशायें बंधीं थीं और वे समझते थे कि युनाइटिड नेशन्ज़ ने ऐसा कदम उठाया है, जिस से वह आगे चल कर बड़ा प्रभावशाली हो जायेगा और उस की तरफ़ से दुनिया में

शान्ति कायम करने में बड़ी मदद मिलेगी। सभी ने युनाटिड नेशन्ज़ के इस कदम का स्वागत किया था। लेकिन हुआ यह कि बेलजियम ने कांगो को आज़ाद तो किया, लेकिन वह अपने निहित स्वार्थों, वेस्टिड इन्ट्रेस्टस, को ज़रा भी छोड़ना नहीं चाहता था। इस लिए दुनिया के जनमत की वजह से, वर्ल्ड ओपीनियन के प्रैशर की वजह से उस ने कांगो को सिर्फ नामिनली आज़ाद करना चाहा और साथ ही उस पर अपना पूरा कब्ज़ा रखना चाहा। बदकिस्मती से युनाइटिड नेशन्ज़ की स्थिति हाउस डिवाडिड की सी है और न तो युनाइटिड नेशन्ज़ और न सिक्योरिटी कौंसिल एक कैबिनेट की तरह टीम स्पिरिट से काम करते हैं। इस का नतीजा यह हुआ कि बेलजियम अपने इस उद्देश्य में किसी हद तक सफल हो गया कि वह कांगो पर अपना अधिकार रखे। वहां का राष्ट्रीय एलिमेंट नहीं चाहता था कि बेलजियम से हम को सिर्फ एक थोथी आजादी मिले और पूरी ताकत उस के पास रहे। इसलिए वहां बेलजियम-विरोधी भावनायें उठ खड़ी हुईं। युनाइटिड नेशन्ज़ दो गुटों में बंटा हुआ है और इस लिए अधिकार राष्ट्र वहां अपनी ईमानदाराना राय नहीं देते हैं। अगर उन के किसी साथी के स्वार्थ का सवाल आता है, तो वे उसका साथ देते हैं। क्योंकि अगर वे ऐसा न करेंगे, तो वह भी समय पर उनका साथ नहीं देगा। हम ने वहां पर इस संबध में कुछ तजबीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वे कामयाब होंगी। हिन्दुस्तान ने शुरू से ही वहां पर यह तजबीज रखी थी कि कांगो की पालियामेंट को बुलाया जाये। श्री लुमुम्बा के हत्यारे जानते हैं कि यदि वह तजबीज़ कामयाब हो गई और पालियामेंट बुलाई गई, तो उस में हमारा बहुमत नहीं होगा। इसलिये जब तक वहां पालियामेंट बुलाई जाये—और अब तो अमरीका और कुछ दूसरे राष्ट्र भी वहां पालियामेंट का बुलाना अनिवार्य समझने लगे हैं—तब तक लुमम्बा के साथियों को लिक्विडेट करने का उनका विचार है। लुमुम्बा को भी मारने का उनका मंशा था। और अभी जो खबर आई है कि लुमुम्बा के बहुत से साथी मार दिये गए हैं, वह भी आपके सामने है। मेरी राय में जहां तक पालियामेंट को बुलाने का सम्बन्ध है, इस काम में अगर देर की गई तो उसका जो आबजैक्टिव है वह ही खत्म हो जाएगा। कांगों का झगड़ा मेरे विचार में एक ही तरीके से निपट सकता है। कोल्ड-वार से अगर कांगो को बचाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि यू० एन० ओ० में जितनी भी अनकोमिटिड कंट्रीज़ हैं, वे अपने में से तीन को चुन लें और वे तीन मैम्बर कंट्रीज़ एक ट्रस्ट के रूप में काम करने के लिए अपने नुमाइदे वहां भेज दें। खास तौर पर जो लोग लुमुम्बा के मर्डर के लिए जिम्मेदार थे, जिनका इस में हाथ था वे चाहे जितने बड़े से बड़े लोग ही क्यों न हों, उन्हें कांगो से एग्ज़ाइल कर दिया जाए। उन को हटा कर के अगर पालियामेंट को बुलाने से काम चले तब तो ठीक है और अगर पालियामेंट को बुलाने से काम नहीं चलता है तो जो ट्रस्टी हैं तीन वे एक नई इलैक्शन करा कर पालियामेंट बनायें। साथ ही साथ दूसरे जो और लोग हैं जो दोनों गुटों में से किसी से भी ताल्लुक रखते हैं तथा जिनके साथियों के कांगो में कुछ स्वाथ हैं, उन लोगों का उस मुल्क से बिल्कुल भी किसी किस्म का ताल्लुक न रहने दिया जाए। ये तीन ट्रस्टी यू० एन० की एक सब-कमेटी के रूप में काम करें और जितने भी काम वहां पर हों, वे सभी इनके थुरु होने चाहियें। अगर ऐसा किया गया तो इसका नतीजा एक अच्छा नतीजा यह निकलेगा कि जितने भी अफ्रीका के नए मुल्क आज़ाद होने वाले हैं या जो अभी पिछले दिनों आज़ाद हुए हैं वहां के हालत बहतर बनेंगे। अगर कोल्ड वार में वे फंस गए या वहां वैसी ही हालात

[श्री दुबलिश]

हुए जैसे कि कांगो में हुए हैं तो वे नष्ट हो जाएंगे और ऐसी सूरत में वे आज़ाद होने के बजाय गुलाम रहें तो ही अच्छा था, यह वे चाहेंगे। जो तजवीज़ मैंने पेश की है, वह एक पैटर्न बन जाएगा हमेशा के लिए कि जो कोई नया मुल्क आज़ाद होगा अफ्रीका में, वह इस तरह से अनकोमिटिड कंट्रीज़ के चुने हुए तीन रिप्रिजेंटेटिव्ज के सुपुर्द कर दिया जाएगा और वे जिम्मेदार रहेंगे यू० न० के, तो कोई गड़बड़ी होने का अंदेशा नहीं रहेगा । अगर ऐसा किया गया तो अफ्रीका के लोग अपनी आजादी का पूरी तरह से उपभोग कर सकेंगे ।

†**श्री मणियागांडन** (कोट्टयम) : चीनियों द्वारा हमारी सीमा का अतिक्रमण आज सब से अधिक चर्चा का विषय बना है एवं बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है । चीन के प्रेसीडेंट ने जो अजीब रवैया अपनाया है उस से देश के बहुत से भागों में काफ़ी भ्रांति उत्पन्न हो गई है । लोग आशा कर रहे थे कि चीन द्वारा हथियाये गये भागों को खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है इसका उल्लेख राष्ट्रपति अपने भाषण में करेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है ।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप हुई सफलताओं और विशेष रूप से गत वर्ष में हुई सफलताओं का उल्लेख किया है । औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी अधिक उत्पादन हुआ है । हम यह भी कह सकते हैं कि हम ने औद्योगिक विकास के आधार बना दिये हैं । वैसे अभी हमें इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है लेकिन जो कुछ भी हमने किया है वह प्रशंसनीय है ।

कृषि क्षेत्र में हमें अभी उतनी सफलता नहीं मिली है कि हम कह सकें कि हम ने कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली है। फिर भी जो सफलता हमें मिली है वे प्रशंसनीय हैं और अच्छे भविष्य की द्योतक हैं । राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्म-निर्भर होना चाहते हैं। अतः हम सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने अच्छी कार्यवाही की है और आगे भी उनका कड़ी कार्यवाही करने का विचार है । तृतीय योजना में भी कृषि उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि आजकल जो क्षेत्रीय असमानताएं व्याप्त हैं उनको दूर किया जाये । केरल में बेरोज़गारी की समस्या व्याप्त है । वहां जनसंख्या की अधिकता भी एक विकट समस्या है । वहां की समस्या राष्ट्रीय समस्याएं हैं और उनका समाधान राष्ट्रीय आधार पर किया जाना है । मेरा यही विनम्र निवेदन है कि उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये अभी कुछ नहीं किया गया है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में केरल में उद्योगों के बारे में कुछ नहीं किया गया है। आशा है कि सरकार तथा योजना आयोग तीसरी योजना में इस बारे में अवश्य ही कुछ करेगा। जब तक वहां भारी उद्योगों की स्थापना नहीं की जायेगी तब तक केरल का विकास वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया जायेगा । केरल के लोगों को भारत के दूसरे भागों में जा कर बसने की आवश्यकता पर भी सदन को ध्यान देना चाहिये । ऐसे भागों में जहां कि कृषि योग्य बहुत सी भूमि पड़ी हुई है केरल के

†मूल अंग्रेजी में

लोगों को बसने की अनुमति दी जाये। इस से निश्चय ही बहुत कुछ समस्या का समाधान हो जायेगा ।

केरल राज्य का सम्पूर्ण वित्तीय ढांचा एक दम ठप्प हो गया है । वहां के छः सात महत्वपूर्ण बैंक गत तीन महीनों से बंद पड़े हैं। इस कारण प्रायः सारा कारबार ही ठप्प हो गया है । बहुत सी कारबारी संस्थाओं ने अपने यहां के कमचारियों को अलग कर दिया है । लगान इकट्ठा करने में भी केरल सरकार को कठिनाई हो रही है । विकास कार्य भी रुके हुए पड़े हैं। लेकिन प्रधान मंत्री को यह बताया गया है कि वहां स्थिति गम्भीर नहीं है । केरल की जनता में यह भावना व्याप्त है कि उनकी अवहेलना की जा रही है । जहां तक पलाई बैंक का मामला है उस में धन जमा करने वालों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये । उस के समापन सम्बन्धी व्यय को रोका जाना चाहिये और इस बैंक को किसी बड़े बैंक में मिला देना चाहिये । सरकार को ऐसे प्रयत्न करने चाहिये कि वहां की बैंकिंग व्यवस्था के प्रति जनता में विश्वास उत्पन्न हो जाये।

यह तो ठीक है कि सरकार तथा रिजर्व बैंक का विचार वहां की बैंकिंग व्यवस्था को अधिक अच्छा करने का है लेकिन जो कार्यवाही की जा रही है उस से नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहां के राज्य मंत्री ने केरल के छोटे छोटे बैंकों की व्यवस्था को फिर से चालू करने एवं बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिये कुछ सुझाव दिये थे लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । अतः मेरा निवेदन है कि वहां शीघ्र ही बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसी कोई नई बात नहीं कही गई है जो जनता में प्रेरणा पैदा करेगी। देश की दिखावटी तस्वीर सामने रखी गई है। सरकार की आशावादिता से जनता को कोई संतोष नहीं है। जनता समझती है कि स्थिति ठीक नहीं है। और इस बात की चर्चा लोग हर जगह करते हैं। भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद की चर्चा हर आदमी की जबान पर है। बढ़ी हुई कीमतों और बेरोजगारी की बात हर आदमी करता है। फिर भी हमें बताया जाता है कि हमारी राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष अपार वृद्धि हो रही है। श्री अशोक मेहता ने इस बढ़ती हुई आय की चर्चा करते हुए ठीक ही कहा है कि धनवान और धवान होते जा रहे हैं।

गत कुछ वर्षों में जनता के केवल एक वर्ग को बड़े-बड़े व्यापारियों, ठेकेदारों, निर्माताओं तथा भ्रष्ट प्रशासकों—लाभ हुआ है। सामान्य जनता की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है लोग भूखे और नंगे हैं। लेकिन फिर भी हम काफ़ी मात्रा में धन योजनाओं में लगा रहे हैं। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी बेरोज़गारी तथा अर्द्ध रोज़गारी बढ़ी ही है; गांवों के रहने वालों की ऋण ग्रस्तता भी बढ़ी है। यह तथ्य सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों से देखा जा सकता है। सामान्य लोगों की स्थिति तभी सुधर सकती है जब कि लोगों को काफी मात्रा में रोज़गार मिले। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में २ करोड़ १० लाख व्यक्तियों को दिन में केवल एक घंटे काम मिलता है।

योजनाओं को तैयार करने तथा उनको क्रियान्वित करने में बड़ा अन्तर है। निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये हैं। इस असफलता के कारण ये रहे हैं कि योजनाओं के निर्माताओं

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

द्वारा ठीक-ठीक हिसाब न लगाया जाना, प्रविधि का ज्ञान न होना तथा योजना को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी विभिन्न विभागों में समुचित अनुशासन तथा समन्वय की कमी आदि, जैसा कि कोयले एवं लोहे की वर्तमान स्थिति से प्रकट होता है।

मेरे विचार में हमारी असफलता का कारण हमारे योजना निर्माताओं का गलत मूल्यांकन है। हमारी योजनाएं सही ढंग से तैयार नहीं की गई हैं। चाहे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हो भी जाये लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बेरोजगारी की स्थिति में सुधार हो जायेगा। योजनाएं हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हैं। हमें ग़ैर राष्ट्रीयकृत उद्योगों को एक वैज्ञानिक ढंग पर प्रोत्साहन देना चाहिये और सड़क निर्माण, सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण, कृष्य-करण, वनरोपण, भूमि परिरक्षण आदि की योजनाएं आरम्भ करनी चाहिये। हम राष्ट्रपति से यह सुनना चाहते हैं कि हमारी सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है।

अब हमें यह देखना है कि हमारा कृषि उत्पादन किस कारण से बढ़ा है। कृषि में जो अधिक उत्पादन हुआ है उसके सम्बन्ध में यह बात संदिग्ध है कि यह वृद्धि हमारी सुयोजित अर्थ-व्यवस्था के फलस्वरूप हुई है। मुख्य समस्या यह है कि कृषि को प्रकृति के कोप से सुरक्षित किया जाये। सरकार को फसल बीमा की एक योजना तैयार करनी चाहिये जैसा कि आधुनिक देशों में किया जा रहा है। आजकल जनता का दृष्टिकोण उतना आशावादी नहीं है जितना कि सरकार का है।

अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी योजनाएं अगर सफल हो जाती हैं और हमारा राष्ट्र धनी और समृद्ध हो जाता है लेकिन अगर हम आपस में लड़ते ही रहे, जैसा कि आजकल हो रहा है, तो इससे क्या लाभ होगा। आज की सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश में एकता हो। यदि भारत को किसी भी दिशा में प्रगति करनी है और सीमा की प्रभावशाली ढंग से रक्षा करनी है तो यह कार्य देश को संगठित करके ही किया जा सकता है। और इस सम्बन्ध में सब से बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तथा केन्द्रीय सरकार की है। जाति, समुदाय, भाषा या स्थान विशेष के आधार पर जहां भी कहीं किसी वर्ग के प्रति अन्याय हो रहा हो, केन्द्रीय सरकार को शीघ्रता से तथा दृढ़ता से कार्यवाही करनी चाहिये। सरकार को सभी कार्य देश का हित ध्यान में रख कर करना चाहिये। आसाम और जबलपुर में हुई घटनाएं सरकार की आंखें खोलने के लिये काफी हैं। आसाम में क्या हुआ हालांकि इस बात को काफ़ी महीने बीत गये हैं लेकिन फिर भी अभी तक वहां कोई जांच नहीं हुई है।

चीन भारत सीमा विवाद के मामले पर जिन अधिकारियों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है निश्चय ही वे बधाई के पात्र हैं। मेरा निवेदन है कि यह प्रतिवेदन सन् १९५० में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जब कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था और उसे हड़प लिया था। क्योंकि उस समय ही हमारी सत्यता एवं हमारे सही दृष्टिकोण के बारे में विश्व को पता चल जाता। कम से कम तटस्थ लोग तो यह जान जाते कि हमारा दृष्टिकोण सही था। मेरे विचार से तो उन्हें ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं थी क्योंकि जो कार्य उन्होंने आज किया है वह कार्य आज से दस वर्ष पूर्व भी वह कर सकते थे।

इस प्रतिवेदन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तिब्बत एक स्वतन्त्र राष्ट्र था। मेरा यह मत आज भी है और १९५० में भी यही मत था। वह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतन्त्र था। उन दिनों भी वह चीन के बिना किसी प्रतिरोध के अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में भाग लेता

था। अभी कुछ महीने पूर्व हमें बताया गया है कि चीन ने लांग्जू पर से कब्जा हटा लिया है। सरकार को यह बताना चाहिये कि क्या भारत ने अब उस पर अपना अधिकार कर लिया है या वह अभी तक चीन के अधिकार में है। अगर हमने अपने खाली किये हुए भाग पर भी अधिकार नहीं जमाया तो कोई भी हमारी बहादुराना बातों पर विश्वास नहीं करेगा।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम दृढ़ एवं शांतिपूर्ण बने रहेंगे। मेरा यही निवेदन है कि यदि किसी को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में लगा रहना है तो वह कभी दृढ़ नहीं रह सकता वह हमेशा शांत नहीं बना रह सकता। एक समय आयेगा जब उसे शांति छोड़कर क्रियाशील होना पड़ेगा। हमारे प्रधान मंत्री ने कांगो में लड़ने के लिये अपने सैनिक भेजे हैं लेकिन यहां चीन के मामले में हम कहते हैं कि हम इसके लिये तैयार नहीं हैं। हमारा कहना है कि सभी मामले शांतिपूर्ण ढंग से निपटाये जायें। कांगो में तो युद्ध बहुत सी समस्याओं का समाधान करेगा लेकिन यहां युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं करेगा यह एक ऐसी बात है जो भ्रान्तिमूलक है। इसमें कोई तर्क दिखाई नहीं पड़ता।

†**श्री मानवेन्द्र शाह** (टेहरी गढ़वाल) : आज का वाद-विवाद मुख्यत: चीन के बारे में है। मैं इस समस्या का अन्तराष्ट्रीय पहलू तो नहीं ले रहा हूं। मैं तो अपने देश की सीमान्त सुरक्षा वाला पहलू ही ले रहा हूं। प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि देश की वास्तविक सुरक्षा केवल सैनिकों के हाथ में ही नहीं है बल्कि सुरक्षा तो खुशहाल, समृद्धिशील और सन्तुष्ट जनता में ही है। दुर्भाग्य से हिमालय की पहाड़ी बस्तियों की जनता में यह बात देखने को नही मिलती। सीमा क्षेत्रों में नियोजन और विकास कार्य आधे परदे ढंग से चल रहा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सन् १९५७ में इस सभा के ग्यारह सदस्यों ने जो कि हिमालय के सीमान्त इलाकों के प्रतिनिधि थे प्रधान मंत्री और योजना आयोग के पास एक संकल्प भेजा था कि योजना आयोग के अधीन सीमावर्ती जिले के प्रतिनिधियों की एक योजना समिति बनाई जाये जो वहां के विकास कार्यों के बारे में परामर्श दे तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान में की जाने वाली कार्यवाहियों की देखभाल भी करे। योजना आयोग ने हमें बुलाया। लेकिन आज तीन वर्ष बीत गये किन्तु हमारे द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई अमल नहीं किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना भी अब तैयार हो गई है लेकिन उसमें हमें सम्मिलित नहीं किया गया और हमसे परामर्श भी नहीं लिया गया। पांच जनवरी १९६१ को कुमायूं के आयुक्त ने एक बैठक अवश्य बुलाई थी लेकिन हमने उस बैठक का बहिष्कार किया।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में हम से सहयोग की मांग की है। लेकिन हमारा सहयोग तो है परन्तु सरकार का सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। सीमान्त जिलों के बनाने के बारे में संसद सदस्यों से परामर्श नहीं लिया गया है। वे जिले बड़े बनावटी ढंग से तथा स्थिति के अनुकूल नहीं बनाये गये हैं। इस बारे में मैं ने प्रधान मंत्री को भी एक पत्र लिखा था लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया उससे मुझे बड़ी निराशा हुई। मेरा तो यही निवेदन है कि यदि सीमावर्ती जिलों का पुनस्संगठन करना है तो वह उचित आधार पर होना चाहिये। ताकि सभी जिले सीमावर्ती जिले बन जायें। उनका निर्माण अच्छे प्रशासन की दृष्टि से किया गया है लेकिन मैं समझता हूं कि जिस ढंग से ये जिले बनाये गये उन से तो उद्दश्य की पूर्ति नहीं होगी। अतः ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि सीमा सम्बन्धी कार्यों के लिये एक प्रथक मंत्रालय होना चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मानवेन्द्र शाह]

ताकि सीमा क्षेत्रों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। जब काश्मीर समस्या के लिये अलग से एक मंत्रालय बनाया जा सकता है तो चीन का मामला तो और भी गंभीर है।

पाकिस्तान को अमरीका से सहायता मिल रही थी। उस समय यह कहा गया था कि यह अमरीकी सहायता साम्यवादी देशों के विरुद्ध दी जा रही है। लेकिन अब पाकिस्तान साम्यवादी देशों से मित्रता कर रहा है। अतः सरकार को अब अमरीका से यह स्पष्टीकरण मांगना चाहिये कि क्या वह देश अब भी पाकिस्तान को सैनिक सहायता देता रहेगा क्योंकि प्रगटतः यह सहायता साम्यवादी देशों के विरुद्ध दी जा रही थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह सहायता भारत के लिये घातक है। पाकिस्तान में भारत विरोधी प्रचार भी काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। सुनने में तो वह पहले भी आया था लेकिन जबलपुर वाली घटना से और भी स्पष्ट हो गया है। यह खेद का विषय है कि पाकिस्तान जबलपुर की घटनाओं के बारे में प्रचार सम्बन्धी अनुचित लाभ उठा रहा है। प्रेसीडेंट अय्यूब ने अभी १६ फरवरी को ढाका में जो वक्तव्य दिया है वह बहुत ही अनुत्तरदायित्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जबलपुर में अबोध लोगों की हत्या की जा रही है वहां उस देश में इस प्रकार की घटनाएं आये दिन होती रहती हैं। यह एक ऐसा वक्तव्य है जो बहुत ही अवांछनीय है और बहुत ही खतरनाक है। अतः ऐसे वक्तव्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : मैंने श्री कृपालानी का भाषण बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि उन्होंने देश की समस्याओं के प्रति एक सनकपूर्ण रवैया अपना लिया है, इसका यह परिणाम होता है कि वे सरकार की किसी अच्छी बात की भी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। यह वस्तुतः स्वस्थ्य दृष्टिकोण नहीं है।

अभिभाषण में और लगभग सभी सदस्यों ने अपने भाषणों में चीन के अतिक्रमण करने की निन्दा की है। इसमें सन्देह नहीं कि हमने एक दम युद्ध का रवैया नहीं अपनाया है तथापि हमने अपने अभिभाषण में जो भाषा बरती है उससे यह स्पष्ट है कि यह हमारी अन्तिम चेतावनी है और हम इससे अधिक धैर्य नहीं रख सकते हैं, मेरी राय में हमारे द्वारा अपनायी गयी नीति हमारी बुनियादी नीति के अनुकूल है।

हमने सदैव वार्त्ता करने का प्रयत्न किया है, तथापि अब यदि विवश होकर हम कोई कार्यवाही करेंगे तो सारा विश्व हमारे साथ होगा। मैं आशा करता हूं कि चीन तथा विश्व के अन्य राष्ट्र इस चेतावनी को समझ कर हमारे सीमान्त से तत्काल हटेंगे।

वस्तुतः हमें इस सम्बन्ध में चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है इसका कारण यह है कि हमारा विशेष विभाग एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो हममें से कहीं अधिक स्वाभिमानी है, हम यह समस्या उसके हाथों में छोड़ कर निश्चित हो सकते हैं।

श्री अशोक मेहता न यह आरोप लगाया है कि यह अभिभाषण नीरस है। मेरे समझ में यह आरोप नितान्त असत्य है इसका कारण यह है कि अभिभाषण पूर्णतः व्यावहारिक और यथार्थवादी है।

†मूल अंग्रजी में

अब म तीसरी योजना के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मेरे विचार से इस योजना में कोई नई बात नहीं है । सभा इसके समविदे पर पहले ही विचार कर चुकी है । वस्तुतः यह एक विशाल योजना का एक अंश है भले ही इसमें कुछ विशेष बातों पर अधिक महत्व दिया गया है ।

योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि देश में उसके अनुरूप वातावरण पैदा किया जाय, इसमे सन्देह नहीं है कि जनता में योजना के सम्बन्ध मे जागरूकता पैदा हो चुकी है और वस्तुतः इतनी विशाल योजना को क्रियान्वित करने के लिये जनता का सहयोग आवश्यक है ।

हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि जनता इस योजना के लिये जो त्याग और बलिदान कर रही है उसका उसे उचित लाभ मिले । जनता के पैसे को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिये । हम इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि करदाताओं के धन का अपव्यय और भ्रष्टाचार में नष्ट न हो । जब तक हम ऐसा नहीं कर सकेंगे तब तक हम जनता में योजना की क्रियान्विति के लिये आवश्यक उत्साह नहीं पैदा कर सकेंगे ।

मैं श्री अशोक मेहता और श्री हरिश्चन्द्र माथुर की इस बात से सहमत हूं कि हमें प्रशासन व्यवस्था का पुनर्गठन करना च हिय । आज हमारी प्रशासन पद्धति में यह भावना पैदा हो गयी है कि न तो अच्छे काम का कोई पारितोषिक मिलता है और न ही बुरे काम से कोई हानि पहुंच सकती है । अतः हमें इस दिशा में उचित ध्यान देना चाहिये ।

इस समय हमारे देश में कई हानिकारक तत्व पैदा हो रहे है, यदि आप किसी राज्य में जायें तो ज्ञात होगा कि सम्प्रदायवादी, जातिवादी और वर्गवादी शक्तियां अपना सिर पुनः उठा रही हैं । वस्तुतः देश की जनता का यह कर्त्तव्य है कि लोग इन तुच्छ विचारों से ऊपर उठें यदि लोग ऐसा नहीं करेंगे तो देश में मुस्लिम लीग सक्रिय हो सकती है ।

श्री विभूति मिश्र : (वगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं साथ ही श्री भक्त दर्शन ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

मैं कल से यहां पर होने वाले भाषणों को सुन रहा हूं और पहले भी जो हमारे विरोधी दल के भाई समय समय पर हमारी सरकार की वैदेशिक नीति पर समालोचना किया करते हैं उनको सुनता रहता हूं । मैं इस अवसर पर अपने उन विरोधी दल के भाइयों को कांग्रेस के पुराने इतिहास का स्मरण कराना चाहता हूं । सन् १९२०, ३०-३२ और सन् १९४२ और उसके बीच में जो इंडिविजुएल सत्याग्रह हुआ उनके जमाने में जब जब कांग्रेस आन्दोलन छेड़ने में देर करती थी तो हमारे विरोधी लोग कहा करते थे कि कांग्रेस चुप बैठी हुई है और आन्दोलन नहीं छेड़ती है । सन् १९४२ में तो हमारे इन विरोधियों ने खास तौर से कहा कि गांधीजी बुड्ढे हो गये हैं और वह लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं । मैं अपने उन विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस बरावर अंग्रेजों से भारत की स्वाधीनता के लिए झूझती रही और हमारी कांग्रेस सरकार जब भी मुनासिब मौका आयेगा तो वह चीन से अपनी धरती खाली कराने के लिए जरूर लड़ेगी । चीन ने जो हमारी जमीन को दबा रक्खा है उससे उनको खदेड़ भगायेगी लेकिन लड़ाई करने का उपयुक्त अवसर आने पर ही वह चीन से लड़ाई करेगी । सन् १९४२ में गांधी जी ने कहा था ''डू और डाई'', तो हमारे वे समालोचक भाई सब लोग इधर उधर भाग गये थे जबकि हम लोग जेलखाने गये । बहुत जगह गोलियां चलीं. . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : जी हम नहीं भागे थे बल्कि हमने उस स्वाधीनता संग्राम में आपसे ज्यादा हिस्सा लिया था । हम लोग भी जलखानों में गये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है आप भी थे लेकिन अभी आप मत कहिए आपको अभी बुलाया जायगा ।

श्री विभूति मिश्र : सन् ४२ के स्वाधीनता संग्राम में हमने अनेकों यातनाएं सहीं, हमारी सम्पत्ति लूटी गई और हम ने मार भी खाई । हमारे विरोधी दल के भाई यह समझते हैं कि देशभक्त का ठेका उन्हीं को केवल मिला हुआ है. . . . .

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : जी नहीं वह तो आपको मिला हुआ है ।

श्री विभूति मिश्र : बहुत से हमारे उन भाइयों को सन् १९२० से लेकर सन् १९६१ तक का अर्थात् ४१ वर्ष का कांग्रेस का इतिहास पैदा नहीं होगा । वे आज हमारे प्रधान मन्त्री जी के लिए कहते हैं कि वे लड़ना नहीं चाहते । मेरा कहना है कि प्रधान मन्त्री जी के मुकाबले हिन्दुस्तान में लड़ते वाला कोई दूसरा आदमी नहीं है । यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने सन् ४२ के आन्दोलन के बाद जब वह जेल से बाहर निकले तो उन्होंने खुले रूप में उस सन् ४२ के जन आन्दोलन का समर्थन किया था ।

अभी हमारे श्री कृपालानी और श्री अशोक मेहता ने जो हमारे आफिशियल्स की रिपोर्ट निकली है उसका समर्थन किया है और दूसरी तरफ जब यह कहते हैं कि हमारी सरकार कुछ करती नहीं है तो तब बड़ा अजीब सा लगता है । हमारी सरकार ने एक रिपोर्ट एक सबूत दुनिया के सामने रख दिया कि चीन ने भारत भूमि पर नाजायज तौर से कब्जा कर रक्खा है । सूर्य की रोशनी की तरह सारे संसार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह सिद्ध कर दिया है कि चीन आक्रान्ता है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार चीनी खतरे से पूरी तरह सावधान है और जिस दिन हमारी सरकार चीन से लड़ाई करना उपयुक्त समझेगी और लड़ाई का ऐलान कर देगी उस दिन हमारे यह विरोधी भाई जो आज सरकार की नुक्ताचीनी करते हैं भाग जायेंगे जबकि हम कंधे से कंधा मिला कर अपनी सरकार का साथ देना है ।

श्री अर्जुनसिंह भदौरिया : यह हमारी ईमानदारी के ऊपर हमला किया जा रहा है. . . . . .

श्री विभूति मिश्र : जी ईमानदारी पर हमला नहीं है बल्कि पुराना अनुभव हमें बतलाता है कि वे इधर उधर हो जायेंगे ।

दूसरी बात यह है कि जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उनकी नीति हमारी समझ में नहीं आती है । कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक ओर तो चीन से दोस्ती रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के प्रति भी वफादार बने रहने का दावा करते हैं । मैं अपने उन मित्रों को कहना चाहूंगा कि भाई अब ऐसा अवसर आ गया है जबकि आपको एक तरफ रहना पड़ेगा । यह दुतरफा म मला अब नहीं चलने वाला है । या तो हिन्दुस्तान की सुरक्षा के हेतु पूरी तरह से भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रीय सरकार के साथ रहिए और हिन्दुस्तान में जिस तरीके से गरीबी का मसला हल करना हो उसमें यहां की सरकार का साथ दीजिये और उनसे पूर्ण सहयोग कीजिये और नहीं तो साफ साफ कहिये कि हम आपके साथ नहीं हैं । अब इसमें भी आप देखेंगे कि हमारे प्रधान मन्त्री जी नौन वाएलेंस की नीति पर मजबूती से जमे हुए हैं और हमारे प्रधान मन्त्री जी आप के साथ कितने नौन वायलैंट हैं । अगर चीन और रूस

में इस तरह के लोग होते तो वहां पर उनको गोली से उड़ा दिया गया होता। इसमें भी आपको गांधीजी की अहिंसा का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इसी सदन में हम लोग ३७५ के लगभग हैं। तब भी हम और हमारे प्रधान मन्त्री जी कितने नौन वायलेंट हैं और पूर्ण रूप से सत्य और अहिंसा का बर्ताव आपके साथ करते हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे साथ तो माननीय सदस्य बर्ताव का जिक्र नहीं कर रहे हैं ?

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, जी आपका जिक्र मैं कतई नहीं कर रहा हूं। आपके साथ तो एक दम हमारा आदर निष्ठा और सत्य अहिंसा का बर्ताव है। मैं तो यह बर्ताव की बात अपने विरोधी सदस्यों के लिए कह रहा था। उनको तो हिन्दुस्तान का और कांग्रेस के इतिहास का पता नहीं है कि कांग्रेस ने भारत की स्वाधीनता के लिए कैसी कैसी लड़ाइयां लड़ीं और यातनाएं झेलीं। अलबत्ता कुछ भाई हैं जिनको कि इस बारे में पता है जैसे कि कृपालानी जी। अब वे हमारे अपने घर के आदमी रहे हैं जो कि अभाग्यवश आजकल हमसे बिछुड़ गये हैं उनको कांग्रेस का इतिहास भली भांति मालूम है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे ह जिनको कि इसके बारे में पता भी नहीं है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार से एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो शुगरकेन इंडस्ट्री की है। अगर और किसी इंडस्ट्री के कारखाने में हड़ताल हो जाय तो इतना ज्यादा नुक्सान नहीं होता है लेकिन अगर शुगरकेन की फैक्टरी में हड़ताल हो जाय तो उसमें शुगरकेन ग्रोअर्स का बड़ा नुक्सान होता है। यह शुगरकेन इतना कच्चा सौदा है कि अगर गन्ना मिल में हड़ताल हो जाय तो किसान तबाह हो जाता है। अभी हमारे क्षेत्र में हरिनगर शुगर मिल में एक हड़ताल हुई थी, वैसे मिल तो चल रहा है लेकिन मजदूर और मालिकों का मामला अभी तय नहीं हुआ है। मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार को विशेष कर इस शुगरकेन व्यवसाय के बारे में कौटेन की तरह से खास तौर से कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि गन्ना मिलों में हड़ताल न हो। लोहे के कारखानों की बात जुदा है लेकिन यह शुगरकेन का बड़ा कच्चे सौदे वाला व्यापार है और एक रोज की देर हो जाय तो शुगरकेन का मामला ऐसा है कि लोग और उसको जीवजन्तु खा जायेंगे और उसमें किसान को बड़ा नुकसान होता है और हमारे प्रोडक्शन को नुक्सान पहुंचता है। अभी प्रश्नोत्तर काल में सुना था कि ५ लाख टन हम बाहर भेजेंगे। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का किसान जिन चीजों को पैदा करता है उनकी कीमत जो कारखानों से चीजें पैदा होती हैं उनके साथ जोड़ी जाय। इसमें कंज्यूमर्स की भी रक्षा की जाय। मैं चाहता हूं कि कंज्यूमर्स का भी ख्याल किया जाय। जो फैक्टरी गुड्स हैं उनका भी ख्याल किया जाय और जो चीजें किसान पैदा करता है उनका भी ख्याल किया जाय। जब तक आप इसका ख्याल नहीं करेंगे किसानों को बड़ा घाटा रहने वाला है। हमारी सरकार ने ८२ करोड़ का गल्ला बाहर से मंगाया। उसका नतीजा हुआ कि हिन्दुस्तान में जो गल्ला था उस के दाम गिर गये और किसानों को घाटा हुआ।

मैं समझता हूं कि इस सदन में करीब ८५ फीसदी सदस्य किसानों के वोट पर चुन कर आये होंगे बाकी १५ फीसदी ऐसे होंगे जो कि शहर वालों की वोटों से चुन कर आये होंगे। लेकिन आज उन किसानों की हालत देखिए कि कैसी शोचनीय है। यह फैक्टरी वाले बहुत पैसा खींच ले जाते हैं, मार लै जाते हैं और किसानों को बहुत कम मुनाफा मिलता है। आज तो जूट के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। इसके लिए मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं लेकिन एक मन जूट में जितने बोरे बनते हैं उतने बोरों की कीमत लगाई जाय तो उसके मुकाबले में किसान को एक मन जूट के दाम बहुत कम मिलते हैं और हम देखते हैं कि फैक्टरी ओनर्स को जूट की प्राइस बढ़ने से किसानों की अपेक्षा

[श्री विभूति मिश्र]

बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक इंटैगरेटेड प्राइस पालिसी होनी चाहिए, प्राइस बोर्ड नहीं। क्योंकि प्राइस बोर्ड में तो एक चीज के दाम रक्खेंगे। कंज्यूमर्स का ख्याल करते हुए, फैक्टरी गुड्स जो पैदा होते हैं उनका ख्याल करते हुए, जो चीज़ें पैदा होती हैं उनका ख्याल करते हुए और किसान का ख्याल करते हुए कि उसका कैसा स्टैंडर्ड आफ लिविंग होना चाहिए उसका ख्याल रखते हुए एक इंटैगरेटेड प्राइस बोर्ड होना चाहिए जो सब को जोड़ कर ले चले और ऐसा करना बहुत जरूरी है। मैंने भावनगर कांग्रेस में भी इसके बारे में कहा था।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कोआपरेटिव्स बनाइये। कोआपरेटिव्स बनाने के लिए मैं सचेष्ट हूं लेकिन हालत यह है कि उन्होंने कहा कि एक हजार की आबादी के ऊपर कोआपरेटिव्स बननी चाहिएं लेकिन आज जितनी कोआपरेटिव्स हैं वह ४००० की पापुलेशन पर हैं और एक हजार की पापुलेशन पर कोआपरेटिव्स नहीं बनी हैं। ४००० की आबादी पर चलाना मुश्किल होता है १००० पर बनने से ठीक हो जायगा। इस लिए मैं कहूंगा कि चूंकि हमारे प्रधान मंत्री महोदय वाद-विवाद का जवाब देंगे, यह बेहतर हो कि अगर वह स्टेट गवर्नमेंट को इसकी सूचना दें कि १००० की आबादी पर कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई जायें।

अब उपाध्यक्ष महोदय, एक बात का मैं और अपनी सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। हमारे हरिजन भाइयों को जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। बैकवर्ड क्लासेज को दी जाती हैं उनमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि उनके अलावा कुछ अन्य जातियां भी हैं जिनमें कि बहुत गरीब विद्यार्थी रहते हैं और सरकार को उनको छात्रवृत्ति देनी चाहिए। आप कहते हैं कि हम उनको मैरिट पर देंगे तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक और तो एक सेठ का लड़का है जिसको कि पढ़ाने के वास्ते मास्टर लगा हुआ है और दूसरी तरफ उस गरीब का लड़का है जिसको कि खाने और पहनने को कपड़ा नहीं है और जो स्कूल में जाता है वह उस सेठ के लड़के के मुकाबले में मैरिट में कैसे आगे आ पायेगा? उसकी मैरिट कैसे तेज होगी? पहले तो हमारे यहां पर गुरूकुल का रिवाज था जहां पर कि राजा और रंक के लड़के एक साथ गुरू के चरणों में बैठ कर विद्या सीखते थे और वहां पर अलबत्ता दोनों को समान रूप से विद्या मिलती थी और उस हालत में मैरिट की बात सोचनी ठीक भी थी लेकिन आजकल की शिक्षा प्रणाली में तो वह संभव नहीं है और होगा यह कि उन गरीब लोगों के लड़के जिनको कि छात्रवृत्ति नहीं देते हैं वे पीछे रह जायेंगे और एक दम बैकवर्ड क्लास के हो जायेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि जैसे आप हरिजन आदि लोगों को छात्रवृत्ति देते हैं वैसे ही जो और जातियां हैं जो कि वास्तव में बहुत गरीब हैं उनके लड़कों को भी छात्रवृत्ति दें और उनके साथ भी आप न्याय करें।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में विषमता बहुत ज्यादा है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। एक शुगर फैक्ट्री वाले ने मुझ से कहा कि आखिर साल में उस को क्या बचता है? सिर्फ १५ लाख रु० बचता है। कुछ नहीं बचता है। अब आप सोचिये कि जो काम करे, इतनी तरद्दुद उठाता है, उस का तो पेट नहीं भरता है, हालांकि वह शुगर केन पैदा करता है। मिल मालिक की फैक्ट्री में कोई खूबी नहीं है, अगर कोई खूबी है तो यही कि उस ने रिजर्व बैंक से पैसा लिया, कुछ और लोगों से पैसा लिया और बैठ कर कारखाना चलाने लगा। इस के अलावा और कोई खूबी नहीं। कारखाने की टेकनालोजी को जिस ने पैदा किया, खूबी उस की है न कि मिल मालिक की। मिल मालिक का काम केवल मैनेजमेंट करना है और फैक्ट्री चला देना है, फिर भी उन का इतना फायदा हो और जो

आदमी कारखाने को सामान देता है, उस का कोई फायदा नहीं । जो हमारे भाई एकानिमक्स पढ़े हुए हैं वे कहते हैं कि टैक्स लगाओ । लेकिन टैक्सेशन की पालिसी फेल कर गई । इतने टैक्सेशन के बावजूद आप के पास कितना पैसा जमा हुआ है ? कहा जाता है कि मिल मालिकों के पास सेविंग होना चाहिये ताकि आगे डेवेलपमेंट हो । मैं यह भी मान लेता हूं कि यह व्यवस्था रहे, लेकिन जो सेठ हैं, जो धनी हैं, जो सरकारी नौकर हैं, उन का और जो गरीब आदमी हैं, उन का जीवन का मापदंड एक होना चाहिये । अगर वे लोग बीमार पड़ जायें, तो आप उन को अच्छी दवा दीजिये, दूध दीजिये, मक्खन दीजिये, लेकिन बीमार न हों तो सब के लिये एक सी चीज़ होनी चाहिये । जिस तरह से गांधी जी सर्वोदय और अन्तोदय की बात कहते थे उसी तरह से आप को करना चाहिये था, लेकिन आप सर्वोदय और अन्तोदय के आधार को नहीं मानते हैं । फल यह हो रहा है कि डिस्पैरिटी बढ़ती जाती है । इस विषमता के बढ़ने का जो नतीजा होगा वह मुल्क के लिये अच्छा नहीं होगा । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि विषमता आगे न बढ़ाये । जो आप की टैक्सेशन वगैरह की नीति है उस सब के बावजूद अगर एक जगह माल जमा हो जाता है तो उस से एक तरफ अमीरी बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती जाती है । आज अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटाने की जरूरत है ।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा राजतंत्र चल रहा है वह खाली अंग्रेज़ी वालों का राजतंत्र है । चाहे आप स्टेट्स को ले लें चाहे सेन्टर को ले लें, वहां से यहां तक अंग्रेज़ी जानने वाले ही या तो मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या और पदों पर हैं । मैं जानना चाहता हूं कि स्वराज्य की लड़ाई में उन्होंने कितना त्याग किया ? और अगर यही समाजवाद है तो मैं बतलाना चाहता हूं कि जो हमारे बहुत से दूसरे लोग हैं, भले ही वे अंग्रेज़ी न जानते हों लेकिन वे बहुत से अंग्रेज़ी भाषा जानने वालों से ज्यादा होशियार हैं और राजतंत्र को अच्छा चलाने वाले हैं । मैं नहीं कहता कि यहां पर हिन्दी ही हो, और भाषाओं के जानने वाले भी बहुत योग्य लोग हैं । हमारे श्री कामराज नाडार मद्रास के चीफ मिनिस्टर हैं, उन की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और उस की प्रशंसा भी हुई है न कि अंग्रेज़ी जानने वालों की । मैं नहीं जानता कि हमारे यहां अंग्रेज़ी का इम्पीरियलिज्म कब तक चलता रहेगा । अंग्रेज़ी जानने वालों का यह इम्पीरियलिज्म जो है उसे खत्म होना चाहिये । हमारे मौलाना साहब तो स्वर्गवासी हो गये, उन के बाद अब कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपनी भाषा को जानते हुए ही सरकार का काम चलाये । आज यू० एन० ओ० में भी होता है कि विभिन्न भाषाओं का इस्तैमाल होता है । वहां पर आये प्रतिनिधि अपनी भाषाओं में भाषण देते हैं और तुरन्त उन का ट्रांस्लेशन हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री विभूति मिश्र : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे आज लोक सभा का मेम्बर रहते दस वर्ष हो गये, लेकिन इन दस वर्षों में केवल इसी बार मुझे प्रेजिडेंट के एड्रेस पर बोलने का मौका मिला है, जब कि हमारे संविधान में लिखा है "ईक्वैलिटी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस" । यह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ । संविधान में लिखा होने पर भी कि जस्टिस होगी, ईक्वेलिटी होगी दस वर्षों में मुझे आज पहली बार प्रेजिडेंट्स ऐड्रेस पर बोलने का मौका मिला है । जो हमारे विरोधी दल के भाई हैं उन को आप २० मिनट देते हैं लेकिन हम को बहुत कम देते हैं । मेम्बर तो सब बराबर हैं । उन का वोट डेढ़ नहीं गिना जायेगा, सब का एक ही वोट गिना जायेगा, लेकिन उन को आप २० मिनट देते हैं और हमें १५ मिनट देते हैं । सदस्यों में कोई फर्क नहीं है, सब का वोट एक ही है ।

[श्री विभूति मिश्र]

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो है वह बराबर फारेन एक्सचेन्ज के चक्कर में है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जो सहूलियतें हैं, जो साधन हैं, उन को खर्च करने में पूरी आस्टेरिटी का ख्याल रक्खा जाय। हमारे देश में जितना सामान है उस को ठीक से इस्तेमाल करने के बाद जो कमी हो उसी को पूरा करने के लिये हम बाहर से कर्ज लें। हम देख रहे हैं कि हमारी कर्ज खाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जब एक आदमी कर्ज खाने लगता है तो उस की आदत बिगड़ती जाती है। मैं इस के खिलाफ़ हूं कि बाहर से कर्ज लिया जाय। वैसे न लिया जाय। हम केवल अपनी आवश्यकता को देख कर ही कर्ज में, सिर्फ कर्ज खाने के लिये बाहर से पैसा न लें। जितने हमारे साधन हों हम उन से ही काम लेने का प्रयत्न करें।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन से लगातार शासक दल के लोगों के मुख से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रशंसा के गीत सुनता चला जा रहा हूं। मैंने भी प्रथम दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना, लेकिन निराशा के अलावा कोई दूसरी चीज मेरे पल्ले नहीं पड़ी। पूरे का पूरा अभिभाषण बिल्कुल निर्जीव, निष्प्राण और निराशा जनक था। इस तरह के अभिभाषण को कभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। जिस समय मैं राष्ट्रपति का अभिभाषण सुन रहा था तो मैं यह फर्क नहीं कर पा रहा था कि मेरे कानों में जो शब्द आ रहे थे वे किसी व्यक्ति या मानव के बोल हैं या कहीं मशीन से कोई ध्वनि निकल रही है। जिस भाषण के अन्दर देश की जनता की आकांक्षायें और उस की आशायें व्यक्त न हों, उस को कैसे अभिभाषण कहा जा सकता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण तो वह हो सकता है जिसमें किसी देश के उज्जवल भविष्य की आशा हो।

बहुत सी बातें कही गईं। सीमा के सिलसिले में भी कही गई हैं, लेकिन एक बात भी स्पष्ट तौर से नहीं कही गई। अगर उस पूरे के पूरे भाषण को बांटा जाये तो उस को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है : पहला विदेश नीति, दूसरा गृह नीति और तीसरा हिन्दुस्तान में आने वाले विदेशी मेहमानों की मेहमान नेवाजी, उन पर होने वाला खर्च और उनका स्वागत और सत्कार। अगर मैं सब से पहले विदेश नीति को लूं और अभी तक जो कुछ भी सरकार ने किया है उस के कामों को लूं तो कहा जा सकता है कि पूरे का पूरा अभिभाषण किसी भी असफल सरकार की असफलताओं की दुःखभरी कहानी है और अपनी सीमाओं पर होने वाली हलचलों के बारे में कहा गया है कि वह चीन की दुराग्रह नीति है। मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हिन्दुस्तान की सीमाओं पर चीनी अजगर फुफकार रहा है, उस चीनी अजगर ने लम्बी सासें खींच कर हमारे मुल्क की १३,००० वर्ग मील धरती को निगल लिया है या उस पर कब्जा कर लिया है। सरकार कहती है कि मौका पड़ेगा तो तलवार उठायेंगे। हमारे मिश्र जी कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेज हुकूमत से जबर्दस्त लड़ाई लड़ी है। लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि उस लड़ाई में जितना हिस्सा उन्होंने लिया है, उस से अधिक हिस्सा विरोधी दल में बैठने वालों ने लिया है। अगर आप को किसी समय दस वर्ष की सजा हुई थी तो मैं बतलाना चाहता हूं कि मुझे भी सन् १९४२ में ४२ सालों की सजा हुई थी। इस लिये यह उन के लिये कोई गर्व की बात नहीं है। मुल्क सबका है। भले ही कुछ लोग मुल्क की आजादी की लड़ाई में अभी तक हिस्सेदार न रहे हों, लेकिन हम यह कैसे कह सकते हैं कि आगे आने वाली लड़ाई में भी वे हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं। अगर मुल्क को बचाना है तो सारे मुल्क को साथ लेकर चलना होगा। लोगों की तरफ उंगली उठाकर किसी मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह लोग जिन्होंने सारी जिन्दगी अंग्रेजी राज की जड़ों में हिन्दुस्तान के गरीबों का खून दिया वही लोग आज आपके साथ शामिल हैं। हमारे साथ नहीं हैं। इन्हीं लोगों ने अंग्रेजी फौजों में हिन्दुस्तान के गरीबों को जर्मनी और जापान के मोर्चों पर भिजवाया था। जूझने वाले गरीबों के बेटे थे, जिन्होंने दुश्मनों की गरम गोलियों को अपनी छाती के खून से ठंडा किया, लेकिन कौन उनको पूछता है। जिन्होंने सन् १८५७ की आजादी की लड़ाई में अंग्रेज का साथ दिया आज वह आपकी बगल में बैठे हैं। आज आप उनको बड़ी वड़ी पेंशनें दे रहे हैं और उनको इस प्रकार उनकी गद्दारी का इनाम दे रहे हैं। और इस तरफ वह लोग बैठे हैं जिन्होंने सारी जिन्दगी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनकी तरफ आप इशारा करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की बहस यहां इस सदन में न हो। इस से बदमजगी बढ़ती है, इस से प्रेम और मुहब्बत की गंगा नहीं बह सकती। मैं आप को बताना चाहता हूं कि जब मौका आयेगा चीनी पलटनों को हिन्दुस्तान से धक्का देकर बाहर निकालने का, तो हमी लोग होंगे जो अपने हाथ में चमचमाती शमशीर लेकर, जिस तरह से हमने ब्रिटिश शहनशाहियत का मुकाबिला किया, उसी तरह से इन चीनी पलटनों को हिन्दुस्तान से निकाल कर रहेंगे।

सज्जनों....

एक माननीय सदस्य : अभी चुनाव दूर हैं, एक साल दूर हैं।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर अनेकों दल और अनेकों पार्टियां हैं। मैंने यह अनुमान किया था कि हिन्दुस्तान की सीमाओं पर हमला होने के बाद हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी कुछ अपनी नीति को बदलेगी, उनके मन में भी अपनी भारत माता की मुहब्बत का जज्बा उठेगा। लेकिन मुझे कामरेड डांगे की स्पीच को सुन कर गम्भीर निराशा हुई। लेकिन उससे भी अधिक निराशा मुझे उन लोगों से हुई जो हमेशा अखंड भारत का नारा लगाते हैं और जिनके नेता खंडित भारत के भागीदार रहे हैं। आज वही दिया वाली पार्टी जन संघ और उसके नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी भी कांग्रेस के कूंड में कूंड करके उनकी हां में हां मिला रहे हैं। वह धर्म की बात करते हैं और हिन्दुस्तान की तहज़ीब की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज वह किस तरह खामोश हैं। जो स्थान हमारे धर्म का, हमारी सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र था, जहां पर शिव ने तपस्या की, जहां पर पार्वती ने आराधना की, जिस मानसरोवर में और जिन हिमालय के पहाड़ों और चोटियों पर हिन्दुस्तान के ऋषियों और मनीषियों ने अपने लिये नहीं, देश के लिये भी नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिये साधना की, आज वह कैलाश हमारे हाथों से निकल गया है इसी कांग्रेस सरकार की नीति से जो कि मानती है कि यही हमारी मैकमेहन रेखा है। लेकिन जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है, मैं आपके द्वारा इस सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर तिब्बत को आजाद किया जाये और तिब्बत को बफर स्टेट के रूप में माना जाये, तब तो हम लोग इस मैकमेहन लाइन को अपनी सीमा रेखा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर तिब्बत चीन के हाथों में रहता है तो यह मैकमेहन रेखा हमारे देश की सीमा रेखा नहीं हो सकती। उस दशा में अगर हमारे देश की चीन के साथ कोई भी सीमा रेखा हो सकती है तो वह उत्तर पूर्व वाहिनी ब्रह्मपुत्र नदी ही हो सकती है। मानसरोवर के ऊपर का हिस्सा चीन का हो और मानसरोवर के नीचे का हिस्सा हिन्दुस्तान का हिस्सा माना जाये। अगर तिब्बत को स्वतंत्र किया जाये तब तो मैकमेहन रेखा हमारे देश की सीमा रेखा स्वीकार की जा सकती है लेकिन अगर तिब्बत चीन के कब्जे में रहेगा तो फिर यह मैकमेहन रेखा हमारी सीमा रेखा नहीं हो सकती। उस दिशा में तो हमारी सीमा रेखा उत्तर पूर्व वाहिनी ब्रह्मपुत्र नदी है और वही हिन्दुस्तान की प्राकृतिक सीमा रेखा हो सकती है।

[अर्जुन सिंह भदौरिया]

अभी कहा गया कि एक मौका आयेगा तब हम चीनी पलटनों को निकालेंगे । लेकिन यह तभी होगा जब आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान सबल और शन्ति प्रिय होगा और वह सबल और शन्ति प्रिय हिन्दुस्तान ही अपनी सीमा रेखा को स्थिर करेगा और वहां जाकर अपने राष्ट्र का झंडा गाड़ेगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में हिन्दुस्तान में आने वाले मेहमानों का जिक्र है जो कि विदेशों से हमारे देश में आये । अगर उनके स्वागत सत्कार पर किये गये खर्च पर गौर किया जाये तो बड़ी विडम्बना होती है । इसके अतिरिक्त आप देखें कि हमारे देश में लंका की प्रधान मंत्री श्रीमती भंडारनायके आयीं, रूस के प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव आये, संयुक्त अरब गणराज्य के करनल नासिर और इसी तरह से दूसरे अनेकों मेहमान आये और ब्रिटेन की महारानी भी आयीं । लेकिन उस अभिभाषण को आप पढ़ें तो सब से पहिले ब्रिटेन की महारानी का नाम आता है । अगर आप रेल का टिकट लेने जायें तो वहां पर क्यू लगता है और जो पहिले आता है उसको पहिले टिकट दिया जाता है, लेकिन यहां पर पक्षपात बरत गया है । जो मेहमान महारानी से पहिले आये थे उनका नाम बाद में लिखा गया है । श्रीमती भंडारानायके और करनल नासिर महारानी से दो चार महीने पहले आये थे, लेकिन महारानी का नाम सबसे पहले लिखा गया । इस प्रकार कैसे दूसरे मुल्कों के साथ हिन्दुस्तान अपनी दोस्ती बढ़ायेगा, मुझे तो बड़ा ताज्जुब और अचरज होता है ।

एक माननीय सदस्य : महारानी एक लेडी हैं ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : और अगर आप लेडी की बात करते हैं तो श्रीमती भंडारनायक भी एक लेडी थीं, उनका नाम सबसे पहिले आना चाहिये था । लेकिन यहां लेडी का सवाल नहीं है । यहां सवाल है जार्ज पंजुम की पोती का जो कि हिन्दुस्तान में यह देखने आयी हैं कि यहां पर अब ये गुलाम लोग किस प्रकार रहते हैं । उनका इतना शानदार स्वागत सत्कार किया गया । सन् १८५७ के गदर के समय के दिल्ली के कोतवाल के पोते ने बिलायत के बादशाह जार्ज पंजुम की पोती का शानदार स्वागत किया और उस पर हिन्दुस्तान का तीस करोड़ रुपया खर्च हो गया है या खर्च होने जा रहा है । हमें यह देख कर निहायत अफसोस होता है । इस साल जब हमारे देश में भयंकर वर्षा बाढ़ आयी तो देश में दस लाख मकान गिर गये और करोड़ों लोग बेघरबार और बेरोजगार हो गये । उन दस लाख मकानों के लिये सरकार ने दस लाख रुपये भी नहीं दिये लेकिन बिलायत से आनेवाली महारानी के स्वागत पर करोंड़ो रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है । आज वे सारे के सारे गांव जहां से यह रुपया खिच खिच कर आ रहा है मरघट बनते चले जा रहे हैं और इस नई दिल्ली को महारानी को दिखाने के लिये नई दुलहन की तरह सजाया गया है, और गरीब बच्चों की नसों से खन निकाल कर यहां शानदार और आसमान चूमने वाले बंगले रंगे गये । मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आज जो देहातों में मरघट की सी खामोशी है उसको वास्तव में मरघट की खामोशी न समझ लिया जाये । वहां एक बहुत बड़ा खतरा है । वह एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जो अगर धधका और फूट पड़ा तो सरकार तो जायेगी ही सरकारें तो आती जाती रहती हैं लेकिन डर है कि कहीं उस ज्वालामुखी के कारण हमारी जम्हूरियत, हमारा जनतंत्र ही न चला जाये । अगर ऐसा हो गया तो हमने जो अंग्रेज से लगातार ६० साल तक लड़ाई लड़ी और अपने मुल्क के लिये आजादी हासिल की उसकी सुरक्षा करने में हम सफल नहीं हो सकेंगे ।

(कुछ आवाजें)

यह बीच में क्या बकवास है । सुनो, सुनो, गम्भीरतापूर्वक सुनो । अगर मुल्क को बचाना है. . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहब के भाषण से पहले भी कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता था क जैसे वह समझते हैं कि वह किसी पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे हैं। उन्होंने जो अभी कहा "यह क्या बकवास है" यह ना मुनासिब है। यहां जब दूसरे लोग बोलते हैं तो माननीय सदस्य ही सबसे ज्यादा इंटरप्शन करते हैं। अगर कोई मेम्बर उनके भाषण में इंटरप्शन करता है तो उसके लिये यह कहना कि यह क्या बकवास है, निहायत ना-मुनासिब है। इस लिये इन अल्फाज को वापस लीजिये।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : मैं विड्रा करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सफा ७ पैराग्राफ नम्बर ३४ में दिया गया है कि गत वर्ष कुल ६७ विधेयक पारित हुये तथा अधिनियम बने। इसी तरह प्रत्येक वर्ष बिल पारित होते हैं और कानून बनते हैं। पर इन कानूनों पर अमल कितना होता है जरा इस पर ध्यान दीजिये और संजीदगी तथा गम्भीरता से गौर कीजिये।

डाक वर्कर्स रग्यूलेशन आफ एम्प्लायमेंट एक्ट सन् १९४८ में पार्लियामेंट न पास किया था। उसी एक्ट के मातहत एक स्कीम भारत सरकार ने गजट की। उस स्कीम के अनुसार सन् १९५३ से कलकत्ता तथा समुद्री जहाजों पर काम करने वाले डाक मजदूरों को न्यूनतम वेतन (मिनीमम गारंटी) और हाजिरी भत्ता मिलता था। परन्तु अब सन् १९५८ के नवम्बर से कलकत्ता बन्दरगाह के मजदूरों को कानून के अनुसार जो न्यूनतम वेतन और हाजिरी भत्ता दिया जाता था, उससे अब उनको वंचित किया जा रहा हैं।

इसी तरह आप देखें कि पैराग्राफ नम्बर २९, सफा नम्बर ६ पर लिखा है कि कामगर संबंधों में सुधार हुआ है और गैरहाजिरी के दिनों में काफी कमी हुई है। इस का सब से अच्छा सबूत यह है कि अकेले कलकत्ता बन्दरगाह के चीपिंग और पेंटिंग विभाग के पांच हजार मजदूर आज भी हड़ताल पर हैं और उन को हडताल करते हुए लगातार बीस दिन हो गये हैं, लेकिन इस सरकार को और लेबर मिनिस्टर को इस बात की कोई भी चिन्ता नहीं है कि पांच हजार मजदूर किस तह से जिन्दा हैं और अभिभाषण में यह लिखा जा रहा है कि कामगर सम्बन्धों में सुधार हुआ है और अनुशासन नियमावली के लागू करने का अच्छा असर पड़ा है। इन पांच हजार गरीब मजदूरों की यह मांग है कि उन सभी को बम्बई की भांति ही कलकत्ता डाकलेबर बोर्ड के मातहत काम और वेतन मिलना चाहिये, तथा जो मध्यवर्ती या बीच के दलाल या मिडिलमैन जो सारा धन या मजदूर की मेहनत डकार जाते हैं वह समाप्त होना चाहिये। सरप्लस लेबर या सरप्लस वैल्यु (अतिरिक्त श्रम और अतिरिक्त धन) जो कुछ भी बीच के लोगों के हाथ में चली जाती है वह बन्द होनी चाहिये। वह बीच के हाथों में न जा कर मजदूरों को मिलनी चाहिये।

केन्द्रीय कर्मचारियों की गत हड़ताल के पूर्व रेलवे विभाग ने गजट किया था कि ट्रेन एग्जामिनर अर्थात् टी० एफ० आर० का प्रारम्भिक वेतन १८० रुपया मासिक किया जायेगा। इस के साथ ही साथ हड़ताल के दौरान में प्रतिदिन आल इंडिया रेडियो भी चिल्लाता रहा कि रेलवे ट्रेन टिकट परीक्षकों को प्रति मास १८० रुपया दिया जायगा फिर भी यह हड़ताल क्यों करते हैं। परन्तु हड़ताल समाप्त होने के पश्चात् अब इन को १८० रुपये के बजाय १५० रुपया ही दिया जा रहा है। यह है इस सरकार की घोषणाओं की ईमानदारी और उस के प्रति वफादारी।

सफा नम्बर ४, पैराग्राफ नम्बर १७ में विदेशी मेहमानों की मेहमाननिवाजी और उन के स्वागत सत्कार की काफी चर्चा है। इस सिलसिले में मैं ने अभी यह निवेदन किया कि बाहर के

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

मेहमानों पर जो कुछ भी खर्चा हो वह अपनी जेब को देख कर होना चाहिये। एक तरफ तो हम विदेशों से कर्ज लेते हैं और दूसरी तरफ विदेशों से गल्ला लेते हैं। अब जो मुल्क विदेशों से गल्ला और कर्जा ले कर जिंदा रहे उस मुल्क की सरकार अगर इतनी लम्बी रकम मेहमानों पर खर्च करे तो यह मुल्क किस तरीके से जिंदा रहेगा यह एक बहुत विचारणीय प्रश्न है।

पैराग्राफ नम्बर २८ और सफा नम्बर ६ पर बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं की बहुत चर्चा है। इन योजनाओं का अर्थ है कि पानी का स्रोत बढ़े तथा मुल्क में अधिक बिजली बने परन्तु विडम्बना यह है कि युग युग की बनी हुई भागीरथ नदी जो भगीरथ प्रयत्नों से धरती पर उतरी, जिसे डलहौजी और डायर की भाषा में या फिर गला लंगोट भाषा में हुगली कहते हैं, उस में २० बड़े बड़े जहाज़ डूबे पड़े हैं जिन पर कि दिन रात बालू जमती जाती है और वह जहाज पहाड़ का रूप धारण करते जाते हैं। उन को नष्ट करने के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। पहले उस नदी में १६,००० टन एक जहाज माल ले कर चलता था और उस भगीरथ की छाती पर चढ़ कर के कलकत्ते में जा कर माल उतारा जाता था। अब हालत यह है कि जो जहाज १६,००० टन बोझा लाद कर के लाते थे अब वही जहाज सिर्फ ६,००० टन माल ही ले जा पाते हैं। रोज खबरें आती हैं और रोजाना सवालात पूछे जाते हैं लेकिन सरकार का इधर ध्यान नहीं जाता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जबलपुर की घटना के सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया है। यह किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही लज्जा की बात है। लेकिन सरकार ने क्या किया? इस सम्बन्ध में अगर नागपुर टाइम्स अखबार देखा जाय तो नागपुर टाइम्स ने लिखा है कि ३ तारीख से ले कर ८ तारीख तक कोई भी कांग्रेसी नेता और कोई भी मिनिस्टर जबलपुर में नहीं पहुचा . . .

एक माननीय सदस्य : आप क्यों नहीं पहुंचे ?

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : जी अगर सोशलिस्ट नेता पहुंचते तो उन्हीं के साथ में उन को भ पकड़ा देते इसलिए वे नहीं गये। लेकिन जिम्मेदारी तो आप की है, तनख्वाहें लें आप, मोटरों में बैठें आप, शानदार बंगलों में रहें आप, गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर्स बनें आप लोग और जायें वहां पर विरोधी दल के नेता यह खूब रही? जाना चाहिये था आप को चूंकि आप की जिम्मेदारी है। आप हम से क्या कहते हैं। नागपुर टाइम्स ने जो अग्रलेख लिखा है उस से जाकर कहिए कि उस ने कितनी शर्मिंदगी जाहिर की है कि इस तरीके की घटनाएं घटें और यह सरकार खामोश रहे। लेकिन सरकार को कानपुर की घटना का तो तुरन्त ही पता चल गया था जब वहां पर एक बहिन की अस्मत लूटी गयी थी। जब उस का विरोध किया गया था तो उस वक्त एक मिनिस्टर वहां पर हाजिर थे और पार्टी के कार्यालय के अन्दर मौजूद थे। वहां पर होने वाले प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं और वहां पर १९ लोग गोलियों के शिकार हुए। एक बहिन की इज्जत लुटे, उस पर पुलिस गोली चलाये और १९ लोग मारे जायें लेकिन सरकार वहां पर कुछ करने के लिये तैयार नहीं है।

यहां पर एक घटना घटी। मैं जानता हूं कि वह बहुत ही अपमानजनक घटना है लेकिन उस का यह बदला नहीं दिया जा सकता है कि हजारों लोगों के घरों को जला दिया जाय और लाखों रुपयों की सम्पत्ति जला दी जाय। एक जिले में नहीं लगातार तीन जिलों में यह घटनायें हुईं और यह

सरकार कुछ नहीं कर सकी है। अब इस से अधिक शर्म और लज्जा की बात मध्यप्रदेश सरकार के लिए दूसरी क्या हो सकती है ?

इस के साथ साथ जरा सरकार के आदेशों पर ऊपर गौर किया जाय । सन् १९५८ में उत्तर प्रदेश के लिए खंडसारी के बनाने के लिए जिले में केन्द्र द्वारा जो आदेश दी पजाब शूगरकेन आर्डर १९५९ जारी किया गया वह आदेश ही अवैध साबित हुआ और कमेटी ऑफ सुबौर्डिनेट लेजिस्लेशन ने २३ दिसम्बर सन् १९६० को यह कहा है :--

> "आदेश रद्द कर दिया गया है अतः समिति अब इस मामले पर अग्रेतर विचार नहीं करना चाहती है, तथापि समिति यह आशा करती है कि भविष्य में इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किये जायेंगे ।"

इस तरीके के आदेश दिये जाते हैं जोकि आगे चल कर सभी गलत साबित होते हैं ।

मैं श्रीमान्, एक मिनिट और ले कर के थोड़ी सी रोशनी बनारस विश्वविद्यालय के विषय में डालना चाहता हूं । सन् १९१६ में पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू और सप्रू साहब की सहायता से विश्वविद्यलय की एक कमेटी बनाई और एक कोर्ट बनाया जिस को कि कुछ समय के बाद लार्ड हार्डिंग ने सन् १९१६ में हूबहू उस को उसी तरीके से पास किया। सन् १९१६ से ले कर बराबर राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में वहां पर विद्यार्थियों ने काम किया, शिक्षकों ने काम किया लेकिन केन्द्र ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया । श्रीमान्, नई हिस्ट्री को बतलाने के लिये पुरानी हिस्ट्री को भी बतलाना ज़रूरी है ।

मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि सन् १९४२ के तूफानी दिनों में भी अंग्रेज़ों ने कभी अपनी पुलिस युनिवर्सिटी एरिया के अन्दर नहीं भेजी लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लखनऊ विश्व-विद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय पी० उ० सी० के सेंटर्स बने हुए हैं । वहां पर बनारस विश्वविद्यालय में १० अध्यापक निकाले गये । पहले हाईकोर्ट में और फिर उस के बाद सुप्रीम कोर्ट में उस के खिलाफ मुकद्दमा दायर किया गया । सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी रूलिंग दी है उस रूलिंग में से मैं कुछ अंश यहां पर पढ़ देना चाहता हूं--

> "शब्दों के अधीन संविधि के बाहर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । अतः हमारी राय में आपत्तिजनक संकल्प शून्य परस्तात् हैं । अतः उन्हें रद्द कर दिया जाय अतः यह अपील मंजूर की जाती है ।"

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बावजूद भी जो १० अध्यापक निकाले गये और जोकि गैरकानूनी तरीके पर निकाले गये थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस को गैर कानूनी बताया लेकिन हम देखते हैं कि आज उन दस अध्यापकों की जगह पर नये अध्यापक नियुक्त किये जाने वाले हैं । मैं श्रीमान्, आप के द्वारा इस सरकार से और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री महोदय से खास तौर से यह निवेदद करना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अनादर होगा तो फिर यह मुल्क कहां जायगा ? यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न आज सरकार के सामने मौजूद है और हिन्दुस्तान की लोक सभा के सामने उपस्थित है । इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं और मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यह पहला मौका है जब अध्यक्ष महोदय की सदारत में मुझे को बोलने का मौका मिला ।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा मिलेगा ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट) : मैं राष्ट्रपति जी को उन के अभिभाषण का स्वागत करती हूं। वस्तुतः यह अभिभाषण सरकार के कार्य और नीतियों के बारे में एक यथार्थवादी मूल्यांकन है ।

यह दुख की बात है कि राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में चीन के अतिक्रमण का जिक्र करना पड़ा है । इस सम्बन्ध में दोनों प्रधान मंत्रियों की बातचीत हुई तथा सरकारी अधिकारियों ने भी वार्ता की ; तथापि दुख का विषय है कि उन की वार्ता असफल रही तथापि मैं उस सरकारी अधिकारियों को बधाई देती हूं जिन्हों ने यह वार्ता पूर्ण योग्यता और जिम्मेदारी से की ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात का संकेत दिया है कि सरकार देश की प्रतिरक्षा करने के सम्बन्ध में जागरुक है; प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अपने सीमांत के सम्बन्ध में जरा भी अविश्वास नहीं है । अतः चीन के साथ तब तक संधि नहीं हो सकती है जब तक चीन हमारी सीमाओं से अपनी सेना न हटा लेवे । यदि हम प्रधान मंत्री की नीति का समर्थन करेंगे तो मुझे विश्वास है कि एक दिन चीन भी अवश्य पंचशील का मार्ग अपनायेगा और मित्रता का रुख अख्तयार करेगा । तथापि हमें यह चाहिये कि हम चीन की कूटनीति से सावधान रहें तथा अपने सीमान्त की रक्षा के लिये पूर्ण सैनिक व्यवस्था का प्रबन्ध करें । साथ साथ हमें इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिये कि देश की ध्वंसात्मक शक्तियों का उन्मूलन किया जाये ।

कांगो की स्थिति बिगड़ती जा रही है, और वहां का भविष्य संदिग्ध है । ऐसे समय में यह प्रसन्नता की बात है कि संयुक्त राष्ट्र वहां पर कठोर कार्यवाही करने का विचार कर रहा है, तथापि जो राष्ट्र यह चाहते हैं कि वहां की विधिसम्मत सरकार की स्थापना के लिए उचित प्रयत्न किया जाय । उन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को वहां बने रहने के लिए नैतिक समर्थन देना चाहये । मेरे विचार से अन्य अफ्रीकी राष्ट्रों का यह कर्त्तव्य है कि वे कांगो के नेताओं को उचित सलाह देवें और इस प्रकार की क्रूर कायवाहियां करने से रोकें ।

इसमें संदेह नहीं कि भारत सरकार गोवा वासियों से पूर्ण सहानुभूति रखती है तथापि वह गोवा की समस्या भी शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहती है, मैं आशा करती हूं कि चाहे विलम्ब भले ही हो तथापि गोवा को अवश्य ही पुर्तगाल से मुक्ति मिलेगी ।

दक्षिण अफ्रीका अभी भी जाति भेद की निति अपना रहा है, दूसरी ओर वह राष्ट्र-मंडल का सदस्य बना हुआ है, यह दोनों विरोधी बातें हैं, मैं आशा करती हूं कि प्रधान मंत्री, अगले राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में इस बात की प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनायेंगे । यदि दक्षिण अफ्रीका अपने रवयै को नहीं बदलता तो उसे सभ्य राष्ट्रों के बीच बैठने की कोई हक नहीं है ।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां बार बार विश्व के समक्ष यह घोषणा कर रहे हैं कि व भारत से मैत्री करने को उत्सुक हैं, भारत ने वस्तुतः मैत्री के उद्देश्य से ही पाकिस्तान के साथ नहरी पानी समझौता किया, इसके अलावा भारत ने जनता के विरोध के बावजूद भी नेहरू नून समझौते की सभी बातें क्रियान्वित कीं । इसके विपरीत पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां ने पिछले सप्ताह अपने ढ़ाका के भाषण में यह कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों को राजनैतिक रूप से समाप्त किया जा रहा है तथा आर्थिक रूप से उन्हें नष्ट किया जा रहा

†मूल अंग्रेजी में

है। दुख की बात है कि व भारत में अल्पसंखयकों की वास्तविक स्थिति नहीं जानते हैं। यदि भारत में अल्पसंखयकों के प्रति भारत में विभेद किया जाता तो मेरा संयुक्त चुनाव पद्धति के द्वारा निर्वाचित होकर देश के संसद् में जाना असंभव था।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नागालेंड की नयी व्यवस्था का भी ज़िक्र किया है, मेरे विचार से उन्हें उन पर चार सैनिक जवानों का भी ज़िक्र करना था जो बन्दियों के रूप में आसाम के कठोर जंगल में दुःख भुगत रहे हैं। भारत सरकार को चाहिये कि वह इन जवानों को मुक्त करने का कार्य इस नयी प्रशासनिक व्यवस्था को सोंपे, यद्यपि इस नयी प्रशासनिक व्यवस्था के संबध में लोगों की एक राय नहीं है तथापि में आशा करता हूं कि नागाओं के प्रतिनिधि इस जिम्मेदारी का उचित तरीके से निर्वाह करेंगे। तथापि मेरी राय है कि सरकार को उस क्षेत्र में और अधिक सतर्कता बरतनी चाहिये क्योंकि उपद्रवी नागा भले ही उनकी संख्या कितनी ही कम क्यों न हो पहिले से भी अधिक सक्रिय वे हो गये हैं।

राष्ट्र के लिए जनगणना का बहुत महत्व है। जनगणना आयुक्त तथा जनसंख्या गिनने वाले वस्तुत: बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तथापि उन्हें इस कार्य के लिय जो मानदेय दिया जा रहा है वह बहुत कम है, सरकार उन्हें इस अतिरिक्त कार्य के लिये केवल १० रु० मानदेय देती है, मेरे विचार से यह राशि अपर्याप्त है।

†**श्री वि.वनाथ रेड्डी** (राजमपेट): सरकारी नीति का औचित्य इस बात से स्पष्ट है कि इसे सभी विरोधी दलों का समर्थन प्रप्त हुआ है। विरोधी सदस्यों ने सरकार की जिन नीतियों की आलोचना की है उन्हें स्वयं अशोक मेहता ने १९ सदी की बातें कह कर उनका विरोध किया है।

सदस्यों ने उत्तरी सीमांत के प्रति अपनी चिंता प्रगट की है, यह उचित है कि तथापि इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रीय अनुशासन का संघ में कमी होती जा रही है। आज हमारे देश में पुर्ननिमाण के प्रश्न को लेकर भी वह उत्साह नहीं होता है जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व था। अत: देश के नेताओं को चाहिये कि देश की जनता में बलिदान की भावना कूट कूट कर भर देवें जब तक जनता में यह भावना पैदा नहीं होगी तब तक देश अपेक्षित गति से तरक्की नहीं कर सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे। सभा अब कल के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, २२ फरवरी, १९६१/३ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २१ फरवरी, १९६१
---
२ फाल्गुन, १८८२ (शक)

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ५२३—४९

तारांकित
प्रश्न संख्या

१६८	पूर्व की यात्रा करो वर्ष . . .	५२३—२६
१६९	डकोटा विमानों के स्थान पर वाइकाउन्ट विमानों का प्रयोग	५२६—२७
१७०	बिक्री के लिये चीनी . .	५२७—२९
१७१	सामुदायिक विकास और पंचायत राज के अधिकारी . .	५२९—३१
१७४	दिल्ली के लिये वृहद योजना . .	५३१—३३
१७५	देश में विद्युत उत्पादन .	५३३—३७
१७६	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा . . .	५३७—३८
१७७	चीनी का निर्यात . . .	५३९—४१
१७८	राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र . . .	५४१
१७९	वाइकाउन्ट सेवा . . .	५४२—४४
१८०	गंडक परियोजना . . .	५४५
१८१	जल दूषण बोर्ड . . .	५४५
१८२	खाद्यान्नों के मूल्य . . .	५४६—४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर . ५४९—९३

तारांकित
प्रश्न संख्या

१७२	माल डिब्बों और इंजनों के हिस्सों का आयात . .	५४९
१७३	अखिल भारतीय ग्राम्य संचार निधि .	५४९—५०
१८३	पश्चिमी बंगाल को उर्वरकों का सम्भरण .	५५०
१८४	विदेशी पर्यटकों के लिये होटल सुविधायें .	५५०—५१
१८५	पूर्व रेलवे पर दुर्घटनायें . .	५५१—५२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८६	जल का पता लगाने का यंत्र .	५५२
१८७	संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम सेवक . . .	५५२
१८८	प्रादेशिक निदेशालय (खाद्य के कर्मचारी) .	५५३
१८९	ग्राम्य जल सम्भरण योजनायें	५५३
१९०	बाक्साइट के लिये माल-डिब्बों का आवंटन .	५५३–५४
१९१	राष्ट्रीय ग्राम्य चिकित्सा सेवा	५५४
१९२	गढ़मुक्तेश्वर में सड़क का पुल	५५४–५५
१९३	खाद्य फसल .	५५५–५६
१९४	व्यास परियोजना की रिपोर्ट	५५६
१९५	राजस्थान नहर योजना . .	५५६–५७
१९६	सरदार नगर में डाक तथा तार सुविधायें .	५५७–५८
१९७	उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय यातायात .	५५८–५९
१९८	उत्तर प्रदेश में गन्ने पर उपकर	५५९–६०
१९९	गुजरात के लिये माल-डिब्बों का संभरण .	५६०
२००	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	५६१
२०१	चीनी के भाव और स्टाक	५६१
२०२	निमतिता और फराक्का स्टेशनों के बीच नई रेलवे लाइन	५६२
२०३	मद्रास के लिये उर्वरक . .	५६२–६३
२०४	कांग्रेस अधिवेशन के लिये विशेष व्यवस्था . .	५६३–६४
२०५	ग्लाइडिंग क्लब	५६४–६५
२०६	कानपुर में गंगा का तल कर्षण . . .	५६५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२८९	उत्तर रेलवे पर भ्रष्टाचार विरोधी संगठन . .	५६५–६६
२९०	पंजाब को लोहे और इस्पात का आवंटन .	५६६
२९१	दिल्ली में पानी का इकट्ठा हो जाना .	५६६
२९२	फलों का प्रति व्यक्ति उपभोग . .	५६६–६७
२९३	पुरी स्टेशन . .	४६७
२९४	पूर्व रेलवे पर रेलवे डिस्पेन्सर . .	५६७–५६८
२९५	राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र .	५६८
२९६	अकोला-पूर्णा लाइन पर यात्री सुविधायें	५६८

विषय		पष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२९७	जयपुर स्टेशन	५६८–६९
२९८	नांदेर स्टेशन	५६९
२९९	चरखी दादरी के निकट ऊपरी पुल	५६९
३००	उड़ीसा में परिवार नियोजन केन्द्र	५६९–७०
३०१	उड़ीसा के डाक तार सर्किल में शिकायतें	५७०
३०२	डाक तथा तार कर्मचारी	५७०–७१
३०३	रेलवे की वेगन फ्लोर बोर्डों का संभरण	५७१
३०४	चीनी के सहकारी कारखाने	५७१
३०५	उत्तर प्रदेश में आउट एजेंसियां	५७१–७२
३०६	पर्यटन विकास परिषद्	५७२–७३
३०७	आयुर्वेद की पुरानी पाण्डुलिपियां	५७३
३०८	पंजाब में नई रेलवे लाइनें	५७३–७४
३०९	पंजाब में बाढ़ नियंत्रण योजनायें	५७४
३१०	दिल्ली में पंचायतें	५७४
३११	पूर्व रेलवे में विभागीय योजना व्यवस्था	५७४–७५
३१२	दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में जल-निस्सारण	५७५
३१३	कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बम्बई	५७५–७६
३१४	जाजपुर (उड़ीसा) में टेलीफोन एक्सचेंज	५७६
३१५	केरल में ग्राम्य जल संभरण	५७६
३१६	दिल्ली में गाड़ियों में अधिक भार लादना	५७७
३१७	हिमाचल प्रदेश में आखेट विधि	५७७
३१८	रेणुका सरोवर, सिरमौर का जीर्णोद्धार	५७७–७८
३१९	हिमाचल प्रदेश में सिंचाई पर व्यय	५७८
३२०	पिपली-कोणार्क सड़क	५७८
३२१	इस्पात कारखानों को लोहा अयस्क का वहन	५७८–७९
३२२	उड़ीसा में ग्राम्य विद्युतीकरण	५७९
३२३	जसीडी स्टेशन के समीप रेल दुर्घटना	५७९
३२४	खंडवा–हिंगौली लाइन	५८०
३२५	भारतीय वाणिक पोत	५८०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

३२६ डाक तार कर्मचारी ५८१

३२७ रेलवे निधियों का गबन . . . . ५८१—८२

३२८ रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकों की दुकानें . . ५८२

३२९ डाक गाड़ियों के साथ लगे भोजन वान . . ५८२

३३० अन्तर्राष्ट्रीय टैलेक्स सेवा . . . ५८३

३३१ महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकारों को चावल का संभरण ५८३

३३२ दिल्ली दुग्ध योजना ५८४

३३३ दिल्ली का जल संभरण . . . ५८४

३३४ दक्षिण रेलवे में आउट ऐजेंसियां . . . ५८४—८५

३३५ विनय नगर के समीप रेलवे पुल . . ५८५

३३६ इम्फाल तथा नामबाल नदियों पर पुल . . ५८५—८६

३३७ उड़ीसा में डाक तथा तारघरों की इमारतें . . . ५८६

३३८ विश्व अन्तरिक्ष शस्त्र संगठन . . . ५८६—८७

३३९ बहुदा नदी परियोजना ५८७

३४० बांदकपुर रेलवे स्टेशन . . . . ५८७—८८

३४१ सागर रेलवे स्टेशन ५८८

३४२ हरी खाद . . . . . . ५८८—८९

३४३ रेलवे लाइनें ५८९

३४४ उत्तर रेलवे में सहकारी समितियां . . . ५८९

३४५ उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर यात्रियों के लिये सुविधायें . . ५८९—९०

३४६ डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त अभिकर्ता . . ५९०

३४७ रेलवे पटड़ी को बदलना ५९०

३४८ पंजाब में परिवार नियोजन . . . ५९०—९१

३४९ भटिण्डा जंक्शन के लिये वृहद् योजना ५९१

३५० वन . . . ५९१

३५१ अनाज का थोक व्यापार . ५९१—९२

३५२ राम गंगा पर नौका-पुल . ५९२—९३

३५३ भारत को गेहूं का संभरण . ५९३

३५४ बिना रोशनी के रेलगाड़ियों का चलना ५९३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . . ५९३—९४

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५६४--६७

(१) भारतीय डाक-घर एक्ट, १८६८ के अन्तर्गत जारी किये गये दिनांक १८ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०६ में प्रकाशित भारतीय डाक-घर (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(२) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११६ में प्रकाशित भारतीय तार (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(३) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९ में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार (बजट तैयार करना), नियम, १९६० की एक प्रति ।

(४) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४९ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (भारतीय जहाजों का पंजीयन) नियम, १९६० ।

(दो) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५० में प्रकाशित वणिक् नौवहन (जहाजों का टन भार माप) नियम, १९६० ।

(तीन) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५१ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (समुद्र सेवा में शिशिक्षा) नियम, १९६० ।

(चार) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५२ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (विपत्तिग्रस्त नाविक) नियम, १९६० ।

(पांच) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५५३ में प्रकाशित चलने वाले जहाज निशुल्क भोजन का दिया जाना) नियम, १९६० ।

(छः) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९५४ में प्रकाशित चलने वाले जहाज (चालकों का विवरण) नियम, १९६० ।

(सात) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५५ में प्रकशित वणिक् नौवहन (चलने वाले जहाजों का टन भार माप) नियम, १९६० ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(आठ) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५६ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (चलने वाले जहाजों का रजीयन) नियम, १९६० ।

(नौ) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५७ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (निरन्तर निकासी प्रमाण पत्र) नियम, १९६० ।

(दस) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९५८ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (चालक-वृन्द आवास) नियम, १९६० ।

(५) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक १७ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४९५ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६० ।

(दो) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५६० में प्रकाशित चावल तथा धान (असम) चतुर्थ मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६० ।

(तीन) दिनांक ३ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २ में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं यातायात नियंत्रण संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(चार) दिनांक ३ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३ में प्रकाशित कलकत्ता गेहूं (यातायात नियंत्रण) संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(पांच) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६ में प्रकाशित खाद्यान्न यातायात (मीट्रिक बांटों में बदलना) आदेश, १९६१ ।

(छः) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(सात) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २८ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६१ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(आठ) दिनांक ७ जनवरी १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९ में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमान्त यातायात पर प्रतिबन्ध) (संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(नौ) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५ में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं यातायात नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(दस) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५० में प्रकाशित गेहूं रोलर फ्लोर मिलें (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(ग्यारह) दिनांक १३ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ६९ में प्रकाशित कलकत्ता गेहूं (यातायात नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(बारह) दिनांक १३ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७० में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६१

(तेरह) दिनांक १३ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(चौदह) दिनांक १० फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७९ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६१ ।

(पंद्रह) दिनांक १० फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८० में प्रकाशित त्रिपुरा खाद्यान्न यातायात नियंत्रण (संख्या २) संशोधन आदेश, १९६१ ।

(सोलह) दिनांक १० फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८१ में प्रकाशित गेहुं की रोलर फ्लोर मिलें (लाइसेंस देना और नियंत्रण) दूसरा संशोधन, १९६१ ।

(सत्रह) दिनांक १६ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७५ ।

(अठारह) कलकत्ता गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५६ को रद्द करने वाली दिनांक १९ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०७ ।

(६) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११८ में प्रकाशित विमान निगम (संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति ।

विषय **पृष्ठ**

याचिका उपस्थापित ५९७

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया ने रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे समय-सारणी के प्रकाशन के संबंध में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित की ।

५. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ५९७

श्री स० म० बनर्जी ने "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" दिल्ली के बन्द होने के समाचार की ओर, जिस के फलस्वरूप लगभग ३५० कामगर बेकार हो गये हैं, श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया ।

श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली ने) उस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पुरःस्थापित ५९८

(१) उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यता दान) विधेयक, १९६१

(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक १९६१

अध्यादेशों के बारे में वक्तव्य--पटल पर रखे गये . . . ५९९

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने (१) उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यता दान), अध्यादेश, १९६१, तथा (२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ द्वारा तत्काल विधान बनाने की परिस्थितियों को बताने वाले विवरण सभा पटल पर रखे ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव . . . ५९९—६३९

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा असमाप्त रही ।

बुधवार, २२ फरवरी, १९६१/३ फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिये कार्य सूची

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा उस पर संशोधन

GMGIPND—LS III—1994 (Ai) LSD—18-3-61—125.